सर्व शिक्षा अभियान

दीर्घ कालीन योजना

वर्ष 2002 - 2007

तथा

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट

(2003 - 2004)

जनपद - कानपुर देहात

अध्याय-1

जनपद की भौगोलिक स्थिति

जनपद कानपुर देहात का भौगोलिक क्षेत्रफल 3135 वर्ग किलोमीटर है। जनपद कानपुर देहात गंगा तथा जुमना के दोआब के निचले भाग में स्थित है। इस जनपद की सीमायें प्रदेश के 5 जनपदों हमीरपुर, कन्नौज, औरैया, जालौन एवं कानपुर नगर से मिली हुयी हैं। इस जनपद के दक्षिण पूर्व में कन्नौज, पश्चिम में औरैया, दक्षिण में जनपद जालौन एवं हमीरपुर स्थित हैं जनपद की सीमा यमुना नदी द्वारा निर्धारित होती है इसके अतिरिक्त जनपद में अन्य नदियां पाण्डु नदी रिन्द नहीं, सेंगुर तथा दक्षिणी नोन भी है। यह समस्त नदियां सतत् प्रवाहशील हैं।

जनपद कानपुर देहात के अन्य भागों में रेल तथा सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। जनपद में उत्तर रेलवे तथा मध्य रेलवे दो प्रकार के रेलमार्ग हैं। जिनमें यातायात की सुविधायें सुलभ हैं। उत्तरी रेलवे की प्रमुख रेललाइन दिल्ली से मुगल सरायं होते हुए कलकत्ता जाने वाली इस जनपद से होकर गुजरती हैं। इसके साथ ही जनपद रेल लाइनों की ब्रांच लाइनों से कानपुर नगर झाँसी, इटावा, लखनऊ, मथुरा एवं आगरा जनपदों से जुड़ा है। जनपद में रेलवे लाइन की कुल लम्बाई 210 किमी0 है। कानपुर मुम्बई रेलवे लाइन की जनपद के बीच से गुजरती हैं जिसमें लालपुर, मलासा, पुखरायाँ, बौरा मुख्य रेलवे स्टेशन हैं। इसी प्रकार दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन पर रूरा, झींझक तथा कंचौसी मुख्य रेलवे स्टेशन हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

जनपद का मूलतः नाम पदारूढ़ शासक श्री हिन्दू सिंह सचेण्डी एवं श्री घनश्याम सिंह रमईपुर द्वारा कान्हापुर रखा गया किन्तु अंग्रेज शासक हब्सन जानसन ने उच्चारण की कठिनता की दृष्टि से इसे कौनपुर नाम में बदल दिया, धीरे-धीरे बोलचाल में कौनपुर से कानपुर नाम पड़ गया।

जनपद कानपुर का विभाजन दो जनपदों में दि0 09.06.1976 को प्रथम बार किया गया था। जो कि बाद में दि0 12.07.1977 को दोनों जनपदों को सम्मिलित करते हुए पुनः जनपद कानपुर बना दिया गया। विकास की गति को जनपद के दूरस्थ अंचलों तक पहुँचाने एवं जनपद के पिछड़े हुए क्षेत्र में त्वरित विकास की गति लाने हेतु जनपद कानपुर का पुनः विभाजन जनपद कानपुर नगर व जनपद कानपुर देहात में दि0 23.04.1981 से किया गया। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 05.04.1994 को कानपुर देहात जनपद का मुख्यालय माती अकबरपुर निश्चित किया गया। वर्तमान समय में जनपद के समस्त प्रशासनिक कार्यालय मुख्यालय माती में संचालित हैं। जनपद कानपुर नगर में एक तहसील एवं तीन विकास खण्ड एवं जनपद कानपुर देहात में 05 तहसील एवं 17 विकास खण्डों को रखा गया था किन्तु वर्ष 1997 में तहसील बिल्हौर एवं तहसील घाटमपुर को जनपद कानपुर नगर में सम्मिलित कर दिया गया। इस प्रकार जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत वर्तमान में 05 तहसीले एवं दस विकास खण्ड शामिल हैं जिनमें 102 न्याय पंचायतें 613 ग्राम पंचायतें एक नगर पालिका परिषद तथा 06 नगर पंचायतें हैं जो निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है।

जिले की प्रशासनिक इकाई

सारिणी 01- (01)

क्रमांक	ग्रमीण क्षेत्र/ नगर क्षेत्र	संख्या
	अ- ग्रामीण क्षेत्र	
1.	तहसील	05
2.	विकास खण्ड	10
3.	न्याय पंचायत	102
4.	ग्राम पंचायत	613
5.	राजस्व ग्राम	कुल 1032(गैर आबाद 62, आबाद-970)
6.	ग्राम/बस्तियां / मजरे	1931
	ब- नगरीय क्षेत्र	
1.	नगर निगम	-
2.	नगर महापालिका	-
3.	नगर पालिका परिषद	01
4.	नगर पंचायत (टाउन एरिया)	06

स्रोत - सांख्यकीय पत्रिका कानपुर देहात सन् 1997

जनपद कानपुर देहात में 05 तहसीलें तथा 10 विकास खण्ड हैं। विकास खण्डवार पंचायत, न्याय पंचायत, राजस्व ग्राम तथा बस्तियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में पदर्शित हैं-

सारिणी 01-(02)

क.सं	तहसील का नाम	क.सं.	विकास खण्ड का नाम	न्याय पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या	राजस्व ग्रामों की संख्या			बस्तियां/ मजरों की संख्या	कुल बस्ति की सं०
						आबाद	गैर आबाद	योग		
1.	अकबरपुर	1.	अकबरपुर	09	69	101	04	105	96	197
		2.	सरवनखेड़ा	09	54	75	-	75	107	182
		3.	मैथा	10	70	111	05	116	129	240
2.	भोगनीपुर	4.	अमरौधा	10	69	106	14	120	79	185
		5.	मलासा	10	61	97	03	100	50	147
3.	सिकन्दरा	6.	राजपुर	10	60	103	17	120	30	133
		7.	सन्दलपुर	10	53	85	06	91	37	122
4.	डेरापुर	8.	डेरापुर	10	54	78	03	81	54	132
		9.	झींझक	09	47	73	03	76	131	204
5.	रसूलाबाद	10.	रसूलाबाद	15	86	141	07	148	248	389
				102	613	970	62	1032	961	1931

जनपद कानपुर देहात में कुल राजस्व ग्रामों की संख्या 1,032 है, जिनमें 62 राजस्व ग्राम गैर आबाद है, 970 राजस्व ग्रामों में आबादी हैं एवं जनपद में कुल 961 मजरे/ बस्तियाँ हैं। इस प्रकार कुल बस्तियों की संख्या 1931 हैं।

सारणी 1 (03)

कमांक	नगर पालिका/ नगर पंचायत	वार्डो की संख्या
1.	अकबरपुर	12
2..	पुखरायाँ	25
3.	अमरोध	10
4.	झीझक	12
5.	शिवली	10
6.	रूरा	09
7.	सिकन्दरा	10
	योग	88

स्रोत सांख्यकी पत्रिका 1997

मुख्यतः जनपद की प्रशासनिक व्यवस्था हेतु जिलाधिकारी, विकास कार्यो के लिए मुख्य विकास अधिकारी एवं कानून व्यवस्था हेतु पुलिस अधीक्षक उत्तरदायी है। जिलाधिकारी के सहयोग हेतु दो अपर जिलाधिकारी प्रशासन एवं राजस्व तथा मुख्य विकास अधिकारी के सहयोग हेतु परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण एवं जिला विकास अधिकारी जिले स्तर पर कार्यरत है। इसी प्रकार तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी, वि0 ख0 स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी, प्रशासनिक तथा विकास परक कार्यो के लिए उत्तरदायी हैं।

जिले की शिक्षा व्यवस्था हेतु माध्यमिक शिक्षा में जिले स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा के लिये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तरदयी है। इनके सहयोग के लिए दो उप बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं विकास खण्ड स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत हैं।

आर्थिक विश्लेषण

जनपद में कुल भूमि का 70.9 प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि के अन्तर्गत है जो कि जनपद में कृषि के महत्व का सूचक हैं। जनपद की 29.1 प्रतिशत भूमि जंगल/बीहड़ युक्त है। जो यमुना एवं सेंगुर नदी के किनारे बीहड़ के रूप में हैं। प्रादेशिक स्तर पर जनपद का 48 वॉ स्थान कृषि भूमि की दृष्टि कोण से इंगित करता है जो कि बहुत पिछड़ा है।

जनसंख्या

सन् 1991 की जनगणना के आधार पर जनपद की कुल 2001 की प्रक्षेपित अनुमानित जनसंख्या 15,19,953 हैं जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 14,32,866 तथा नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 87,087 है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 94.27 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 5.73 प्रतिशत है। जनपद की कुल जनसंख्या 54.46 प्रतिशत पुरुष तथा 45.54 प्रतिशत महिलायें है। जनपद में अनुसूचित जनसंख्या 25.9 है। जिसका विकास खण्डवार विवरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी-1(04)

विकास खण्ड ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या का विवरण

क.स.	विकास खण्ड का नाम	1991 की कुल जनसंख्या			2001 की कुल अनुमानित/ प्रक्षेपित जनसंख्या		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1.	अकबरपुर	65239	54855	120094	76088	63977	140006
2.	सरवनखेड़ा	68859	57984	126843	80310	67626	147936
3.	मैथा	72954	60793	133747	85086	70903	155989
4.	अमरौधा	73748	62521	136269	86012	72918	158930
5.	मलासा	63109	53569	116678	73604	62477	136081
6.	राजपुर	60900	49683	110583	71027	57945	128972
7.	डेरापुर	53766	44951	98717	62707	52426	1151133
8.	सब्दलपुर	50720	41654	92374	59154	48581	107735
9.	झींझक	58164	47808	105972	67836	55759	123595
10.	रसूलाबाद	102013	85272	187285	118977	99453	218430
	योग	669462	559090	1228562	780801	652065	1432866

(स्रोत - 1991 की जनगणना के आधार पर प्रक्षेपित)

नोट- वर्ष 2001 की विकास खण्डवार जनगणना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

विकास खण्डवार अनुसूचित जाति की जनसंख्या का विवरण

सारणी 1-(05)

क0सं0	विकास खण्ड का नाम	1991 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2001 की प्रक्षेपित, अनु0 जाति की जनसंख्या		
		पुरूष	महिला	योग
1.	अकबरपुर	19030	15942	34972
2.	मलासा	18985	16722	35707
3.	अमरौधा	19519	15646	35165
4.	राजपुर	15513	12861	28374
5.	सन्दलपुर	14193	11412	25605
6.	डेरापुर	15695	12912	28607
7.	झींझक	17776	14188	31964
8.	रसूलाबाद	2870	35425	78295
9.	मैथा	17812	14081	31893
10.	सरवनखेड़ा	22026	18388	40414
	योग	203419	167577	370996

(स्रोत- 1991 की जनसंख्या के आधार पर प्रक्षेपित)

नोट- वर्ष 2001 की विकास खण्डवार जनसंख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है।

जनपद में एक नगर पालिका परिषद तथा 6 नगर पंचायत हैं, 1991 की जनगणना के वर्ष 2001 की प्रक्षेपित जनसंख्या निम्न सारणी में दर्शायी गयी है।

नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या

सारणी 1 -(06)

क.सं.	नगर पंचा0/नगर पालिका का नाम	1991 की जनसंख्या			2001 की प्रक्षेपित जनसंख्या			2001 की अनु0 जाति की प्रक्षेपित जनसंख्या		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	अकबपुर	7569	6320	13889	8827	7372	16199	2251	1983	4234
2.	अमरौधा	3982	3368	7350	4644	3928	8572	1266	974	2240
3.	सिकन्दरा	4250	3563	7813	4957	4156	9113	1250	1132	2382
4.	झींझक	7464	6432	13896	8705	7502	16207	2348	1888	4236
5.	शिवली	3537	3118	6655	4125	3637	7762	1062	967	2028
6.	रूरा	5857	5049	10906	6831	5888	12719	1811	1414	3525
7.	पुखरायाँ (नगर पालिका परि0)	7636	6525	14161	8905	7610	16515	2395	1922	4317
	योग	42295	34375	74670	46994	40093	87087	12482	10280	22760

स्रोत-1991 की जनगणना के अनुसार प्रक्षेपित

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि नगरीय क्षेत्र की आबादी में कुल 26.13 प्रतिशत अनुसूचित जाति की जनसंख्या है जिसमें 26.56 प्रतिशत पुरुष तथा 26.64 प्रतिशत महिलायें है तथा क्षेत्र की आबादी में कुल 25.9 प्रतिशत अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, जिसमें 26.05 प्रतिशत पुरुष तथा 25.7 प्रतिशत महिलायें हैं।

अध्याय - 2

जनपद का शैक्षिक परिदृश्य

कानपुर देहात में अप्रैल 2000 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी. तृतीय) परियोजना का मुख्य उद्देश्य 6-11 आयु वर्ग के बच्चों की पहुँच के अन्दर राजकीय मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना, 6-11 आयु वर्ग के चिन्हित बच्चों का विद्यालयों में शत प्रतिशत नामांकन करना तथा न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति सुनिश्चित करना, ड्राप आउट की दर को शून्य करना तथा ठहराव शत प्रतिशत सुनिश्चित करने का लक्ष्य रहा है। इसकी पूर्ति हेतु जनपद में वर्ष 2000-2001 में 147 नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी तथा परियोजना प्रारम्भ से परियोजना की समाप्ति तक 386 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 49 प्राथमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण, 330 शौचालयों का निर्माण, 225 हैण्डपम्पों की स्थापना, 150 प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत, 09 बी0आर0सी0 तथा विकास खण्ड अकबरपुर एवं ककवन की बी0आर0सी0 को मिलाकर अकबरपुर में मिनी डायट के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 109 एन.पी.आर.सी. के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। न्यूनतम अधिगम स्तर लक्ष्य की सम्प्राप्ति हेतु गुणवत्ता परक शिक्षा देने एवं बच्चों का विद्यालयों में ठहराव रोकने के लिए शिक्षकों को विभिन्न प्रकार पुनर्बोधात्मक एवं सेवारत प्रशिक्षण दिये जा रहे है।

उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जनपद कानपुर देहात का बेसिक शिक्षा परिवार सतत् प्रयत्नशील है। किन्तु एक ओर जहां 11-14 आयु वर्ग के बच्चे उक्त कार्यक्रम से वंचित हैं वही 6-11 आयु वर्ग के बच्चों के लिए उक्त व्यवस्था डी0पी0ई0पी0 परियोजना के अन्तर्गत पर्याप्त नहीं है। इस लिए इस कमी को पूरा करने

के लिए 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए समग्र रूप से सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

साक्षरता –वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद कानपुर देहात की कुल साक्षरता 50.9 प्रतिशत है। जो प्रदेश की साक्षरता दर से 9.3 प्रतिशत अधिक है। जिसमें पुरूषों की साक्षरता दर 63.46 प्रतिशत तथा महिलाओं की साक्षरता 36.29 प्रतिशत है।

जनपद की साक्षरता का विवरण निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है-

सारिणी 2 – 01

जनपद की साक्षरता

क्र0 सं0	जनपद की साक्षरता	1991 का साक्षरता प्रतिशत	1991 की उ0प्र0 की साक्षरता दर
1.	कुल साक्षरता	50.9	41.7
2.	ग्रामीण साक्षरता	40.1	36.66
3.	नगरीय साक्षरता	60.8	61.00
4.	कुल पुरूष साक्षरता	63.46	55.73
5.	कुल महिला साक्षरता	36.29	25.31
6.	कुल ग्रामीण पुरूष साक्षरता	63.00	52.11
7.	कुल ग्रामीण महिला साक्षरता	34.86	19.09
8.	नगरीय पुरूष साक्षरता	68.06	89.98
9.	नगरीय महिला साक्षरता	57.6	50.38

स्रोत - 1991 की जनगणना के अनुसार

नोट - वर्ष 2001 की साक्षरता दर का विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं हुयी है।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद की साक्षरता दर 50.9 प्रतिशत थी। वर्ष 2001 की जो कुल साक्षरता दर प्राप्त हुयी है उसके अनुसार जनपद की साक्षरता दर 64 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि 1991 के सापेक्ष वर्ष 2001 की साक्षरता दर में वृद्धि हुयी है, ग्रामीण साक्षरता के सापेक्ष, नगरीय साक्षरता का प्रतिशत अधिक है।

विकास खण्डवार साक्षरता दर (1991 की जनगणना के अनुसार)

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	साक्षरता दर		
		पुरुष	महिला	योग
1.	अकबरपुर	61.2	33.8	48.8
2.	मलासा	59.9	31.6	47.1
3.	अमरौधा	58.6	28.6	45.1
4.	राजपुर	69.9	33.8	51.2
5.	सन्दलपुर	64.7	37.2	52.4
6.	डेरापुर	63.4	35.7	50.9
7.	झींझक	65.1	36.9	52.5
8.	रसूलाबाद	65.1	37.1	52.5
9.	मैंथा	64.2	37.8	52.3
10.	सर्बनखेड़ा	65.2	37.8	52.5
	योग	63.46	36.29	50.9

नोट : 2001 की विकासखण्डवार जनगणना/साक्षरता दर का विवरण प्राप्त नहीं है, इसीलिए 1991 की साक्षरता दर अंकित की गयी है।

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभिन्न विकास खण्डों में साक्षरता दर का प्रतिशत भिन्न भिन्न है। सबसे कम साक्षरता दर वाले विकास खण्ड अकबरपुर 48.8 प्रतिशत, मलासा 47.1 प्रतिशत तथा अमरौधा विकास खण्ड की साक्षरता दर 45.1 प्रतिशत है। जबकि सबसे अधिक साक्षरता दर वाले विकास खण्डों में रसूलाबाद 52.5 प्रतिशत, झींझक 52.5 प्रतिशत तथा सर्वनखेड़ा 52.5 प्रतिशत है उक्त से स्पष्ट है कि जनपद के तीन (03) विकास खण्ड शैक्षिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़े है।

जनपद कानपुर देहात में 1298 की आबादी पर एक प्राथमिक विद्यालय है, जनपद में कुल 1197 परिषदीय विद्यालय संचालित है। जनपद कानपुर देहात में सात (07) नगरीय क्षेत्र है। जिनमें पुरुष साक्षरता दर 68.6 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 57.6 प्रतिशत है तथा कुल साक्षरता दर 60.8 प्रतिशत है।

(स्त्रोत - 1991 की जनगणना के अनुसार)

शैक्षिक संस्थाये-

जनपद कानपुर देहात में विभिन्न प्रकार की शैक्षिक/तकनीकी संस्थाओं का संख्यात्मक विवरण निम्नलिखित सारणी में प्रदर्शित है-

वर्ष 2003-2004

सारिणी 2 - 03

संस्थाये	परिषदीय/ राजकीय			मान्यता प्राप्त			कुल			गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय		
	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
प्राथमिक विद्यालय	1289	15	1304	159	73	232	1448	88	1536	152	57	209
माध्यमिक से सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग	-	-	-	09	05	14	09	05	14	-	-	-
उच्च प्राथमिक विद्यालय	240	19	259	135	21	156	325	33	408	-	-	-
नवोदय विद्यालय	-	01	01	-	-	-	-	01	01	-	-	-
हाई स्कूल	01	-	01	45	03	48	46	03	49	-	-	-
इण्टरमीडिएट	-	01	01	49	16	65	50	16	66	-	-	-
डिग्री कालेज	-	01	01	08	04	12	09	04	13	-	-	-
स्नातकोत्तर महाविद्यालय	-	-	-	-	01	01	-	01	01	-	-	-
विश्वविद्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
तकनीकी संस्थान	-	-	-	-	01	01	-	01	01	-	-	-
आईटीआई/पालीटेक्निक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थायें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आंगनवाड़ी केन्द्रो की सं.	187	-	187	-	-	-	187	-	187	-	-	-
मकबत/मदरसे	-	-	-	15	08	23	15	08	23	03	-	03
संस्कृत पाठशालये	-	-	-	04	-	04	04	-	04	-	-	-
बाल श्रमिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंध/मूक बधिर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
डायट	01	-	01	-	-	-	01	-	01	-	-	-

बी0 आर0 सी0	10	-	10	-	-	-	10	-	10	-	-	-
एन0पी0आर0सी0	102	07	109	-	-	-	102	07	109	-	-	-
विद्या केन्द्र	125	-	125	-	-	-	125	-	125	-	-	-

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि जनपद कानपुर देहात में जनसंख्या के सापेक्ष प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की कमी है। जनपद में परिवार सर्वेक्षण के अनुसार यह पाया गया कि प्रत्ये विकास खण्ड में कई प्रकार की विकलांगता के छात्र/छात्रायें पाये गये। इन बच्चों की शिक्षा के लिये जनपद में कोई विशिष्ट प्रकार का विद्यालय नहीं है। अतः इन विशिष्ट प्रकार के बच्चों के लिये इनकी शिक्षा हेतु संस्थान की आवश्यकता प्रतीत होती है।

<u>शिक्षकों की उपलब्धता (31.12.2001 की स्थिति): परिषदीय विद्यालय</u>

जनपद कानपुर देहात में कुल 1196 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 3274 अध्यापकों के पद सृजित है। इन सृजित पदों के सापेक्ष मात्र 2751 शिक्षक कार्यरत है। इसी प्रकार परिषदीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में 793 सृजित पदों के सापेक्ष मात्र 587 शिक्षक कार्यरत है। परिषदीय विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद कार्यरत संख्या रिक्त पद एवं स्वीकृत शिक्षा मित्रों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दर्शायी गयी है।

शिक्षकों की उपलब्धता (परिषदीय विद्यालय)
31.12.2001 की स्थिति

सारिणी 2 - (05)

विद्यालय	सृजित पद	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत शिक्षा मित्रों की संख्या वर्ष 2003-04 तक
परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	3274	2651	623	835
परिषदी उच्च प्राथमिक विद्यालय	793	587	206	-

स्रोत - विभागीय आँकड़े

उक्त सारिणी से स्पष्ट है कि जनपद में स्वीकृत पदों के विपरीत कार्यरत शिक्षकों की संख्या कम है। इन शिक्षकों की कमी के कारण विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था में विपरीत प्रभाव पड़ता है। स्वीकृत शिक्षा मित्रों की संख्या में बेसिक शिक्षा द्वारा स्वीकृत शिक्षा मित्रों की संख्या भी शामिल है।

परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त प्राथमिकी विद्यालय एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की उपलब्धताः

विद्यालय की सुविधा/बस्तियॉः-

विकास खण्ड में कार्यरत सहायक बेसिक शिक्षाधिकारियों/प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों द्वारा बी0आर0सी0 समन्वयक/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों के माध्यम से सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण के उपरान्त की स्थिति के आंकलन के अनुसार राज्य सरकार के मानक के अनुसार 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर दूरी को पूरा करने वाली बस्तियों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना तथा उक्त मानक को पूरा न करने वाली बस्तियों के लिए ई0जी0एस0, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र अथवा अन्य प्रकार के शिक्षा केन्द्रों की आवश्यकता है। इसी प्रकार के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मानक 800 की आबादी तथा 3 किमी0 परिधि पूरा करने वाली बस्तियों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना तथा राज्य सरकार के मानक पूरा न करने वाली बस्तियों में नवाचार शिक्षा केन्द्रों की आवश्यकता है। सेवित तथा असेवित बस्तियों में उपलब्ध विद्यालय निम्नवत् है-

सारिणी 2 - (05)

परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

विवरण	1 किमी0 से कम दूरी पर विद्यालय की उपलब्धता	1 किमी0 से अधिक किन्तु 1.5 से कम दूरी पर विद्यालय की उपलब्धता	1.5 किमी0 से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय/ ई0जी0एस0
ऐसे ग्रामों/ बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	582	774	236	236
ऐसे ग्रामों/ बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से कम है।	112	87	140	140

स्त्रोत - सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात

परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

सारिणी संख्या 2 – 5(1)

विवरण	3 किमी0 से कम दूरी पर परिषदीय/मान्यता प्राप्त उच्च प्रा0 विद्यालय की उपलब्धता	3 किमी0 से अधिक दूरी पर परिषदीय/मान्यता प्राप्त उच्च प्रा0 विद्यालय उपलब्ध	प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालय/ ए0 आई0 ई0
ऐसे ग्रामों/बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है।	394	254	254
ऐसे ग्रामों/बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से कम है।	1233	50	50

स्त्रोत – सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात

उक्त तालिका को देखने से प्रतीत होता है कि 236 बस्तियों में प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता है तथा 254 बस्तियों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता है। 140 बस्तियॉ ऐसी है जो प्राथमिक विद्यालय खोलने वाले राज्य सरकार के मानक की पूर्ति नहीं करती है तथा 50 बस्तियॉ ऐसी है जो उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने वाले मानको की पूर्ति नही करती है। उन बस्तियों में 6–11 तथा 11–14 आयु वर्ग के बच्चों को ध्यान में रखते हुये अन्य वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के खोले जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है।

विकास खण्डवार सेवित तथा असेवित बस्तियों की संख्या एवं प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता निम्न सारिणी में दिखायी गयी है –

सारिणी 2 – 5(2)

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है।				
		1 किमी0 से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 से 1.5 किमी0 से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 किमी0 से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	प्रस्तावित नवीन प्राथमिक विद्यालय	अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता
1-	अकबरपुर	25	106	29	29	26
2-	मलासा	46	73	16	16	25
3-	अमरौधा	05	136	32	32	28
4-	राजपुर	104	03	13	13	26
5-	सन्दलपुर	81	03	23	23	18
6-	डेरापुर	86	11	17	17	21
7-	झींझक	56	42	30	30	22

8-	रसूलाबाद	23	197	40	40	35
9-	मैथा	128	81	27	27	28
10-	सर्वनखेड़ा	28	12	09	09	25
	योग	582	774	236	236	254

स्त्रोत – विभागीय ऑकड़े

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्तमान में जनपद में 236 ऐसी असेवित बस्तियां है जिनमें प्राथमिक स्तर की शिक्षा हेतु औपचारिक विद्यालय की आवश्यकता है। इन बस्तियों में लगभग 80 ऐसी बस्तियां हैं जो अत्यन्त पिछड़े तथा बीहड़ इलाके में स्थित है। लगभग 70 बस्तियां ऐसी है जो अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र है। इसी प्रकार 11–14 आयु वर्ग के बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार के मानक 2 :1 रखने के लिए लगभग 348 उच्च प्राथमिक विद्यालयो की आवश्यकता होगी किन्तु स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये राजकीय मानके के अनुसार 254 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता होगी।

छात्र नामांकन

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत जनपद कानपुर देहात में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में में कार्यरत अध्यापकों के द्वारा 6–14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या ज्ञात करने हेतु परिवार सर्वेक्षण कराया गया। परिवार सर्वेक्षण के अनुसार जनपद में 6–14 आयु वर्ग के कुल 326045 बच्चे चिन्हित किये गये, जिसमें 178453 बालक तथा 147592 बालिकायें चिन्हित की गयी। उक्त चिन्हित 6–14 आयु वर्ग के कुल 281945 बच्चे ऐसे पाये गये जो कही न कही शिक्षा प्राप्त कर रहे है इनमें 29423 बालक तथा 14677 बालिकायें कुल 44100 बच्चें ऐसे पाये गये जो किसी भी विद्यालय मे पढ़ने नहीं जाते हैं। विकास खण्डवार जिनका विवरण निम्न सारिणी में प्रदर्शित किया जा रहा है। वर्ष 2002–03 में परिषदीय प्राथवि0 में 167319 बच्चों का नामांकन था।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के अनुसार बाल गणना 6–11 व 11–14 वय वर्ग

सारिणी संख्या – 2(6)

क्र0 सं0	विकास खण्ड	6–11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या									11 – 14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या								
		कुल बच्चों की संख्या			विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या			विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या			कुल बच्चों की संख्या			विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या			विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	अकबरपुर	16456	12223	28679	13873	10243	24116	2583	1980	4563	3894	2400	6294	3342	1938	5280	552	462	1014
2.	सरवनखेड़ा	13338	11476	24814	11038	10272	21110	2300	1204	3503	4194	2500	6694	3937	2325	6262	257	175	432
3.	मैथा	15422	13161	28613	11852	11251	23103	3570	1910	5480	5265	4580	9845	5165	4480	9645	100	100	200
4.	डेरापुर	8820	7779	16599	7847	7252	15099	973	502	1475	4252	3771	8023	4144	3727	7871	108	44	152
5.	सन्दलपुर	9109	7749	16850	8101	7247	15350	1008	502	1510	2977	2412	5389	2677	2112	4779	300	300	600
6.	झींझक	10462	9036	19498	8833	8236	17069	1629	800	2429	5458	4459	9917	4477	4130	8607	981	329	1310
7.	रसूलाबाद	18955	16396	35351	14835	14296	29131	4120	2100	6220	6538	5618	12156	6330	5539	11869	208	79	287
8.	अमरौधा	17884	15308	33192	14304	14088	28392	3580	1220	4800	4991	3714	8505	4291	3014	7305	700	500	1200
9.	राजपुर	10495	8925	19420	8878	8136	17014	1617	789	2406	3963	3252	7215	3063	2952	6015	900	300	1200
10	मलासा	11826	10035	21861	8874	8887	17761	2952	1148	4100	4132	2998	7130	3369	2788	6157	663	210	973
	योग	132789	112088	244877	108235	99910	208145	24554	12178	36732	45664	35504	81168	40795	33005	73800	4869	2499	7368

परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में छात्र नामांकन (6–11 वय वर्ग के बच्चे) 30 सितम्बर 2001

सारिणी संख्या 2 – (7)

क्र.सं.	विकास खण्ड	कुल छात्र संख्या			अनुसूचित जाति छात्र			कुल नामांकन में परिषद का :
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
1.	अकबरपुर	10970	6878	17848	4041	3173	7214	68.3
2.	सर्वनखेड़ा	8978	8878	17856	3928	3793	7721	72.9
3.	मैथा	9950	10062	20012	3998	3866	7864	72.5
4.	अमरौधा	9362	9388	18750	3449	3492	6941	60.1
5.	मलासा	7056	7280	14336	3349	3225	6574	71.1
6.	राजपुर	6121	6324	12445	2281	2230	4511	68.3
7.	डेरापुर	5643	5793	11436	2506	2360	4866	69.7
8.	सन्दलपुर	5387	5532	10919	2263	2251	4514	67.6
9.	रसूलाबाद	10669	10971	21640	6853	5605	12458	64.0
10.	झींझक	6030	6083	12113	2918	2696	5614	65.9
	योग	80166	77189	157355	35586	32691	68277	67.7

स्त्रोत – विभागीय ऑकड़े

परिषदीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में छात्र नामांकन

सारिणी 2 – (8)

क्र. सं.	विकास खण्ड	कुल छात्र संख्या			अनुसूचित जाति छात्र			कुल नामांकन में परिषद का :
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
1.	अकबरपुर	3800	2351	6151	1233	1415	2648	36.1
2.	सर्वनखेड़ा	2337	1656	3993	760	680	1440	63.8
3.	मैथा	1855	1580	3435	696	464	1160	35.6
4.	अमरौधा	1082	823	1905	306	274	580	26.1
5.	मलासा	842	583	1425	347	257	604	51.1
6.	राजपुर	943	877	1820	303	246	549	30.3
7.	डेरापुर	1098	1026	2124	499	374	873	27.0
8.	सन्दलपुर	919	782	1701	394	309	703	35.5
9.	रसूलाबाद	2107	1868	3975	2126	1840	3966	33.5
10.	झींझक	1160	1059	2219	633	520	1153	25.8
	योग	16143	12605	28748	7297	6379	13676	33.6

स्त्रोत – विभागीय ऑकड़े

उक्त सारणी को देखने से स्पष्ट होता है कि विकास खण्ड सर्वनखेड़ा एवं मैथा में सबसे अधिक बच्चे परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने जाते है। सबसे कम बच्चें अमरौधा विकास खण्ड में परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने जाते है।

इसी प्रकार 63.8: बच्चे सर्वनखेड़ा विकास खण्ड में परिषदीय उच्च प्रा0 विद्यालयों में तथा सबसे कम 25.8 विकास खण्ड झींझक में पढ़ने जाते है।

बालगणना/ नामांकन (प्राथमिक स्तर)

वर्ष 2002 - 2003

क्र0सं0	विकासखण्ड	बालगणना			नामांकन (परिषदीय)			मान्यता प्राप्त			कुल नामांकन			नामांकन (अनुसूचित जाति)		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	डेरापुर	8036	7033	15069	6515	6456	12971	1506	573	2079	8021	7029	15050	3273	2109	5382
2	सरवनखेड़ा	13041	11226	24267	9419	9325	18744	3600	1900	5500	13019	11225	24244	5754	4591	10345
3	मैथा	15365	13514	28879	10253	10271	20524	5110	3239	8349	15363	13510	28873	5884	4972	10856
4	अमरौधा	18434	15758	34192	10161	9877	20038	8251	5875	14126	18412	15752	34164	8930	5702	14632
5	मलासा	12109	10275	22384	7042	7180	14222	5061	3091	8152	12103	10271	22374	5749	4386	10135
6	राजपुर	11458	10100	21558	6698	6964	13662	4759	3129	7888	11457	10093	21550	3776	3361	7137
7	अकबरपुर	15318	13365	28683	8895	9254	18149	6419	4110	10529	15314	13364	28678	6126	5052	11178
8	सन्दलपुर	8999	7521	16520	5882	5964	11846	3113	1556	4669	8995	7520	16515	3688	2985	6673
9	झींझक	11006	9288	20294	6591	6839	13430	4410	2441	6851	11001	9280	20281	5170	3925	9095
10	रसूलाबाद	12341	10436	22777	7536	7935	15471	4800	2500	7300	12336	10435	22771	4872	3819	8691
11	ककवन	5895	5487	11382	4075	4187	8262	1807	1298	3105	5882	5485	11367	2341	2095	4436
	योग	132002	114003	246005	83067	84252	167319	48836	29712	78548	131903	113964	245867	55563	42997	98560

बालगणना/ नामांकन (उच्च प्राथमिक स्तर)

वर्ष 2002 - 2003

क्र०सं०	विकासखण्ड	बालगणना			नामांकन (परिषदीय)			मान्यता प्राप्त			कुल नामांकन			नामांकन (अनुसूचित जाति)		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	डेरापुर	5357	4689	10046	1242	1159	2401	4094	3546	7640	5336	4705	10041	2636	2093	4729
2	सरवनखेड़ा	4370	3570	7940	2018	2058	4076	2351	1512	3863	4369	3570	7939	2054	1546	3600
3	मैथा	5591	4544	10135	1815	1979	3794	3775	2565	6340	5590	4544	10134	2488	1336	3824
4	अमरौधा	5236	3714	8950	1268	1130	2398	3968	2584	6552	5236	3714	8950	1979	1720	3699
5	मलासा	3616	3069	6685	995	944	1939	2620	2125	4745	3615	3069	6684	1807	1350	3157
6	राजपुर	3876	3444	7320	922	970	1892	2953	2472	5425	3875	3442	7317	1430	1105	2535
7	अकबरपुर	5712	4832	10544	1395	1290	2685	4316	3541	7857	5711	4831	10542	3116	2311	5427
8	सन्दलपुर	3284	2771	6055	962	937	1899	2321	1832	4153	3283	2769	6052	1287	1036	2323
9	झींझक	5730	4593	10323	1276	1207	2483	4454	3383	7837	5730	4590	10320	3404	2387	5791
10	रसूलाबाद	6087	5246	11333	1683	1584	3267	4403	3662	8065	6086	5246	11332	2775	2759	5534
11	ककवन	2041	1504	3545	645	689	1334	1395	814	2209	2040	1503	3543	999	696	1695
	योग	50900	41976	92876	14221	13947	28168	36650	28036	64686	50871	41983	92854	23975	18333	42308

विद्यालयों में भौतिक सुविधाएँ (वर्ष 2003–2004)

सारणी 2– (9)

क्रमांक	मद	ग्रामीण	नगर	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय भवनहीन, जर्जर पुनर्निर्माण	–	–	–
2.	एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	01	–	01
	दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या	915	–	915
	तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या	362		362
	चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या	16	–	16
	पॉच कक्षीय तथा पॉच कक्ष से अधिक वाले विद्यालय	10	–	10
	योग	1304	–	1304
3.	मरम्मत योग विद्यालय लघु	280	06	286
	वृहद	80	09	89
4.	शौचालय विहीन विद्यालय	751	–	751
5.	हैण्डपम्प विहीन विद्यालय	172	–	172
6.	चहारदीवार विहीन विद्यालय	1105	–	1105

स्रोत – विभागीय आंकड़े

प्रा0वि0 वर्ष 2003–2004 के निर्माण के लक्ष्य को सम्मिलित करते हुये कुल 1304 प्रा0वि0 उपलब्ध होंगें जिसमें तीन कक्ष की दर से कुल 3912 कक्ष कक्षा होना चाहिये। वर्ष 2003–04 तक 3031 कक्ष उपलब्ध होगे जिसमें 88 कक्षों की कमी होगी।

भौतिक सुविधायें

उच्च प्राथमिक स्तर(वर्ष 2003–04)

सारणी 2– (10)

क्रमांक	मद	ग्रामीण	नगर	योग
1.	उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनहीन	0	–	0
	पुर्ननिर्माण योग	09	–	09
2.	मरम्मत योग्य . . . लघु	20	03	23
	वृहद	23	01	24
3.	एक कक्षीय विद्यालय	–	–	–
	दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या	02	–	02
	तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या	41	–	41
	चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या	203	–	203
	पॉच कक्षीय तथा पॉच से अधिक कक्ष वाले विद्यालय	06	–	06
	योग	250	–	250
4.	शौचालय विहीन विद्यालय	28	–	28
5.	हैण्डपम्प विहीन विद्यालय	62	–	62
6.	चहारदीवारी विहीन विद्यालय	165	–	165

स्रोत – विभागीय आंकड़े

उपरोक्त के अतिरिक्त 11वें वित्त आयोग के अन्तर्गत जनपद कानपुर देहात में 12 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के भवन, 12 शौचालय, 12 हैण्डपम्प तथा 12 चहारदीवारी के निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त है।

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की कमी और आवश्यकता

सारणी संख्या 2 – (11)

क्र.सं.	मद का नाम	प्राथमिक स्तर					उच्च प्राथमिक स्तर				
		कमी	डी.पी.ई.पी. III	11वां वित्त आयोग	जिला योजना	मांग	कमी	डी.पी.ई.पी III	11वां वित्त आयोग	जिला योजना	मांग
1.	**नवीन विद्यालय**	0	–	–	–	0	0	–	12	–	254
2.	विद्यालय पुर्ननिर्माण	–	–	–	–	00	9	–	–	–	9
3.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	881	–	–	–	881	97	–	–	–	97
4.	पेयजल / हैण्डपम्प	172	–	–	–	172	74	–	12	–	62
5.	शौचालय	751	–	–	–	751	84	–	12	–	72
6.	चहारदीवारी	1105	–	–	–	1105	177	–	12	–	165
7.	मरम्मत लघु	286	–	–	–	286	23	–	–	–	23
	वृहद	89	–	–	–	89	24	–	–	–	24

स्त्रोत – विभागीय ऑकड़े

प्राथमिक स्तर के शैक्षिक ऑकड़े व महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स (कानपुर देहात)

जनपद कानपुर देहात में वर्ष 2000–2001 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम III संचालित है तथा कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 इकाई जनपद में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत नीपा द्वारा विकसित डायस साफ्टवेयर संचालित किया है, तथा वार्षिक शैक्षिक सॉख्यिकी तैयार की गयी है। शैक्षिक सॉख्यिकी का उपयोग वार्षिक कार्य योजना के निर्माण व महत्वपूर्ण निर्णय लेने में किया जा रहा है।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त ऑकड़ो के अनुसार विगत वर्षो में स्थिति निम्नवत् है

सारणी 2 – (12)

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन	1999–2000	2000–2001	2001–2002
कक्षा 1	14115	44014	46991
कक्षा 2	44319	42397	45897
कक्षा 3	37576	39385	43086
कक्षा 4	32595	35750	38650
कक्षा 5	25972	30421	33521
योग	186577	192167	208145
जी0ई0आर0			
कुल	83	84	85
बालिका	82	85	89
एन0ई0आर0			
कुल	74	75	77
बालिका	75	75	78

जनपद कानपुर देहात के भौगोलिक, समाजिक, गरीबी तथा सामाजिक कुरीतियों के कारण अभिभावक बालिकाओं को विद्यालय भेज तो देते है किन्तु पूरी शिक्षा प्राप्त करने के पूर्व ही वापस बुला लेते है। इसलिए बालिकाओं की ड्राप आउट दर बालकों की अपेक्षा अधिक है। वर्ष 1997–98 में कक्षा –1 में 3729 के सापेक्ष वर्ष 2001–02 में कक्षा पॉच उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 26738 रही। इससे स्पष्ट है कि जनपद की ड्राप आउट दर 28.31 है जो निम्नलिखित सारणी में प्रदर्शित है–

जनपद में वर्ष 1998–99 में प्राथमिक स्तर की ड्राप आउट दर 35 प्रतिशत थी जो वर्तमान में घटकर 28.31 रह गयी है।

ड्राप आउट दर (प्राथमिक)

सारिणी संख्या – 2(13)

क्र सं	वर्ष	कक्षा–1			कक्षा–2			कक्षा–3			कक्षा–4			कक्षा–5		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	1997–98	18731	18563	37294												
2.	1998–99				17820	16341	34161									
3.	1999–2000							15868	14211	30069						
4.	2000–2001										15005	13610	28615			
5.	2001–2002													13769	12969	26738

ड्राप आउट प्रतिशत – 28.3

शिक्षक छात्र अनुपात

जनपद में वर्तमान समय में 1218 प्राथमिक विद्यालय संचालित है। जिनमें मात्र 2351 शिक्षक कार्यरत है। जनपद का 20 प्रतिशत हिस्सा बीहड़ युक्त जमुना सेंगुर नदी के किनारे का है। इस क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों का आभाव है इसके कारण शिक्षा व्यवस्था में कुप्रभाव तो पड़ता ही है साथ में बच्चों की ड्राप आउट दर भी बढ़ जाती है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 310 शिक्षा मित्रों के पद तैनात किए गए। फलस्वरूप एकल अध्यापकीय विद्यालयों में बहुत कमी आयी है। फिर भी जनपद में 46 एकल अध्यापकीय विद्यालय है जिनका प्रतिशत 3.8 है। वर्तमान में शिक्षक छात्र अनुपात 60 है। इस अनुपात को 1 : 40 करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान में अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र तैनात किए जायेंगे। विकास खण्डवार शिक्षक छात्र अनुपात निम्नवत् है–

जनपद में छात्र शिक्षक अनुपात वर्ष 2001–2002

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	विद्यालयों की संख्या(परिषदीय)	6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या(परिषदीय)	कार्यरत अध्यापक संख्या	शिक्षक–छात्र अनुपात	विशेष
1.	अकबरपुर	113	17848	290	61:1	
2.	सरवनखेड़ा	117	17856	300	59:1	
3.	मैथा	138	20012	368	54:1	
4.	डेरापुर	85	11436	187	61:1	
5.	सन्दलपुर	78	10919	158	69:1	
6.	झींझक	114	12113	204	59:1	
7.	रसूलाबाद	169	21640	304	70:1	
8.	अमरौधा	131	18750	330	57:1	
9.	राजपुर	113	12445	239	52:1	
10.	मलासा	113	14336	231	62:1	
		1171	157355	2611	60:1	

उच्च प्राथमिक स्तर के ऑकड़े व इण्डीकेटर्स (परिषदीय)

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर की शिक्षा हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये है जिनके कारण जनपद की ग्रेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी और प्राथमिक स्तर की शिक्षा में वृद्धि हुई किन्तु जूनयर स्तर की शिक्षा इससे वंचित रही। इसको सर्वशिक्षा अभियान में शामिल करते हुए सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जायेगा।

परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर का नामांकन व वृद्धि (तीन वर्ष)

वर्ष	कक्षा–6	कक्षा–7	कक्षा–8	योग	गत वर्ष सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
2000–2001	9326	8539	6909	24774	5:
2001–2002	100098	8794	6999	25056	1.1:

कक्षा पॉच उत्तीर्ण बच्चे उच्च प्राथमिक स्तर का विद्यालय निकट न होने के कारण कई बच्चे कक्षा –6 में प्रवेश नहीं लेते है तथा अधिकतर बालिकाए कक्षा छोड़ देती है जिसके कारण ड्राप आउट की समस्या पैदा होती है। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की ड्राप आउट दर निम्न सारिणी में प्रदर्शित है --

परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट दर

सारिणी संख्या 2( )

क्र0 सं0	वर्ष	कक्षा–6			कक्षा–7			कक्षा–8		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	1998–99	5022	3739	8761						
2.	1999–2000				4426	3474	7900			
3.	2000–2001							3847	3062	6909

ड्राप आउट प्रतिशत – 21

जनपद में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 191 है तथा एक राजकीय आदर्श विद्यालय संचालित है। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 587 अध्यापक कार्यरत है। उच्च प्राथमिक 28 विद्यालय एकल अध्यापकीय विद्यालय है। अध्यापकों की कमी के कारण शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नही हो पाती है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अध्यापकों की पूर्ति की जायेगी।

सारिणी संख्या–2
ट्रांजिशन (कक्षा–5 से कक्षा–6)

वर्ष	कक्षा–5	कक्षा–6	ट्रांजिशन दर
2000–2001	30421	9948	32.7
2001–2002	33521	11799	35.2

उक्त सारिणी को देखने से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2000 – 2001 में 30421 छात्रों ने कक्षा –5 उत्तीर्ण करने के सापेक्ष वर्ष 2001 2002 में 11799 छात्र ही कक्षा –6 में प्रवेश लिये। अतः जनपद की ट्रांजिशन दर 35.2 प्रतिशत है। इसका मुख्य कारण उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यसलयों की जनपद में कमी है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस कमी की पूर्ति हेतु 264 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है जिससे उक्त ट्रांजिशन दर में निश्चित रूप से वृद्धि होगी।

अध्याय–3

नियोजन प्रकिया

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में 6–14 वय वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा की परिकल्पना की गयी थी। तबसे लगातार सरकार 6–14 आयु वर्ग के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु प्रयास करती रही है। इसके लिए अनौपचारिक शिक्षा/ आपरेशन ब्लैक बोर्ड/ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जैसी अनेक परियोजनाएं संचालित की गयी। किन्तु 6–14 आयु वर्ग के समस्त बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन, विद्यालय में ठहराव तथा गुणवत्ता परक शिक्षा में आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विगत दो वर्षों से जुलाई माह में स्कूल चलो अभियान जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाये गये। अप्रैल 2000 से जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तृतीय जैसी महत्वपूर्ण परियोजना संचालित है। जिसके अंतर्गत बेसिक शिक्षा में सार्वभौमिक एवं गुणवत्तापरक शिक्षा दिलाये जाने के अनेक प्रयास किये जा रहे है।

भारत सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक तक प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राज्यों मे सर्व शिक्षा अभियान संचालित करने का निर्णय लिया गया हैं। सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र पुरोनिधानेत योजना के रूप में चलाया जायेगा। नवी पंचवर्षीय योजना अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंश दान का प्रतिशत 85:15 दशम पंचवर्षीय योजना में अंशदान का प्रतिशत 75:25 तथा उसके आगे की अवधि के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 50:50 रहेगा।

सूक्ष्म नियोजन एवं ग्राम शिक्षा योजना–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रकिया को विशेष महत्व दिया गया। इस प्रयोजन में यह था कि प्रत्येक बस्ती, प्रत्येक ग्राम, प्रत्येक परिवार के 6–11 वय वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आंकलन किया जाये। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, ग्राम के उत्साही प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा शिक्षकों के लिए उद्देश्यो तथा विधियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण आयोजित किये गये। तथा प्रत्येक ग्राम में बस्तियों की सूची तैयार की गयी बस्तियों की सूची परिशिष्ट में दी गयी है। इस

जनपद में सर्वप्रथम डी.पी.इ.पी. तृतीय 2000–01 में प्रारम्भ किया गया था। ग्राम वासियों के सहयोग से बस्ती तथा प्रत्येक परिवार से सम्बन्धित सभी सूचनाओं जिनकी सूची पहले से तैयार की गयी थीं एकत्रीकरण किया गया और एकत्रित सूचनाओं / आंकड़ों का विश्लेषण करके समस्याओं / आवश्यकताओं की पहचान की गयी।

सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक ग्राम के लिए निम्न सूचनाएं एकत्र की गयी

1. ग्राम के 6–11 वय वर्ग के तथा 11–14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या।
2. विद्यालय / शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
3. विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या।
4. शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों के विद्यालय न जाने का कारण
5. यदि ग्राम में विद्यालय नहीं है तो मानक के अनुसार विद्यालय खोलने की आवश्यकता ।
6. यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना संभव नहीं है तो ग्रामवासी शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं
7. क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त है।
8. यदि नहीं तो इनके सुधार हेतु ग्रामवासियों के क्या सुझाव हैं।
9. क्या विद्यालय में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है तथा इनका अनुपात क्या है?
10. क्या अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय आते है?
11. शिक्षण कार्य की स्थिति, शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्रामवासियों के विचार।
12. पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या।
13. सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करके निम्न कार्य ग्राम वासियों के सहयोग से किये गये–
    1. परिवार सर्वेक्षण
    2. स्कूल का मानचित्र / शैक्षिक मानचित्र
    3. सूचनाओं का विश्लेषण
    4. ग्राम शिक्षा योजनाओं का निर्माण

शैक्षिक मानचित्र / विश्लेषण/ ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी:

ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, उत्साही युवक, युवतियों, शिक्षकों/ शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गॉव की शैक्षिक समस्याओं के साथ–साथ अन्य समस्याओं एवं आवश्यकताओं की परिचर्चा की गयी समूहों द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से ग्राम के सभी परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया। इसके पश्चात शैक्षिक मानचित्र के द्वारा गॉव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्र के विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से ग्राम की उत्तम व्यवस्था हेतु ग्राम शिक्षा योजना बनाई गयी।

शैक्षिक मानचित्र द्वारा प्रत्येक गॉव के लिए निम्नलिखित सूचनायें एकत्र की गयी।

1. बस्ती या ग्राम की पूरी जनसंख्या
2. विभिन्न आयुवर्ग की जनसंख्या
3. स्त्री, पुरूष की जनसंख्या
4. पढ़ने/ न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
5. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी
6. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी
7. बालिका शिक्षा की स्थिति।

उपरोक्त सभी तथ्यों, समस्याओं आदि पर बस्ती के लोगों व समुदाय के सभी सदस्यों से विचार विमर्श के दौरान उभरे बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए परिवारो/ बस्तियों के विवरण को समेकित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी इस योजना को अद्यावधि बनाने के उद्देश्य से पुनः उपरोक्त सारी प्रक्रिया दोहराई गयी ताकि बस्तीवार शैक्षिक योजनायें उपलब्ध हो सके। माइको प्लानिंग डाटा को अद्यावधि बनाने के साथ ही जो ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी उन्हें ग्राम स्तर पर ही विद्यालय में रखा गया ताकि उनका उपयोग गॉव स्तर पर आसानी से हो सके वर्ष 1999–2000 तक माइको प्लानिंग के जो आंकड़े एकत्र किये गये थे उन्हें जनपद स्तर पर संकलित किया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु इसी को आधार बनाया गया

माइको प्लानिंग से प्राप्त परिवारवार बस्तीवार आंकड़ों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोगी बनाने हेतु विकास खण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की सहायता से वर्गीकृत व विकास खण्डवार

शैक्षिक मानचित्र / विश्लेषण/ ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी:

ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, उत्साही युवक, युवतियों, शिक्षकों/ शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गॉव की शैक्षिक समस्याओं के साथ–साथ अन्य समस्याओं एवं आवश्यकताओं की परिचर्चा की गयी समूहों द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से ग्राम के सभी परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया। इसके पश्चात शैक्षिक मानचित्र के द्वारा गॉव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्र के विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से ग्राम की उत्तम व्यवस्था हेतु ग्राम शिक्षा योजना बनाई गयी।

शैक्षिक मानचित्र द्वारा प्रत्येक गॉव के लिए निम्नलिखित सूचनायें एकत्र की गयी।

1. बस्ती या ग्राम की पूरी जनसंख्या
2. विभिन्न आयुवर्ग की जनसंख्या
3. स्त्री, पुरूष की जनसंख्या
4. पढ़ने/ न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
5. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी
6. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी
7. बालिका शिक्षा की स्थिति।

उपरोक्त सभी तथ्यों, समस्याओं आदि पर बस्ती के लोगों व समुदाय के सभी सदस्यों से विचार विमर्श के दौरान उभरे बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए परिवारो/ बस्तियों के विवरण को समेकित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी इस योजना को अद्यावधि बनाने के उद्देश्य से पुनः उपरोक्त सारी प्रकिया दोहराई गयी ताकि बस्तीवार शैक्षिक योजनायें उपलब्ध हो सके। माइको प्लानिंग डाटा को अद्यावधि बनाने के साथ ही जो ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी उन्हें ग्राम स्तर पर ही विद्यालय में रखा गया ताकि उनका उपयोग गॉव स्तर पर आसानी से हो सके वर्ष 1999–2000 तक माइको प्लानिंग के जो आंकड़े एकत्र किये गये थे उन्हें जनपद स्तर पर संकलित किया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यकम तैयार करने हेतु इसी को आधार बनाया गया।

माइको प्लानिंग से प्राप्त परिवारवार बस्तीवार आंकड़ों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोगी बनाने हेतु विकास खण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की सहायता से वर्गीकृत व विकास खण्डवार

संकलित किया गया। 6–14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को दो श्रेणी में विभक्त किया गया। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा गारन्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा/ नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 6–8 वर्ष तथा 9–14 वर्ष के समूहों में आंकलित की गयी। इन बच्चों में बालकों व बालिकाओं की संख्या पृथक–2 ज्ञात की गयी। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की संख्या भी आंकलित की गयी जो कामकाजी है, पैतृक व्यवसाय में माता–पिता की सहायता करते हैं। अथवा सड़क छाप ;जतममज बेपसकतमदद्ध बच्चे हैं।

सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन बस्तियों की सूची तैयार की गयी जो नवीन विद्यालय खोले जाने के मानक पूरा करते है तथा विद्यालय प्रस्तावित किये जाते हैं। उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी जिनमें शिक्षा गारन्टी केन्द्र / वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान की संरचना में अधिक से अधिक बस्तीवार सूचना एकत्रित कर उपयोग में लायी गयी तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या का आंकलन करते हुए उनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु कार्यक्रम रखे गये हैं इन सूचनाओं का विस्तृत विवरण पुस्तिका के अध्याय 7 में दर्शाया गया है।

ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा समस्त समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन का अद्यावधि चक्र सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घ कालीन योजना की प्रथम वार्षिक योजना 2002–2003 के क्रियान्वयन के दौरान पूर्ण किया जायेगा इसके द्वारा प्राप्त सूचनाओं का उपयोग वार्षिक कार्य योजना 2002–03 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु किया जायेगा।

स्कूल चलो अभियानः

जनपद में जुलाई 2002 में बालक बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि को बढ़ाने तथा ड्राप आउट समाप्त करने के उद्देश्य से 2002–03 में स्कूल चलो अभियान चलाया गया जिसके कारण शैक्षिक वर्ष 2002–03 में बालक बालिकाओं के नामांकन में आशानुकूल वृद्धि हुई है। फलस्वरूप जो वातावरण सृजित हुआ है उसका लाभ सर्वशिक्षा अभियान में उठाया जायेगा। स्कूल चलों अभियान का विवरण नीचे दिया गया है। स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के तहत व्यापक प्रचार प्रसार किया गया जनपद में शत प्रतिशत नामांकन कराने का शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन ने संकलप लिया। दिनांक– 25–06–012 को समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों/ प्रति उप0वि0 निरीक्षकों की बैठक आहूत की गयी।

स्कूल चलो अभियान के सन्दर्भ में विस्तृत विचार विमर्श करते हुए शासन की मंशा के अनुरूप 6--14 वय वर्ग के समस्त बच्चों के चिन्हींकरण, उनका शत प्रतिशत नामांकन द्वारा, अवरोध कम करना तथा बालिका शिक्षा को समृद्ध बनाने के निर्देश दिये गये।

1. उसी तिथि को जनपद के सम्मानित दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण के सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशित कर अभिभावकों से अनुरोध किया गया कि कक्षा 1 से 5 तक की पाठ्य पुस्तकें बाजार से क्रय न करें एव 6–14 वय वर्ग के अपने बच्चों का प्राथमक विद्यालय में प्रवेश करायें।

2. दिनांक 02.07.2002 को समस्त स0बे0शि0 अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक/ उप बेसिक शिक्षा अधिकारियों एवं शिक्षक संघो के पदाधिकारियों एवं स्वयं सेवी संगठन के पदाधिकारियों की बैठक की गयी एवं जनपद में संचालित स्कूल चलो अभियान की कार्य योजना कक्षा–1 से 5 तक परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को दी जाने वाली शासकीय सुविधाओं से उन्हें अवगत कराया गया तथा जनपद के जिलाधिकारी के द्वारा समस्त ग्राम प्रधानों को एवं बी0एस0ए0 के द्वारा समस्त प्राथमिक/ पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को पत्र निर्गत किया गया जिसमें स्कूल चलो अभियान की रूप रेखा बालगणना का निर्धारित प्रपत्र दिया गया।

3. दिनांक– 04–07–02 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे कलेक्ट्रेट कानपुर देहात के सभागार में बैठक आहूत की गयी बैठक में जनपद स्तर के सभी विभागों के अधिकारी, उपजिलाधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी, मा0 सांसद, मा0 विधायक, मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत एवं स्वयं सेवी संगठनों के पदाधिकारियों, महाविद्यालय एवं इण्टर कालेज के प्राचार्यो तथा पत्रकार बन्धुओं ने प्रतिभाग किया। बैठक में विस्तृत रूप में सकूल चलो अभियान की चर्चा की गयी तथा इसके सफल कियान्वयन हेतु रणनीति तैयार की गयी।

4. दिनांक 5.07.2002 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी, तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी तथा जिले स्तर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन को कार्यक्रम की समीक्षा हेतु तथा अनुश्रवण हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। दिनांक 05.07.02 को ही विकास खण्ड स्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की अध्यक्षता में प्रधानाध्यापकों की गोष्ठी की गयी जिसमें स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 जुलाई से 5 जुलाई तक किये गये कार्यो की समीक्षा की गयी तथा अभियान की अग्रिम रणनीति से अवगत कराया गया। व्यापक प्रचार प्रसार हेतु

सभी अध्यापकों के नारे लेखन, होल्डिंग बैनर लगाने, प्रभात फेरी, चेतना रैली, मानव श्रृंखला बनाना, नुक्कड़ नाटक, ग्राम शिक्षा समितियों की बैठक एवं जनसम्पर्क हेतु निर्दिष्ट किया गया।

5. दि0 6.7.2002 को ग्राम शिक्षा समितियों की बैठक की गयी तथा चिन्हांकन एवं नामांकन में उनके सहयोग की अपील की गयी अध्यापकों के द्वारा गॉवों में नारे लेखन एवं जनसम्पर्क का कार्य भी किया गया।

6. 7.7.2002 को प्रत्येक विद्यालय स्तर पर, एन.पी.आर.सी. स्तर एवं बी.आर.सी. स्तर पर चेतना रैली एवं प्रभारत फेरी निकाली गयी। रैली में बच्चों के अतिरिक्त, शिक्षक, अभिभावक एवं जन प्रतिनिधियों ने भी प्रतिभाग किया।

7. दिनांक 8.7.2002 को प्रत्येक विकास खण्ड मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, जिला मुख्यालय तथा चौराहों, बाजारों में प्रत्येक जगह प्रचार प्रसार हेतु होर्डिंग, बैनर आदि लगाये।

8. दिनांक 9.7.2002 को जनपद के प्रभारी मंत्री मा0 राजधारी सिंह (वन मंत्री) के मुख्य आतिथ्य में अकबरपुर इण्टर कालेज अकबरपुर में जनपद रतरीय अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों, शिक्षकों एवं स्वयं सेवी संगठनों एवं बच्चों की गोष्ठी तथा प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। जिसमें लगभग 10 हजार बच्चें सम्मिलित हुए हैं।

9. न्याय पंचायत स्तर पर अभियान के दोनों चरणों के सत्यापन एवं समीक्षा हेतु समन्वयक एन.पी.आर.सी. को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया तथा इनके कार्यो के अनुश्रवण हेतु बी.आर.सी. समन्वयकों एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया गया।

इस प्रकार दि0 15 जुलाई 2002 को स्कूल चलो अभियान का समापन किया गया एवं अभिभावकों से सम्पर्क कर बच्चों को प्राथमिक विद्यालय/ पूर्व माध्यमिक विद्यालय में नामांकित कराने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

स्कूल चलो अभियान की उपलब्धियां (प्राथमिक स्तर)

सारिणी संख्या–3 (1)

	कुल बाल गणना			उपलब्धि			अनु0जाति			पिछड़ी जाति			अल्पसंख्यक		
स्तर	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
परिषदीय प्रा0	132789	112088	244977	80417	76938	157355	33310	31349	64659	27695	27392	55087	9445	8840	18285
गैर मान्यता प्राप्त				24548	21154	45702	7887	6346	14233	6628	5288	11910	3927	3384	7311
मान्यता प्राप्त				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
योग	132789	112088	244977	106235	99910	208145	42178	38240	80418	35205	33220	68425	13895	12594	26489

उच्च प्राथमिक स्तर की बाल गणना एवं नामांकन उपलब्धि

सारिणी संख्या 3(2)

	कुल बाल गणना			उपलब्धि			अनु0जाति			पिछड़ी जाति			अल्पसंख्यक		
स्तर	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
परिषदीय प्रा0	454564	35504	13562	11494	25056	5295	4333	9628	4364	3931	8231	8285	1267	1112	2379
गैर मान्यता प्राप्त				3034	2540	5574	1074	902	1976						
मान्यता प्राप्त				24199	18971	43170	8051	5518	13569						

जनपद कानपुर देहात में सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना तैयार करने हेतु निम्नांकित प्रयास किये गये:

1. नियोजन टीम का गठनः किसी भी कार्य को प्रारम्भ करने के लिए किसी न किसी स्तर पर कोई पहल करता है। इतने बड़े सार्थक उद्देश्य (सर्व शिक्षा अभियान) के लिये 8 सदस्यीय नियोजन टीम का गठन किया गया जिसमें निम्नवत सदस्य थे।

   1. श्रीमती शशी दुबे, प्राचार्या, डायट, भैसऊ, कानपुर देहात।
   2. श्री एम0पी0 वर्मा, विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर देहात।
   3. श्री आर0पी0 वर्मा, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर देहात।
   4. डा0 रामस्वरूप विश्वकर्मा, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, अमरौधा, कानपुर देहात।
   5. श्री विकास बाबू, सहायक लेखाधिकारी, डी0पी0ई0पी0, कानपुर देहात।
   6. श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव, जिला समन्वयक, बालिका शिक्षा, डी0पी0ई0पी0, कानपुर देहात।
   7. डा0 अनूप कुमार टण्डन, जिला समन्वयक, प्रशिक्षण, डी0पी0ई0पी0, कानपुर देहात।

8. श्री सतीश चन्द्र दीक्षित, प्रवक्ता, डायट, भैसऊ, कानपुर देहात

सर्वशिक्षा अभियान की कार्य योजनओं को बनाने हेतु निम्न चरणों में कार्यशालायें आयोजित कर इसको अन्तिम रूप दिया गया।

कार्यशाला

क.सं.	तिथियां	स्थल	प्रतिभागियों की संख्या
1.	5 एवं 6 नवम्बर 2002	सीमैट, इलाहाबाद	06
2.	7.11.2002	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कार्यालय	30
3.	28.11.2002	जिला अधिकारी कार्यालय	39
4.	7.11.2002 से 15.12.2002 तक	सामरत विकास खण्ड एवं न्याय पंचायत	4000
5.	10 एवं 11 दिसम्बर 2002	सीमैट, इलाहाबाद	06

2. बस्ती/ग्राम स्तर पर विभिन्न कार्यकर्ताओं के साथ बैठने की गयी सर्वशिक्षा अभियान को आरम्भ करने से पूर्व समुदाय की शिक्षा के प्रति क्या सोच है। उसकी शिक्षा से क्या–क्या अपेक्षायें हैं। इस विषयों पर समुदाय की राय जानना अति आवश्यक है। बिना इसके यह शिक्षा सर्व शिक्षा हो ही नहीं सकती। एफ0जी0डी0 की प्रकिया से उन विशेष क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रखकर पर्सपक्टिव प्लान तैयार किया जा सके। समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते है जो इस तरह के कार्यो में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते है। जिनको कार्यक्रम चलाने पर सम्पर्क व्यक्ति (कान्टेक्स परसन) सोशल एक्टीविस्ट के रूप में सहयोग ले सकते हैं। सन्दर्भ व्यक्तियों की पहचान स्वयं सेवी संस्थाओं की पहचान, पंचायती राज संस्थाओं की सोच, उनके सहयोग आदि की जानकारी एफ0जी0डी0 से हो सकती है। यह कार्य एक उत्तम कोटि का पर्सपेक्टिव प्लान बनाने में सहायक सिद्ध हुआ है।

परियोजना पूर्व की गतिविधियों के अन्तर्गत जिसमें एफ0जी0डी0 टीम का गठन किया गया उनमें वे अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित हैं जिन्होने प्लान बनाने के लिए सीमैट इलाहाबाद के तत्वाधान में आयोजित कार्यशालाओं में प्रतिभाग किया है। इसके अतिरिक्त डी0पी0ई0पी0 के जिला समन्वयक,

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति विद्यालय निरीक्षक, बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, प्राथमिक तथा उच्च प्रा0 विद्यालयों के अध्यापक, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि, तमाम विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा जन प्रतिनिधियों से सहयोग मिला। एफ0जी0डी0 के निष्कर्षों से प्लान को आवश्यकता पर आधारित नीड बेस्ट प्लान बनाने में सहायता मिली।

प्री–प्रोजेक्ट गतिविधियों के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम में प्रधान, पंचायत सदस्य, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों तक यह संदेश एन0पी0आर0 सी0 के द्वारा गया। बी0ई0सी0 को यह अवगत कराया गया कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से समुदाय की सहभागिता पर निर्भर करता है। इसकी योजना एफ0जी0डी0 के जरिये समाज की आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर सूक्ष्म नियोजन ग्रास रूट लेविल प्लानिंग के आधार पर निर्मित की जायेगी। योजना के निर्माण के पश्चात इसका कियान्वयन भी समाज के हर तबके सहयोग से होगा विशेषकर ग्राम पंचायतों को इसके नियोजन, प्रबन्धन सम्बन्धी पर्याप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार होंगे। अनुश्रवण और मूल्यांकन सम्बन्धी भी उनकी भागीदारी होगी। स्वैच्छिक संस्थाओं की सशक्त भागीदारी होगी ताकि वास्तविक अर्थो में यह जनता का अभियान बन सकें।

जनपद में स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर ग्रास रूट प्लानिंग के बाद जनपद स्तर पर नियोजन का स्वरूप निर्धारण किया गया है।

<u>जनपद स्तर पर नियोजनः</u>

जनपद में डी0पी0ई0पी0 कार्यक्रम विगत 2 वर्षो से संचालित है। उसी के वृहद स्वरूप में सर्वशिक्षा अभियान संचालित किया जाना है जिन विकास एजेंसियों से हमें डी0पी0ई0पी0 में सहयोग मिला है और जो मानव संसाधनों का सृजन करते है उन विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें की गयी।

जिला पंचायत अध्यक्ष व जिला बेसिक शिक्षा समिति के सदस्यों के साथ बैठक, मा0 सांसद व मा0 विधायकगण के साथ बैठक, प्रमुख क्षेत्र पंचायत तथा समिति के सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया गया। इसी प्रकार अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में समुदाय के सदस्यों तथा स्वयं सेवी संगठनों से विचार विमर्श किया गया।

इसके अतिरिक्त शिक्षक संगठनों, अभिभावकों विशिष्ट समूहो से विचार विमर्श किया गया।

सामाजिक मूल्यांकन का अध्ययन (सोशियल असिसमेन्ट स्टडी)

शिक्षा के सार्वजनीकरण, विद्यालय में बच्चों के ठहराव, बालिकाओं के ड्राप आउट को कम करने के लिए जनपद कानपुर देहात में सोशल एसिसमेन्ट स्टडी कराई गयी। जो सुझाव प्राप्त हुए वे निम्नवत हैं–

1. **जनपद का लगभग 20 प्रतिशत भाग बीहड़ तथा दस्यु से प्रभावित है इस क्षेत्र में विशेष शिक्षा सुविधा** उपलब्ध करायी जाय।
2. अनुसूचित जाति तथा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में प्रायः अभिभावक शिक्षा के प्रति रूचि नहीं रखते है अथवा ऐसे अभिभावक पढ़े लिखे नहीं होते है। अतः ऐसे बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा सुलभ करायी जाये।
3. प्रत्येक विद्यालय में 40:1 के मानक के अनुसार शिक्षकों की व्यवस्था की जाये तथा शिक्षक अपने कार्यो के प्रति सजग रहे इसके लिए व्यवस्था की जाये।
4. विद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदाय एवं सामान्य वर्ग के निर्धन परिवार के बच्चों को निशुल्क पोशाक तथा शिक्षण सामग्री दी जाये।
5. बीहड़ युक्त क्षेत्रों के विद्यालयों में स्थानीय अध्यापकों की व्यवस्था की जाये।
6. प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय की मूलभूत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाये।
7. प्रत्येक विद्यालय को चहारदीवारी युक्त बनाया जाये।
8. सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के समुदाय के सभी बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाये।
9. शिक्षक विद्यालय में पठन–पाठन की प्रकिया तथा दैनिक दिनचर्या को सही ढंग से संचालित करे, शिक्षकों को सेवारत प्रशिक्षण दिया जाये।
10. शिक्षक अभिभावक और समुदाय के बीच आपस में विचार विमर्श करवाया जाये।
11. विकलांग बच्चो हेतु शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाये।
12. बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ाने के लिए सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु अभिभावकों को प्रेरित किया जाये।
13. विद्यालयों का नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कराया जाये।
14. बच्चों के शारीरिक विकास हेतु विद्यालयों में खेलकूद के उपकरण दिये जाये।
15. विकास खण्ड स्तर पर कीड़ा शिक्षक, स्काउट शिक्षक की व्यवस्था की जाये।
16. ईट भट्टो में काम करने वाले बाल श्रमिकों एवं 3–5 वय वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करायी जायें
17. जनसंख्या नियंत्रण हेतु कक्षा–3 से ही जनसंख्या शिक्षा दी जाये।

उक्त सुझावों को सर्व शिक्षा अभियान में सम्मिलित कर दिया गया है।

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/ विभागों से समन्वय व सहयोगः

प्रारम्भिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागों से सुनियोजित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है–

अ. **आई0सी0डी0एस0 के साथ समन्वयः**

जिला कार्यक्रम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मी, एन0जी0ओ0 आदि को सम्मिलित कर जिला संदर्भ समूह तथा विकास खण्ड संदर्भ समूह का गठन किया जाता है और निम्नवत **आई0सी0डी0एस0 के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है–**

1. आँगनबाड़ी केन्द्रों का समय स्कूलों के समयानुसार निर्धारित किया जाता है।
2. आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण में या उनके निकट की जाती है।
3. आंगनबाड़ी केन्द्रों को शिक्षा सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।
4. केन्द्रों के संचालन के अतिरिक्त समस्या हेतु आनुपातिक ढंग अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।

ब. **स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वयः**

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा। जिससे चिन्हित रोगी छात्र छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जा सके तथा बच्चों के स्वास्थ्य की समुचित देखभाल हो सके। स्वास्थ्य कार्ड का रखरखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत विकित्सकों की सेवाएं ली जाती है। चिकित्सकों के आने जाने की व्यवस्था विभाग से की जाती है।

स. **समाज कल्याण विभाग से समन्वयः**

समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनु0जाति के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु क्रमशः 300/– व 480/– प्रति छात्र की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

द. **ग्राम पंचायतों से समन्वयः**

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबन्ध समितियों द्वारा निशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है। जहाँ पर विद्यालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता है।

य. <u>खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वयः</u>

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समन्वय एवं सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 80 प्रतिशत मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र छात्रा को 3 किलोग्राम प्रति छात्र की दर से (मिड डे मील) पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान्न वितरित किया जाता है।

र. <u>विकलांग कल्याण विभाग से समन्वयः</u>

विकलॉक कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र छात्राओं को उपकरण (ट्रॉय साइकिल, वैसाखी आदि) उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है। बच्चों के चिन्हींकरण में सहयोग किया जाता है। शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किए जाते हैं कि विकलांगों को सहायतार्थ उपकरणों / संयंत्रों के वितरण में छात्र छात्राओं को प्राथमिकता दी जाये।

ल. <u>उ0प्र0 जल निगम / यू0पी0 एग्रो से समन्वयः</u>

इन दोनों विभागों के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए पेय जल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्ड पम्पों की स्थापना की जाती है।

व. <u>युवा कल्याण विभाग से समन्वयः</u>

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की क्रीड़ा प्रतियोगिता सम्पादित करायी जाती है ताकि उनमें खेल भावना का विकास हो सके। नेहरू युवा केन्द्रों तथा युवा मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय समुदाय की सामुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है।

श. <u>पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वयः</u>

इन दोनों विभागों से समन्वय स्थापित करके पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों को 300/– प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति वितरित करायी जाती है ताकि छात्रों को गणवेश एवं आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सके।

ष. <u>जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वय:</u>

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डी0आर0डी0ए0) से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण 40 प्रतिशत धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर शेष 60 प्रतिशत धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों को आच्छादित किया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा। उपर्युक्त विभागों के साथ पूर्व से ही कन्वर्जेन्स स्थापित है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

'सब पढ़े सब बढ़े'

परिवार सर्वे के अनुसार 46271 बच्चें विभिन्न कारणों से विद्यालय नही जा रहे हैं। सर्व के अनुसार मुख्य रूप से घरेलू कसार्यों में लगे रहना, भाई–बहनों की देखभाल में लगे रहने के कारण विद्यालय नही जा पा रहे है यह निम्न सारिणी से स्पष्ट है –

विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण

क्रम	कारण	बालक	बालिका	योग
1.	घरेलू कार्य	782	857	1639
2.	मजदूरी	226	58	284
3.	भाई बहनों की देखभाल	3765	4897	8662
4.	विद्यालय दूर होना	111	59	170
5.	अन्य	19449	16067	35516

विद्यालय से बाहर इन बच्चों को विद्यालय में लाने हेतु विभिन्न रणनीतियाँ जिला परियोजना समिति द्वारा प्रस्तावित की गई है।

स्कूल चलो कार्यक्रम, ग्रीष्मकालीन शिविर दादि के माध्यम से 31.7.2003 तक 30010 बच्चों का नामांकन किया गया । 30.09.2003 तक 37017 बच्चों कर प्रवेश हो जायेगा। 9254 बच्चों के लिये निम्न कार्यक्रम संचालित किये जायेगे –

कार्यक्रम स्थल	वर्ष 2003–2004	बच्चें
एन.पी.आर.सी. स्तर पर ब्रिज कोर्स	109	4360
वैकल्पिक केन्द्र	15	594
नवीन व्राथमिक विद्यालय	86	4300
योग		9254

अध्याय – 4

सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लाभ

भारत सरकार ने संविधान 93 वां संशोधन करके प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकृत कर शिक्षा जगत में एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है। 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालक / बालिकाओं को प्रा0 शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा अपनी प्रतिबद्धता को कार्यरूप में परिणित करने के लिए 2007 तक शत प्रतिशत नामाकंन एवं ठहराव सुनिश्चित किया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु जनपद स्तर पर मुख्य रूप से निम्नलिखत लक्ष्य निर्धारित किये गये है।

1. वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय, शिक्षा गारन्टी केन्द्र (वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र, बैक टू स्कूल शिविर) आदि के माध्यम से शत–प्रतिशत नामांकन।
2. वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक की प्रा0 शिक्षा पूर्ण कर लेना।
3. वर्ष 2007 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
4. गुणवत्ता परक प्रारम्भिक शिक्ष प्रदान करना।
5. बालक बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गो के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2007 तक उच्च प्रा0 स्तर पर नामांकन ठहराव व सम्प्राप्ति में अन्तर समाप्त करना।
6. वर्ष 2007 तक सार्वभौमिक ठहराव।

उक्तवत् अंकित राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनपद के लिए भी मान लिया गया है। उक्त वृहद लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये है जिनका आगे पृष्ठो में अंकित है।

नामांकन के लक्ष्य

बाल संख्या तथा नामांकन प्रोजेक्शन हेतु अपनायी गयी विधा–

जनगणना 2001 से प्रदेश की जनपदवार जनसंख्या के ऑकड़े प्राप्त हो गये है। जनगणना 1999 की संख्या के आंकड़ों को आधार मानते हुए विगत 10 वर्षों में जनपद में जनसंख्या में हुयी वृद्धि के आधार पर नीपा, नई दिल्ली के माडयूल में वर्णित ब्वउचनदक त्जम व िळतवूजो डमजीवक से जनपद की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात की गयी।

इस वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2002 से 2007 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है।

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत करायी गयी बालगणना तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के मध्यम से 6–11 तथा 11– 14 वय वर्ग के वच्चो की कुल यंख्या के अनुसार 2002–2007 तक बाल संख्या प्रक्षेपित की गयी है। इन ऑकड़ो का पुनरावलोकन आगामी वार्षिक योजनाओं में किया जायेगा।

नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी0 ई0 आर0 को आधार मानते हुए नीपा नई दिल्ली द्वारा प्रतिपादित Enrollment Ratio Method से 2002 से 2007 तक जी0 ई0 आर0 प्रक्षेपित किया गया। वर्ष विशेष के लिए प्रक्षेपित जी0 ई0 आर0 तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से

उस वर्ष के लिए नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथमिक स्तर 6 से 11 वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर 11 से 14 के लिए वर्ष 2007 तक शत–प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। चूंकि कुल नामांकन में ओवर ऐज तथा अण्डर ऐज बच्चें भी होगें अतः जी0 ई0 आर0 का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है। कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्रा0 स्तर पर वर्ष 2007 के बाद जी0 ई0 आर0 में वृद्धि कम होगी। क्योंकि जितने बच्चे 6 से 11 वर्ष तथा 11 से 14 वर्ष के बढ़ेगें उतने ही लगभग नामांकन में बढ़ेगें। वर्ष 2002 से 2007 तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की 6 से 11 वर्ष की बाल संख्या व नामांकन तथा 11 से 14 की बाल संख्या का नामांकन निम्नवत् है।

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य–
सारणी संख्या 4 (1)

क्रमांक	वर्ष	6–11 वर्ष के कुल बच्चो की संख्या	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	मान्यता / गैर मान्यता प्राप्त नामांकित बच्चों की संख्या	परिषदीय नामांकित बच्चों की संख्या	विद्यालय से बाहर जो बच्चे विद्यालय में नही जा रहे है वर्षवार	एन0ई0आर0	बालिका + अनु0 जाति बालक का प्रतिशत (परिषदीय)
1.	2001–2002	244877	208145	50790	157355	36732	85	105428
2.	2002–2003	249775	242281	51806	190476	7493	97	127610
3.	2003–2004	254770	254770	52842	201928	0	100	135292
4.	2004–2005	259865	259865	53899	205967	0	100	137998
5.	2005–2006	265063	265063	54977	210086	0	100	140758
6.	2006–2007	270364	270364	56076	214288	0	100	143573
7.	2007–2008	275771	275771	57198	218573	0	100	146444
8.	2008–2009	281287	281287	58342	222945	0	100	149373
9.	2009–2010	286912	286912	59509	227404	0	100	152361

स्त्रोत – विभागीय ऑकड़े

सारणी संख्या 4 (2)

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य–

क्रमांक	वर्ष	11–14 वर्ष के कुल बच्चो की संख्या	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	मान्यता / गैर मान्यता प्राप्त नामांकित बच्चों की संख्या	परिषदीय नामांकित बच्चों की संख्या	विद्यालय से बाहर जो बच्चे विद्यालय में नही जा रहे है वर्षवार	एन0ई0आर 0	बालिका + अनु0 जाति बालक का प्रतिशत (परिषदीय)
1	2001–2002	81163	73800	45052	28448	7363	91	19261
2	2002–2003	82786	76991	45953	31038	5795	93	20796
3	2003–2004	84442	81064	46872	34192	3378	96	22909
4	2004–2005	86131	86131	47810	38321	0	100	25675
5	2005–2006	87853	87853	48766	39088	0	100	26109
6	2006–2007	89611	89611	49741	39869	0	100	26713
7	2007–2008	91403	91403	50736	40667	0	100	27247
8	2008–2009	93231	93231	51751	41480	0	100	27792
9	2009–2010	95095	95095	52786	42310	0	100	28348

स्त्रोत – विभागीय ऑकड़े

ठहराव के लक्ष्य–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिले की प्लान संरचना में वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2007 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया हैं तद्नुसार प्राथमिक स्तर / उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गये है। जो निम्नवत् हैं–

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर	उच्च प्राथमिक स्तर
2001–02	28.3	21.00
2002–03	24	18.00
2003–04	19	15.00
2004–05	13	11.00
2005–06	06	06.00
2006–07	00	03.00

परियोजना क्रियान्वयन के दौरान जनपद में ड्राप आउट सम्बन्ध में हुयी प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करने हेतु पृथक–पृथक "कोहोर्ट स्टडी" करायी जायेगी।

अध्याय – 5

समस्यायें व रणनीतियॉ--

सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन की प्रक्रिया पूणतिया विकेन्द्रीकृत रूप में अपनायी गयी ळै। शिक्षकों, ग्राम प्रधानो, अभिभावकों आदि के साथ ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, विकास खण्ड तथा जनपद स्तर पर बैठके कर ली गयी है। इन बैठकों में विचार विमर्श के बाद प्रारम्भिक शिक्षा क्षेत्र के मुख्य समस्यायें व मुद्दे निम्नवत् उभर कर आये है इन समस्याओं के समाधान हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अपनायी जाने वाली रणनीतियां इस प्रकार है।

(क) शिक्षा की पहुॅच–

	मुद्दे	रणनीतियॉ
1.	असेवित बस्तियों में विद्यालय उपलब्ध नहीं है।	परिवार सर्वेक्षण के आधार पर तीन सौ से अधिक आबादी वाले 236 असेवित बस्तियों के लिए 236 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जायेगें। इसी प्रकाद 800 से अधिक आबादी वाले 254 असेवित बस्तियों के लिए 254 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेगें।
2.	300 से कम आबादी वाले बिखरी बस्तियों में 1.5 किमी0 के अन्दर कोई शैक्षिक सुविधा नहीं है एवं 800 से कम आबादी वाली बस्तियों में 3 किमी0 के अन्दर कोई उच्च प्रा0 विद्यालय नहीं है।	इन बस्तियों के लिए 127 ई0जी0एस0 केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इन बस्तियों के लिये 50 ए0आई0ई0 केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।
3.	काम काजी वच्चों के लिए शिक्षा की विशेष सुविधाओं का आभाव है।	समस्त कामकाजी वच्चों को शिक्षा से जोड़ने हेतु वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी ईट के भट्टे तथा दुग्ध पालन तथा दरी उद्योग में लगे हुए परिवार के बच्चों के लिए शिक्षागार तथा ग्रीष्म कालीन शिविर का आयोजन किया जायेगा।

(ख) नामांकन सम्बन्धी–

	मुद्दे	रणनीतियॉ
1.	समुदाय में बच्चों के पठन–पाठन प्रक्रिया के प्रति जागरूकता नहीं है।	ग्राम शिक्षा समितियों को सक्रिय करते हुए मासिक बैठकों का आयोजन कराया जाएगा। विद्यालयों द्वारा रैली का आयोजन, शिक्षा सप्ताह का आयोजन करते हुए जन जग्राति तथा समुदायिक सहभागिता सुनिश्चित किया जायेगा।
2.	समाजन के कुछ वर्ग विपन्नता से प्रभावित है।	आर्थिक दृष्टि से पिछड़े अभिभावकों को बच्चों से कार्य न लेने हेतु प्रेरित किया जायेगा। शिक्षा के महत्व को समझाते हुए उनके बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित किया जायेगा। क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार जैसे बांस की टौकरी, पंखा बनाना, गुड़िया, खिलौना, बुनाई, चित्रकारी, कागज के चित्र एल्बम आदि की शिक्षा पर बल दिया जायेगा।
3.	बच्चों का घरेलू कार्य में व्यस्त होना	अभिभावकों तथा ग्रामीण जनों में जागरूकता लाते हुए बच्चों से घरेलू कार्य न कराये जाने तथा विद्यालय के लिए समय देने के प्रति प्रेरित किया जायेगा। विद्यालय में प्रवेश कराने हेतु वातावरण का सृजन किया जायेगा।
4.	छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं/प्रोत्साहनों के सदुपयोग की कमी।	विद्यालय में छोत्रों का नामांकन बढ़ाने, उनके ठहराव को बनाए रखने तथा स्कूल में दिया जाने वाला पोषाहार, छात्र वृत्ति, तथा निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा। इसे इस प्रकार कराया जाएगा कि विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति तथा ठहराव सुनिश्चित करने में सहयोग मिल सके।

(ग) ठहराव सम्बन्धी–

मुद्दे	रणनीतियाँ
1. जन सहयोग एवं समर्थन की कमी।	समाजिक रूढ़ियों तथा अभिभावकों की उदासीनता को समाप्त करते हुए जन सहयोग प्राप्त करके बच्चों का ठहराव विद्यालयों में सुनिश्चित किया जाएगा।
2. विद्यालय सौन्दर्यीकरण तथा वातावरण में आकर्षण का आभाव।	विद्यालय के बागवानी, साज–सज्जा से सज्जित करते हुए आकर्षक बनाया जाएगा तथा विद्यालय में बच्चों के खेलने तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु वातावरण उपलब्ध होने की व्यवस्था की जायेगी।
3. विद्यालय सौन्दर्यीकरण की सुरक्षा का आभाव।	चहारदीवारी विहीन 1105 प्रा0वि0 तथा 165 उच्च प्रा0 वि0 चहार दीवारी निर्माण करते हुए विद्यालय के लिए आकर्षक बागवानी की व्यवस्था की जायेगी।
4. पेय जल, शौचालय का आभाव।	पेयजल सुविधा विहीन 172 प्रा0 वि0 62 उच्च प्रा0 वि0 तथा शौचालय विहीन 751 प्रा0 वि0 तथा 72 उच्च प्राथमिक वि0 को क्रमशः हैण्ड पम्प तथा शौचालय सुविधा प्रदान करते हुए अध्ययनरत बालक बालिकाओं का विद्यालय में ठहराव बढ़या जायेगा।

(घ) गुणवत्ता सम्बन्धी–

	मुद्दे	रणनीतियाँ
1.	नवीन पाठ्य क्रमानुसार शिक्षकों के ज्ञान में कमी।	नवीन पाठ्य क्रमानुसार शिक्षकों के ज्ञान को आधुनिक बनाने हेतु उन्हें भाषा गणित विज्ञान विषयों में प्राथमिक स्तर पर तथा गणित, अंग्रेजी, संस्कृत एवं विज्ञान विषयों में उच्च प्राथमिक स्तर पर सेवारत प्रशिक्षण प्रति वर्ष दिया जायेगा।
2.	विद्यालय परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षण–प्रशिक्षण का न होना।	सामाजिक रीति रिवाज, स्थानीय परिस्थितियों तथा विद्यालय में शिक्षकों के अनुरूप ढालने की क्षमता का विकास विशेष पुन र्बोधात्मक प्रतिक्षणां के माध्यम से कराया जायेगा।
3.	निरीक्षण आधिकारियों का पुनर्बोधित्मक प्रशिक्षण न होना।	नवीन पाठ्यक्रमों की जानकारी सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य को प्राप्त कराने के उपायों के क्रियान्वयन तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षकों को ढालने के साथ–साथ शिक्षकों के गुणवत्ता सम्बर्धन हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने की दृष्टि से निरीक्षकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्ष कराया जायेगा।
4.	समुदाय में पठन–पाठन प्रक्रिया समुचित ज्ञान की कमी।	शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करने के साथ ही ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों माता, शिक्षक संघ तथा अभिभावक शिक्षक संघ के सदस्यों को शिक्षा के गुणवत्ता सम्बन्धी कार्यक्रमों से भी परिचित कराया जायगा।

5. शिक्षकों में सहायक शिक्षण सामग्री के निर्माण एवं उपयोग कौशल का उपपत्ति होना।	पाठो के अनुरूप शिक्षण सामग्री का निर्माण सम्बन्धित कक्षाध्यापक द्वारा कराया जायेगा। ताकि छात्रों में विषय वसतु को समझने में आसानी हो। साथ ही कक्षा शिक्षण को अनुदान दिया जायेगा। विद्यालय स्तर से लेकर विकास खण्ड स्तर पर विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संकलन भवन निर्माण, पोषाहार, वितरण तथा अन्यान्य गैर विभागीय कार्यो के निस्तारण में शिक्षकों की व्यस्तता को कम किया जायेगा तथा उनका पूरा समय शिक्षण तथा छात्रों के हितों में व्यती हो ऐसा क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा समय प्रबन्धक की क्षमता विकसित की जायेगी।

(ड) संस्थागत क्षमताओं सम्बन्धी–

मुद्दे	रणनीतियॉ
1. न्यापंचायत एवं ब्लाक संसाधन केन्द्र पर विद्यालय के पर्यवेक्षण हेतु अपर्याप्त क्षमताये होना।	न्याय पंचायत एवं ब्लाक संसाधन केन्द्रो के समन्वयकों का मुख्य दायित्व शिक्षकों के गुणवत्ता एवं दक्षता का विकास हेतु निर्धारित किया जायेगा। न्याय पंचायत एवं विकास खण्ड स्तर पर सूचना संकलन में बिताये जा रहें समय के प्रति दक्ष बनाने का कार्य किया जायेगा तथा उन्हें शिक्षण कार्य में अभिरूचि अध्ययन करने विद्यालय प्रबन्धन के प्रति दक्ष बनाने का कार्य किया जायेगा।

2. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कक्षा–कक्ष परिस्थितियों के अनुरूप प्रशिक्षण न दिया जाना।	ब्लाक संसाधन केन्द्रो तथा एन0पी0आर0सी0 केन्द्रो के शैक्षिक पर्यवेक्षण व अवादमिक सर्पोट देने के लिए क्षमतावान बनाया जायेगा। ताकि विद्यालय व शिक्षकों को नियमित रूप से मार्ग दर्शन व अकादमिक सर्पोट प्राप्त हो सके।
3. प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य की कमी।	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वे शिक्षकों में स्थानीय परिस्थितियों तथा कक्षा की परिस्थितियों के अनुरूप प्रशिक्षण करें तथा बहु कक्षा शिक्षण की विद्या से भी परिचित करायें।
4. विद्यालय संख्यकीय तथा इन्डीकेटर्स का अपर्याप्त उपयोग।	प्राथमिक शिक्षा की समस्यायें प्रगति तथा विभिन्न क्रिया कलापों के क्रियान्वयन सम्बन्धी शोध कार्य की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी तथा सुझाये गये तरीकों का उपयोग करते हुये कक्षा को प्राप्त किया जायेगा। ई0 एम0 आई0 एस0 को और सुदृढ़ बनाया जायेगा तथा आकड़े नियमित रूप से संकलित कर विश्लेषण कराकर प्राप्त निष्कार्षो का उपयोग वार्षिक कार्य योजना निर्माण में किया जायेगा।
5. उपयुक्त भवन कक्षा, कक्ष साज–सज्जा तथा शिक्षकों की कमी।	प्राथमिक स्तर पर 549 कक्षा–कक्ष शिक्षकों की कमी तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 49 कक्षा–कक्ष शिक्षकों की कमी को दूर किया जायेगा। समस्त विद्यालयों में पर्याप्त साज–सज्जा की व्यवस्था की जायेगी।
6. शिक्षकों में कार्य के प्रति अभिप्रेरणा की कमी तथा बहुश्रेणी शिक्षण के कौशल का न होना।	शिक्षकों में नियमित बोधात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से कर्तव्य बोध का ज्ञान कराते हुए शिक्षा के प्रति समर्पण भाव जाग्रत किया जायेगा।

अध्याय – 6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार
(औपचारिक विद्यालय)

1. नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना

6–11 वय वर्ग के बालकों के विद्यालयों में शत–प्रतिशत नामांकन हेतु समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। स्कूल चलो अभियान तथा शिक्षा के सार्वभौमीकरण जैसे अभियानों के माध्यम से उक्त आयु वर्ग के बच्चों को प्रेरित करके उन्हें विद्यालय में नामांकित करा भी दिया जाय तो विभिन्न कारणों वश बच्चे विद्यालय मे प्रतिदिन नहीं उपस्थित होते और धीरे–धीरे वह बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। इन तथ्यों को यदि गहनता से देखा जाय तो विद्यालय छोड़ने के लिये प्राथमिक विद्यालय का अधिक दूर होना इसका मुख्य कारण है। इसका सीधा तात्पर्य यह हुआ कि बच्चे की पहुँच के अन्दर प्राथमिक विद्यालय का न होना।

शासन द्वारा प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हेतु 300 की आबादी तथा 1.5 किमी0 की परिधि का मानक निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जनपद कानपुर देहात में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम – 111 के अन्तर्गत 125 असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी किन्तु जनपद की भौगोलिक बीहड़ क्षेत्रों की बहुलता एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण उक्त प्राथमिक विद्यालयों के अतिरिक्त नवीन प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

इसी प्रकार 11–14 आयु वर्ग के समस्त बच्चों को विद्यालय में प्रवेश तथा विद्यालय में ठहराव के लिये उच्च प्राथमिक स्तर तक के विद्यालयों की संख्या कम है। इस कमी की पूर्ति हेतु जनपद में परिवार एवं बस्तीवार सर्वेक्षण तथा मानचित्रण कराकर

असेवित बस्तियां चिन्हित की गयी और उन बस्तियों में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक की विद्यालीय सुविधा सुलभ कराने का प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान में किया जा रहा है, जनपद कानपुर देहात में कुल बस्तियों की संख्या 1931 है जिनमें 236 वस्तियां ऐसी हैं जिनकी आवादी 300 से अधिक है और 1.5 किमी0 की परिधि में कोई प्राथमिक विद्यालय की सुविधा नहीं है। क्च्च्म्च्च के अन्तर्गत कुल 250 प्रा0वि0 की मांग के सापेक्ष मात्र 125 प्रा0वि0 स्वीकृत होने के कारण सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन बस्तियों में प्राथमिक स्तर की विद्यालीय सुविधा सुलभ कराने की दृष्टि से देखा गया तो जनपद में 236 प्राथमिक विद्यालय खोले जाने पर 300 से अधिक आबादी वाली समस्त असेवित वस्तियों को विद्यालीय सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, अतः जनपद में 236 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान में किया गया है।

1.क. शिक्षक व्यवस्था :–

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक तथा एक सहायक (शिक्षा मित्र) अध्यापक की व्यवस्था प्रस्तावित है। इन शिक्षकों को सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस छात्र संख्या वृद्धि के अनुपात में शिक्षकों की संख्या बढ़ायी जा सकती है।

1. ख–विद्यालय साज सज्जा :–

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने तथा विद्यालयों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानक के अनुसार निर्धारित धनाशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस इस उपलब्ध धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा। इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री को क्रय किया जायेगा– मेज, कुर्सी, बाल्टी, घण्टा, लोटा, गिलास, टाटपट्टी, अलमारी, सन्दूक, श्यापट्ट, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्विपमेंट (ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, रिंग, गेंद, कूदने की रस्सी, टायर युक्त कूदने की रस्सी)

कक्षा शिक्षण सामग्री (गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, शब्दकोष, ज्ञान कोष, खिलौने, बौद्धिक खेलकूद के ब्लाक आदि)। उक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी, किन्तु ग्रामीण अंचलों में विज्ञान किट, गणित किट, सुलभता से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, इसलिये इनकी व्यवस्था जनपदीय क्रय समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

1ग–पेयजल, शौचालय तथा चाहरदीवारी की व्यवस्था :–

नवीन प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय भवन की समुचित व्यवस्था के साथ–साथ पीने के लिये स्वच्छ पानी की व्यवस्था हेतु इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प लगाये जायेंगे। प्रत्येक विद्यालय में बालक/बालिकाओं के लिये अलग–अलग शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा। विद्यालय प्रांगण सुसज्जित रखने, पेड़ पौधे सुरक्षित रखने तथा बालिकाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये चहारदीवारी बहुत ही आवश्यक है। अतः प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय चहारदीवारी युक्त बनाया जायेगा।

1 क. शिक्षक व्यवस्था :–

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषयवार तथा कक्षावार शिक्षकों की व्यवस्था होती है इसके लिये एक अनुभाग पर डेढ़ में [illegible] 1 प्रधानाध्यापक [illegible] 4 सहायक अध्यापक जिनमें से एक गणित, एक संस्कृत, एक हिन्दी, अंग्रेजी, भाषा एवं सामाजिक विषय तथा एक शिक्षक खेलकूद/संगीत तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम में रूचि रखने वाले की व्यवस्था की जायेगी। बालिकाओं की शिक्षा में गुणवत्ता लाने तथा बालिकाओं का विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुये उक्त शिक्षकों में से ही एक महिला शिक्षिक की व्यवस्था की जायेगी। इन शिक्षक शिक्षिकाओं का सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण देकर शिक्षण कार्य में दक्ष बनाया जायेगा।

1ख–विद्यालय साज सज्जा –

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में साज सज्जा एवं शिक्षण सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्ये से करायी जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति को मानक के अनुसार धनराशि प्रेषित की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति को मानक के अनुसार धनराशि प्रेषित की जायेगी। इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री को क्रय किया जायेगा– मेज, कुर्सी, बाल्टी, लोटा, गिलास, घण्टा, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्युपमैन्ट, (ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, बांसुरी आदि), कीड़ा सामग्री (फुटबाल, बालीवाल, स्कीपिंग रो, हवा भरने की पम्प, क्लास रूम टीचिंग मैटीरियल, गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, ज्ञान कोष, टू इन वन, आदि–आदि तथा शिक्षक सहायक सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

1ग–पेयजल, शौचालय एवं चहारदीवारी :–

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पीने के पानी हेतु इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प की स्थापना करायी जायेगी। प्रत्येक विद्यालय में बालक–बालिकाओं के लिये अलग–अलग शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा। विद्यालय प्रांगण को सुसज्जित रखने, पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने तथा बालिकाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक उच्च विद्यालय में चहारदीवारी का निर्माण कराया जायेगा। इन सबकी लागत को प्रत्येक विद्यालय की यूनिट कास्ट में सम्मिलित किया गया है।

निर्माण कार्यदायी संस्था तथा निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण :–

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता की भावना जागृत करने हेतु उनके भवनों के निर्माण का कार्य ग्राम शिक्षा

समितियों के माध्यम से किराया जायेगा ताकि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का अधिकाधिक समावेश किया जा सके।

विद्यालय भवन, शौचालय, हैण्डपम्प, चहारदीवारी आदि का निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से कराने का प्रस्ताव कियागया है। निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण विकास खण्ड पर उपलब्ध ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अभियन्ताओं से कराया जाता है। इस सम्बन्ध में कटु अनुभव है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण उक्त अभियन्ताओं द्वारा कराया जा रहा है किन्तु इन अभियन्ताओं द्वारा समय-समय पर तकनीकी पर्यवेक्षण नहीं किया जाता है। जिससे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की जांच समय पर नहीं हो पाती है तथा निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाता है। अस्तु उचित होगा कि ब्लाक स्तर पर विभागीय अवर अभियन्ता तथा जनपद स्तर पर एक सहायक अभियन्ता की नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया है।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था :-

भारत सरकार द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक दो प्राथमिक विद्यालयो पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता का संकल्प लिया गया है। जनपद में पहले से संचालित प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय आदि यथासम्भव उपलब्ध हैं। जनपद कानपुर देहात में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के खोलने की योजना 2:1 के आधार पर बनायी गयी है। जिला परियोजना समिति ने विचारोपरान्त यह तय किया है कि यथासम्भव नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वर्तमान में संचालित प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में ही की जायेगी, जिससे प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भूमि, हैण्डपम्प, शौचालय,

चहारदीवारी भवन तथा अन्य भौतिक संसाधनों का अधिकतम् उपयोग किया जा सके। जिससे नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना में पूर्व से स्थापित हैण्डपम्प, पूर्व से निर्मित शौचालय आदि मदों पर बचत की जा सकेगी।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण :–

प्रथमतः नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बस्ती की आबादी एवं दूरी के मानक के अनुसार की जायेगी। कानपुर देहात में छात्र/छात्राओं की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता एवं विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के आंकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रति वर्ष कराया जायेगा, जिससे बाद आगामी वर्ष में बजट एवं वार्षिक कार्ययोजना में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य के लिये दो लाख का वित्तीय प्रावधान प्रति वर्ष रखा गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों/सूचना का प्रयोग परियोजना के द्वितीय वर्ष से किया जायेगा।

अध्याय–7

शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा 'बच्चे–बच्चे तक शिक्षा की पहुँच का विस्तार''

हमारे संविधान में 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने का संकल्प निर्माताओं द्वारा लिया गया था जिसका लक्ष्य प्राप्त करने हेतु गांव–गांव में प्राथमिक विद्यालय एवं समय–समय पर विभिन्न शैक्षिक परियोजनाओं का भी संचालन किया गया फिर भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कुछ पीछे रह गये। तब इस कारण के बारे में चिंतन और गहन अध्ययन किया गया कि हम लक्ष्य प्राप्त कयों नहीं कर सके। जिसके लिए विश्व बैंक, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार एवं विभिन्न स्वयं सेवी संगठनोकं तथा महान शिक्षा विदों द्वारा किए गए सर्वेक्षण एवं अध्ययन से यह बात सांन में आयी कि वर्तमान समय में भी कुछ ऐसे बच्चे है जो विभिन्न परिस्थितियों के कारण आज भी शिक्षा से वंचित हैं। जैसे उन छोटे–छोटे मजरों के बच्चों जिनका विद्यालय मजरे से 1.5–2.00 किमी की दूरी पर है।

विद्यालय के निकट होते हुए भी प्राकृतिक अवरोध होने जैसे–नदी, नाला, जंगल, रेल लाइन या राजमार्ग विद्यालयों के रास्तें में होना। बीहड़ पट्टी क्षेत्र अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के बच्चें जिनके माता–पिता कार्य करने जाते हैं।

'सब पढ़े सब बढ़े'

परिवार सर्वे के अनुसार 46271 बच्चें विभिन्न कारणों से विद्यालय नही जा रहे है। सर्वे के अनुसार मुख्य रूप से घरेलू कसार्यों में लगे रहना, भाई–बहनों की देखभाल में लगे रहने के कारण विद्यालय नही जा पा रहे है यह निम्न सारिणी से स्पष्ट है –

विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण

क्रम	कारण	बालक	बालिका	योग
1.	घरेलू कार्य	782	857	1639
2.	मजदूरी	226	58	284
3.	भाई बहनों की देखभाल	3765	4897	8662
4.	विद्यालय दूर होना	111	59	170
5.	अन्य	19449	16067	35516

विद्यालय से बाहर इन बच्चों को विद्यालय में लाने हेतु विभिन्न रणनीतियाँ जिला परियोजना समिति द्वारा प्रस्तावित की गई है।

स्कूल चलो कार्यक्रम, ग्रीष्मकालीन शिविर दादि के माध्यम से 31.7.2003 तक 30010 बच्चों का नामांकन किया गया । 30.09.2003 तक 37017 बच्चों कर प्रवेश हो जायेगा। 9254 बच्चों के लिये निम्न कार्यक्रम संचालित किये जायेगे –

कार्यक्रम स्थल	वर्ष 2003–2004	बच्चें
एन.पी.आर.सी. स्तर पर ब्रिज कोर्स	109	4360
वैकल्पिक केन्द्र	15	594
नवीन प्राथमिक विद्यालय	86	4300
योग		9254

शाला त्यागी :–

व्यवहारिक रूप से न्यूनतम् 25 प्रतिशत लगभग प्रतिवर्ष शालात्यागी हो जाते है। अतः प्रत्येक वर्ष स्कूल न जाने वाले बच्चों को निम्न कार्यक्रमों के माध्यम से नामांकन कराया जायेगा –

(रूपए हजार में)

क्र. स.	कार्यक्रम का नाम	वर्ष 2003–04		वर्ष 2004–05		वर्ष 2005–06		वर्ष 2006–07	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1.	विद्या केन्द्र			15	316.875	140	2957.5	140	2957.5
2.	ज्ञान केन्द्र			125	2640.625	125	2640.625		
3.	ज्ञान शाला	30	1080			30	1080	30	1080
4.	बैक टू स्कूल कैम्प			10	600	15	900	15	900
5.	ब्रिज कोर्स (जनपद स्तर पर आवासीय)	1	180	1	180	1	180	1	180
6.	एनपीआरसी स्तर पर ब्रिज कोर्स	109	3684.2	10	338	109	3684.2		
7.	ग्रीष्मकालीन शिविर	20	90	20	90	20	90	20	90
8.	मीना मंच			10	40	10	40	10	40
9.	एम.सी.डी.ए.			10	750	10	750	10	750
10.	बाल मेला			50	250	59	295		

ड्राप आउट होने के कारण अधिक आयु हो जाने पर ग्रुप/मनोवैज्ञानिक के दबाव के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चें विशेष कर बालिकाओं तथा काम–काजी। बाल श्रमिकों ईट भट्टो पर कार्य करने वाले श्रमिकों के बच्चे, विशेष

कार्य में जुड़े बच्चे जैसे दरी उद्योग आदि इसके अतिरिक्त मुस्लिम समुदाय के वह बच्चे जो दीनी तालीम लेने के बाद अपने घर चले जाते हैं जिनमें विशेष कर बालिकायें हैं एवं घुमन्त परिवार, स्ट्रीट चिल्ड्रन, चाय की दुकानों होटलों, आटो रिपेयर की दुकानों एवं अन्य कार्यों में लगे बच्चें आदि।

शिक्षा गारन्टी योजना–

इसके अन्तर्गत शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रदेश के ऐसे सभी गांव अथवा मजरों में एक किमी. की परिधि के अन्तर्गत कोई भी प्रा0 विद्यालय नही है तो वहाँ पर ऐसे बच्चों जो 6–8 वय वर्ग के है स्कूल नही जाते है उनके लिए कक्षा 1 व 2 तक की शिक्षा ग्रहण कराने हेतु ई.जी.एस. केन्दों की स्थापना सुनिश्चित की गयी। यहाँ पर कम से कम 30 बच्चें उपलब्ध हो। यह केन्द्र प्रतिदिन 4 घंटे तक चलेगें इन केन्द्रों पर निःशुल्क पाठ्यपुस्तक एवं शिक्षा सामग्री तथा साज–स्ज्जा अन्य प्रा0 विद्यालयों की भांति उपलब्ध करायी जायेगी। यहाँ पर अध्ययनरत बच्चों को सतत् मूल्यांकन करने के पश्चात् कक्षा 2 तक का सतर प्राप्त करवाकर बच्चों को निकटतम प्रा0वि0 से जोड़ दिया जायेगा।

अनुदेशक का चयन –

ई0जी0एस0 केन्द्रों पर शिक्षा कार्य करने हेतु एक अनुदेशक का चयन किया जायेगा जो यथा सम्भव उसी स्थान एवं समुदाय का व्यक्ति हो जहाँ पर विद्या केन्द्र/वै0शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना है। उसी गाँव/बस्ती का अर्ह व्यक्ति ने मिलने की स्थिति में निकटतम बस्ती/गांव से अर्ह व्यक्ति लिया जायेगा।

अनुदेशक की शैक्षिक योग्यता –

अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी। इस हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। अनुदेशक की न्यनूनतम आय 18 वर्ष होगी। अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा खुली बैठक करके योग्यता के आधार पर किया जायेगा। अनुदेशक का मानदेय रू0 1000/– प्रतिमाह होगा जो ग्राम शिक्षा निधि खाते से समिति द्वारा दिया जायेगा।

मकतब/मदरसे –

मकतब/मदरसों के सुदृढ़ीकरण हेतु मौलवी जी का चयन किया जायेगा। यहाँ पर दीनी तालीम के अतिरिक्त परिषदीय प्रा0 शिक्षा उपलब्ध करायी जायेगी। जिसका संचालन समय 4 घंटे का होगा। यहाँ पर भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं शिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी। जिससे छात्रों को केन्द्र की ओर आकर्षित किया जा सके। इसका उद्देश्य बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना है।

बीहड़ पट्टी क्षेत्रों एवं ईंट भट्ठों पर वै.शि0 केन्द्र एवं कैम्पों का आयोजन किया जायेगा।

जनपद कानपुर देहात के समस्त दस विकास खण्डों में ये योजना लागू है जिसके अन्तर्गत वर्ष 2000–01 में कुल 63 विद्या केन्द्र (ई0जी0एस0 सेन्टर) एवं 13 वै0 केन्द्र के अन्तर्गत 13 मकतब/ मदरसे संचालित हैं वर्ष 2001–02 के लिये 62 विद्या केन्द्र तथा 112 वै0शि0 केन्द्र स्थापित हो रहे है।

विकास खण्डवार संचालित विद्या केन्द्रों की सूची

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	विद्या केन्द्र (ई.जी.एस.) की सं0	मकतब / मदरसों की सं0
1	अकबरपुर	05	01
2	अमरौधा	08	03
3	मैथा	14	03
4.	रसूलाबाद	07	–
5.	झीझंक	06	–
6.	राजपुर	08	03
7.	डेरापुर	02	01
8.	मलासा	03	01
9.	सरवनखेड़ा	08	–
10	सन्दलपुर	02	01
	योग	63	13

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्ताव –

भारत सरकार के प्रा0 शिक्षा अभिज्ञान के अन्तर्गत 6–14 वय वर्ग के वे सभी बालक / बालिकायें जो विद्यालय से बाहर है, शालात्यागी तथा बाल श्रमिक / कामकाजी आदि का वै0शिक्षा व्यवस्था से जोड़कर शिक्षा की मुख्यधार से जोड़ने का प्रस्ताव किया जायेगा। जिससे कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह पाये। इसके लिये विशिष्ट प्रा0 शिक्षा हेतु अलग–अलग माडल प्रस्तावित किये गये हैं। जिसका आधार विकास खण्ड की विशिष्ट परिस्थिति / भौगोलिक स्थिति को आधार मानकर माडल का चुना किया गया है तद्नुसार वै0 शिक्षा के रूप में ब्रिज कोर्स कैम्प, शिक्षा घर, समर

कैम्प, (विद्यालय वापस चलो) आदि की सुविधा व्यवस्था जनसमुदाय एवं जनप्रतिनिधियों अन्य विभागीय अभिकर्मियों/अधिकारियों से विचार विमर्श करके सुनिश्चित की जायेगी।

नवाचार शिक्षा –

ड्रापआउट होने के फलस्वरूप बच्चों की आयु अधिक हो जाने के कारण झेंप/मानसिक कुण्ठा के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चे विशेषकर कामकाजी तथा बालश्रमिकों को नवाचार शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये नवाचार शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी, जिन ग्राम/बस्ती/मजरे/टोले मुहल्ले में 15 बालक/बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु वहीं पर इन केन्द्रों की स्थापना की जायेगी, ये केन्द्र प्राथमिक एवं उ0प्राथमिक स्तर पर चलाये जायेगें, प्राथमिक स्तर के केन्द्र पर एक अनुदेशक एवं उ0प्रा0 स्तर पर दो अनुदेशकों की व्यवस्था प्रस्तावित हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि माता–पिता बच्चों को जोर जबरदस्ती से विद्यालय मेकं प्रवेश के लिये ले जाते है। इस कारण बच्चें अनमने भाव से शिक्षा ग्रहण करते हैं या विद्यालय में आना बन्द कर देते है। इसको ध्यान में रखते हुए यह प्रस्तावित किया गया है कि बच्चों के लिये मनोरंजक कार्यक्रम विद्यालयीय शिक्षा के अर्न्तगत रखे जाये जैसे – रंग बिरंगे गुटकों के साथ गेंद एवं रिण से खेलना –

2. रिंग छल्ले गेंद से खेलना
3. जानवरों, पक्षियों के कट आउट देकर उनको जुड़वाना।
4. छोटे कागजों पर रंगीन पेन्सिलों से चित्रों को बनवाना।

5. बाल सुलभ कविताओं को नाच उठल कूछ द्वारा गाना एवं उनसं गवाना।

6. रंग, विरंगी, चित्र युक्त पुस्तकों को देकर उनमें बने हुए चित्रों के विषय में बच्चों से बातचीत करना।

7. मिट्टी की गोलियों, खिलौने, कागज की नाव, पंतग, हवाई जहाज आदि बनवाना।

उक्त वस्तुओं का प्रयोग करते हुए बच्चों के अन्दर धीरे–धीरे लेखन की प्रवृत्ति जागृत होगी तथा बच्चें इन कार्यो के प्रति आकर्षित होगें। इन कार्यो के लिए प्रत्येक केन्द्र/विद्यालय में निम्न लिखित सामग्री देने का प्रस्ताव है।

1. रिंग (छल्ले, गेंद, कूदने की रस्सी, डम्बल रजेजिम आदि)

2. ढोलक, हारमोनियम, झोझ, मजीरा आदि।

3. विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाने हेतु प्लास्टिक के रंग–बिरंगे गुटके चित्रों के कट आउट

4. चित्रों वाली बाल कहानी की पुस्तकें

5. पंतगी, कागज, चार्ट कैंची पेन्सिलें आदि।

उक्त सामग्री से बच्चे विभिन्न प्रकार के क्रिया कलालों में व्यस्त रहेगें एवं उनका मनोरंजजन होगा जिससे बच्चे का सर्वागीण विकास हो सकेगा।

यह कार्य मुख्य रूप से कक्षा 1 में सत्र के प्रारम्भ में चलाया जायेगा। पी0टी0 व्यायाम से जुड़े कार्यक्रम खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि। उन्हें नियमित रूप से प्रतिदिन अन्तिम पीरियड में चलाया जाता रहेगा। इन कार्यक्रमों के कुशल संचालन हेतु प्रत्येक विद्यालय के एक शिक्षक को प्रशिक्षित किया जायेगा।

शिक्षा घर –

ऐसे 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चें जो बाल श्रमिक हैं कागकाजी हैं तथा रोजी रोटी के लिए कुछ कार्यो में व्यस्त रहते हैं तथा पारिवारिक अन्य किसी कारण से विद्यालयों में रहकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं उनके लिए शिक्षा घर' खोलने की व्यवस्था है। शिक्षा घर संचालन का समय प्रतिदिन 4 घंटे का होगा और इसका निर्धारण स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किया जायेगा। एक शिक्षा घर में 30 बच्चें नामांकित होगें। लड़कियों की शिक्षा के लिए शिक्षा घर ऐसे स्थान में खोले जायेगे जहां लड़कियों की संख्या अधिक हो।

अनुदेशक/अनुदेशिका का चयन–

समस्त शिक्षा घर वर्ष 2003--04 खोले जायेगे। अनुदेशक/अनुदेशिका/अनुचयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। अनुदेशक/अनुदेसिका की योग्यता कक्षा 10 उत्तीर्ण होगी जिनको रू0 1000/-- मासिक मानदेय दिया जायेगा।

शिक्षा घर के लिए शिक्षण सामग्री में लालटेन, मिट्टी का तेल, पुस्तकें तथा अन्य आवश्यक उपकरण निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। नियुक्त अनुदेशक को शिक्षण कार्य में निपुण बनाने हेतु तीस (30) दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। जनपद कानपुर देहात में बीहड़ पट्टी, ईंट–भट्टे तथा कुटीर उद्योग में लगे बच्चों की शिक्षा हेतु 10 शिक्षा घर खोले जाने का प्रस्ताव है। जिनको योजना के प्रारम्भिक वर्षों 2003–2004 में स्थापित किया जायेगा।

ब्रिज कोर्स–

6 से 11 वय वर्ग के जो किसी कारण वश विद्यालय छोड़ चुके हैं उनके लिए ब्रिज कार्से संचालित किये जायेगें। ब्रिज कोर्स में बच्चों को तीन माह 6 माह अथवा 9 माह तक शिविर में रखकर शिक्षित किया जायेगा। जब तक बच्चा अपनी योग्यतानुसार प्राथमिक शिक्षा के किसी निश्चित स्तर को प्राप्त कर सके। ब्रिज कोर्स–चलने की अवधि में ही बच्चे का मूल्यांकन किया जायेगा। जैसे ही बच्चा कक्षा 3,4 तथा 5 स्तर को प्राप्त कर ले उसे उस कक्षा विशेष में प्रवेश लेने के लिए अभिप्रेरित किया जायेगा। इस कोर्स द्वारा सभी बच्चों, विशेष कर अनुसूचित तथा बालिकाओं के शाला त्याग की समस्या का समाधान प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा।

जनपद के कुछ विकास खण्डों में ऐसे क्षेत्र हैं। जहाँ ब्रिज कार्से संचालित करने की आवश्यकता है। इन बस्तियों को सर्वेक्षण के माध्यम से चिन्हित कर लिया गया है। बीहड़ पट्टी या अन्य कारणों से शालात्याग करने की समस्या इन क्षेत्रों में अधिक है। विशेष कर बालिकाएं शाला त्याग अधिक करती हैं क्योंकि इनके माता–पिता बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। और कुछ समय तक विद्यालय में

भेजने के बादउ ससामाजिक कुरीतियों वश विद्यालय से उन्हें वापस बुला लेते है। कुछ बच्च शैक्षिक दृष्टि से अपने साथियों से पिछड़ जाने के कारण हीनभावना तथा निराशा की भावना से ग्रसित हो जाते हें ओर शाला त्याग देते हैं। इन बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स बहुत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सिद्ध हजोगें जनपद में चिन्हित बस्तियों के अनुसार 07 ब्रिज कोर्स संचालित किये जायेगें जिन्हें वर्षवार निम्न लिखित सारणी के अनुसार संचालित किया जायेगा।

वर्ष	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
संख्या	1	1	1	1

ब्रिज कोर्स संचालन की अवधि छः माह होगी। प्रत्येक ब्रिज कोर्स में 40 छात्र नामांकित होगें।

ई.जी.एस., वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा भोजना में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता –

वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न माडल्स तथा नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों की रणनीति तैयार करने के लिये जनपद में उपलब्ध अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों को वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण करने में योगदान लिया जयेगा। स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनायी

जायेगी। जिसकी पारदर्शिता हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता आंमत्रित की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त आवेदन पत्रों का डेस्ट टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल कराया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं संदर्भ व्यक्तियों के सहयोग से स्वयं सेवी संगठन के प्रस्तावों का अप्रेजल एवं चिन्हीकरण किया जायेगा। इस प्रकार उपयुक्त पाये गये स्वयं सेवी संगठनों के कार्य क्षेत्र एवं आवश्यक बजट की संस्तुति सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा राज्य स्तरीय ई.जी.एस./वैकल्पिक,शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना क्रियान्वयन समिति को प्रेषित की जायेगी। जनपद में जिला शिक्षा परियोजना समिति गठित है। तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या रा0प0नी/466/2001–2002 दिनांक 15 जून द्वारा उक्त समिति को ई0जी0एस0/वैकप्लिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। राज्य स्तर पर ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के लिये उच्चाधिकार प्राप्त समिति कार्यालय ज्ञाप सं0 रा0प0नि0 539/2001–2002 दिनांक 7 जून 2001 द्वारा उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन गठित की जा चुकी है। राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा संस्तुत स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार की ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 योजना के तहत मानक के अनुरूप बजट स्वीकृत करने के अधिकार प्राप्त है। उक्त समिति में अनुमोदन के पश्चात् जनपद में चयनित स्वयंसेवी

संगठन द्वारा ई0सी0एफ0 /वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जायेगा। इस प्रकार जो स्वयंसेवी संगठन, वैकलिपिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्यवेक्षण अथवा अनुदेशकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुभव रखते हैं उनका भी सहयोग ईजीएस/नवाचार शिक्षा योजना की क्षमता के विकास के लिये लिया जायेगा। इन स्वयंसेवी/संदर्भ संस्थाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया की उपरोक्तानुसार रखी गयी है।

जनजाति/घुमन्तू परिवारों के बच्चों के लिये शिक्षा व्यवस्था :–

जनपद कानपुर देहात के कुछ विकास खण्डो में जनजाति संख्या अत्यन्त अल्प है। उन क्षेत्रों में जीविकोपार्जन के न्यून अवसर होने के कारण ये परिवार अपने बच्चों को शिक्षा देने हेतु किसी भी शिक्षण संस्था में नही भेजते हैं तथा जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न कार्यो में लगाये रखते हैं। तथा इस हेतु ये समय-समय पर अपने स्थान की बदलते रहते हैं ऐसी विकट स्थिति में इन परिवारों के बच्चों को विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था बाधित रहती है। ये बलिकायें सामाजिक आर्थिक एवं भौगोलिक कारणों से अधिकांशतः विद्यालय नहीं भेजी जाती है। तथा यदि भेजी गयी। तो कक्षा 1 या 2 के बाद विद्यालय छोड़ देती है। ऐसे क्षेत्रों में पूर्णकालिक आवासी विद्यालयों की स्थापना कर उनकी शिक्षा व्यवस्था में कारगर कदम उठाया जायेगा। ये आवासीय विद्यालय मल्टीग्रेड व मल्टीलेवल के होगें। जिसमें 9–14 वर्ष

तक की बालिकाओं एवं बालकों को शिक्षा दी जायेगी। कक्षा 1 व 2 हेतु विद्या केन्द्रों की सुविधा प्रदान की जायेगी। विद्यालयी शिक्षा उनके जीवन में उपयोगी सिद्ध हो सके। इसके लिये व्यावसयिक शिक्षा/कौशल वृद्धि हेतु व्यवसयिक कार्यक्रमों को भी इन केन्द्रों में चलाया जायेगा। इस प्रकार अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय में नामांकित एवं शिक्षा पूरी कराने हेतु प्रेरित होगें। इन आवासीय विद्यालयों में महिला/पुरूष अध्यापकों के साथ–साथ व्यवसायी प्रशिक्षकों की भी व्यवस्था की जायेगी। इन केन्द्रों पर बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं शिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।

इन आवासीय विद्यालयों के संचालनार्थ उच्च प्राथमिक स्तर के एक प्रधानाध्यापक दो स0 अध्यापक एक रसोइया व दो परिचारक उच्च प्राथमिक विद्यालयों की भांति तैनात किये जायेगी।

अध्याय–8

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रमः–

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की लक्ष्य की प्राप्ति में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम विगत वर्ष 2000–2001 में इस जनपद में संचालित की गयी थी। उस समय शाला त्याग की दर 31.5 थी जो कि वर्तमान समय में सर्वेक्षण के आधार पर घटकर 28.3 प्रतिशत रह गयी परन्तु अभी भी शाला त्याग की दर अधिक है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ठहराव में वृद्धि तथा ड्राप आउट कम करने के अनेकानेक प्रयास किये गये इस हेतु बच्चों की पहुंच के अन्दर विद्यालय उपलब्ध कराने हेतु विद्यालयों की स्थापना की गयी, 679 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जा रहा है। 225 हैण्ड पम्पों की स्थापना, 330 शौचालयों का निर्माण का लक्ष्य निर्धारित मे रोकने के लिए बाल आधारित शिक्षण के लिए सभी शिक्षकों को बंधात्मक प्रशिक्षण दिया गया। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षक प्रशेक्षण प्राप्त कर चुके हैं। ड्राप आउट को कम करने तथा ठहराव को बढ़ाने हेतु समाज का सहयोग प्राप्त किया गया। सामाजिक सहभागिता को बढ़ाने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षिण किया गया जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य सरकार के सहयोग से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति के बालक, सभी वर्ग की बालिकाओं एवं सामान्य/पिछड़े वर्ग के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण किया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के सभी बालक/बालिकाओं तथा पिछड़े वर्ग के तीन बालकों को छात्रवृत्ति दी जा रही

है। इस प्रकार परियोजना के अन्तर्गत सभी प्रकार के बालक/बालिकाओं का विद्यालय में रोकने हेतु अनेकानेक प्रयास किये गये। फिर भी ड्राप आउट की दर अधिक है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत यह प्रयास किया जायेगा कि निश्चित समय सीमा के अन्दर विद्यालयों में बच्चों का ठहराव शत–प्रतिशत हो तथा शाला त्याग का प्रशित शून्य हो जाय इसके लिए शत–प्रतिशत विद्यालय (प्राथमिक/पूर्व प्राथमिक) मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित हो। इसकी जानकारी प्राप्त करने हेतु नवम्बर 2001 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण तथा स्कूल मैपिंग करायी गयी और गांव स्तर बस्ती स्तर तथा विद्यालय स्तर पर मूलभूत सुविधाओं को चिन्हित किया गया।

विद्यालय भवनों का पुननिर्माण :–

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद में सूक्ष्म सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण के आधार 79 प्राथमिक विद्यालय ऐसे पाये गये जिनके भवन का पुर्ननिर्माण कराया जाना आवश्यक है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2000–01 में 30 तथा 2001–02 में 27 प्राथमिक भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। इसलिये सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस मद में किसी भी प्राथमिक विद्यालय के पुर्ननिर्माण हेतु प्रस्ताव नही किया गया हैं।

सर्वेक्षण के अनुसार 3 उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनहीन तथा 09 उच्च प्राथमिक विद्यालय ध्वस्त जर्जर है। इन विद्यालयों की कक्षायें या तो खुले मैदान में या पेड़ के नीचे लगती हैं। इस कारण बच्चें सामान्यतया विद्यालय छोड़कर चले जाते है या मध्यवाकाश के वाद विद्यालय वापस नही आते है। धीरे–धीरे ऐसे बच्चें मुख्य धारा के कटकर विद्यालय आना बन्द कर देते हैं जिससे ह्रास–अवरोध में वृद्धि होती है। ह्रास

–अवरोध को रोकने तथा बच्चे का विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करने के लिये 12 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के पुर्ननिर्माण का प्रस्ताव प्रस्तावित है। इन भवनों को पुर्ननिर्माण योजना के प्रथम वर्ष में ही पूर्ण करा लिया जायेगा।

अतिरिक्त कक्षा – कक्ष :–

वर्ष 2003–04 में जनपद में 1304 प्राथमिक विद्यालयोमें 3031 कक्षा–कक्षों की संख्या है। 40:1 अनुपात में 2001–02 में 3934 अध्यापकों की आवश्यकता है। प्रत्येक विद्यालय के लिये तीन कक्षा कक्ष का मानक पूरा करने के लिये 3912 कक्ष की आवश्यकता होगी। अतः कुल 881 अतिरिक्त कक्षा कक्ष आवश्यक है। इस प्रकार शुद्ध कक्षा कक्षों की मांग 881 आती है।

प्रा0वि0 के लिये अति0 कक्षा कक्ष की आवश्यकता

वर्ष	कुल विद्यालय	तीन कक्षीय आवश्यकता मानक के अनुसार	उपलब्ध कक्ष	कमी
2003–2004	1304	3912	3031	881

(सारिणी 2(9) के अनुसार)

उच्च प्रा0वि0 के लिये अति0 कक्षा कक्ष की आवश्यकता

वर्ष	कुल विद्यालय	चार कक्षीय आवश्यकता मानक के अनुसार	उपलब्ध कक्ष	कमी
2003–2004	259	1036	1011	25

(सारिणी 2(10) के अनुसार)

सन 2001 की जनगणना के आधार पर गाववार विस्तृत आकड़ें प्राप्त नहीं हुए है। आंकड़ें प्राप्त होने पर आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन एरिया, नगर पालिका एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया जायेगा।

प्रा0वि0 वर्ष 2003–2004 के निर्माण के लक्ष्य को सम्मिलित करते हुये कुल 1304 प्रा0वि0 उपलब्ध होंगें जिसमें तीन कक्ष की दर से कुल 3912 कक्ष कक्षा होना चाहिये। वर्ष – 2003–04 तक 3031 कक्ष उपलब्ध होगे जिसमें 88 कक्षों की कमी होगी। इसी प्रकार उच्च प्रा0विव में 25 कक्षों की कमी है।

शौचालय –

जनपद के प्रतयेक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय को शौचालय युक्त करने के लिये 763 प्राथमिक में तथा 61 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल 824 शौचालयों की आवश्यकता है। जिनका निर्माण सर्व शिक्षा अभियान में प्रस्तावित है, शौचालयों का निर्माण निम्न वर्षो में कराया जायेगा।

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06
उच्च प्रा0वि0		33	28	–
प्रा0वि0	12	451	300	

हैण्डपम्प :–

वर्तमान में 172 प्राथमिक विद्यालयों तथा 62 उच्च प्राथमिक विद्यालय पेयजल की सुविधा से वंचित है। इस प्रकार 234 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की सुविधा हेतु हैण्डपम्प लगाने का प्रस्ताव किया गया है। 234 हैण्डपम्प निम्न वर्षो में लगाये जाने का प्रस्ताव है।

शिक्षकों की आवश्यकता (प्राथमिकत स्तर) सारिणी सं0–

क्रमां क	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	स्वीकृत शिक्षक	स्वीकृत शिक्षा मित्र	कुल योग	40 : 1 दर से शिक्षक	अतिरिक्त शिक्षक आवश्यकता	शिक्षक	शिक्षा मित्र
.1	2002–2003	167319	3274	310	3584	4182	598	299	299
.2	2003–2004	201928	3274	835	4109	5048	939	470	
.3	2004–2005	205967	3744	1304	5048	5149	101	50	520
.4	2005–2006	210086	3794	1355	5149	5252	103	51	52
.5	2006–2007	214288	3845	1407	5252	5372	120	60	60

विद्यालय मरम्मत एवं रख–रखाव (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक) –

जनपद में वर्तमान समय में 1197 प्रा0 विद्यालय तथा 192 उच्च प्रा0 विद्यालय है। प्रत्येक प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय सुन्दर आकर्षक तथा मूलभूत सुविधाओं संयुक्त हो सके लिये प्रत्येक परिषदीयप्राथमिक, उच्च प्रा0 विद्यालय को मरम्मत तथा रखरखाव हेतु प्रतिवर्ष 5000 रूपये की धनराशि दिये जाने का प्रस्ताव किया गया है।वर्षवार विवरण निम्न सारणी में अंकित है।

वर्ष संख्या	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्रा0वि0	1200	1304	1304	1304
उच्च प्रा0वि0सं0	192	259	259	259

विद्यालय विकास अनुदान –

विद्यालयों में होने वाले दैनिक व्यय जैसे चाक डस्टर की व्यवस्था, स्टेशनरी, अभिलेख तैयार करने हेतु रजिस्टर तथा अन्य अलप व्यय के लिये प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को रूपया 2000 प्रति विद्यालय की दर से तथा नवीन उ0प्रा0 विद्यालय को रू0 2000 की दर से धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं

वर्ष संख्या	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
प्रा0वि0		1304	1304	1304
उच्च प्रा0वि0सं0		259	259	259

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ::–

परि0 विद्यालय में छात्र/छात्राओं के ठहराव की समस्या को देखते हुए अध्ययन रतन समस्त वर्ग की बालिकाओं तथा अनु0जाति के बालकों निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाएगा। वर्ष 2000–2001 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त वर्ग की बालिकाओं (कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत) तथा अनु0जाति बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया जा रहा है। वर्ष 2001–2002 में उक्त वय वर्ग के बच्चें के साथ–साथ राज्य सरकार के सहयोग से शेष सभी वर्ग के बालकां को भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण कराया गया।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्रा0 स्तर पर बालिका/बालकों का ड्राप आउट रोकने तथा ठहराव सुनिश्चित करने लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अध्ययनरत सभी वर्ग की बालिकाओं तथा अनु0जाति बालकों को भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण का प्रस्ताव है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आगामी दस वर्षो मं प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को निम्न सारणी के निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण कराया जायेगा।

1 छात्र संख्या अनु0जाति बालक तथा कुल बालिकाएः–

क्रमांक	वर्ष	6–11 वय वर्ग (प्राथमिक स्तर) कुल बालिका तथा अनुसूचित बालक	11–14 वय वर्ग (उच्च प्राथमिक स्तर) कुल बालिका तथा अनुसूचित बालक
1.	04–05		29874
2.	05–06	145074	32857
3.	06–07	154013	35040

बालिका शिक्षा –

राष्ट्र की उन्नति एवं विकास का आधार है। शिक्षा जिस देश के सभी स्त्री–पुरूष एवं बच्चे शिक्षित होते हैं। वह देख निरतन्रत प्रगति की ओर अग्रसर होता जाता है। इसी तथ्य को स्वीकार करते हुए भारतीय संविधान में 6 से 14 वय वर्ग के समस्त बच्चों की शिक्षा को अनिवार्यता के प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त की है तथा राज्यों को यह निर्देश दिया है कि 6 से 14 वय वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें।

शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। पंचवर्षीय योजनाओं में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति वचन बद्धता का समर्थन किया गया है एवं अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को चलाया जाता रहा है। बालिका शिक्षा के प्रचलित परिवेष एवं रणनीतियों में समय के साथ बदलाव आया है। 1986 में आर्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं 1994 में आयी "सभी के लिए शिक्षा" में महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा को महिलाओं के स्तर में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण यन्त्र के रूप में स्थापित किया है। महिलाओं की शिक्षा के लिए प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा तक उनकी पहुंच एवं धारणा में आने वाले कठिनाइयों को दूर करने का प्राथमिकता दी जायेगी।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर पुरूषों एवं महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 64.2 तथा 39.29 प्रतिशत पायी गयी जबकि उत्तर प्रदेश में क्रमशः 55.73 और 25.31 प्रति0 पायी गयी। तथा जनपद कानपुर देहात की कुल साक्षरता 50.9 प्रतिशत थी। जिसमें पुरूषों की साक्षरता 63.16 प्रतिशत तथा महिलाओं की साक्षरता 36.29 प्रतिशत थी। इन आंकड़ों से पता चलता है कि पुरूषों एवं महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत में पर्याप्त अन्तर है। आंकड़ों से यह भी पता चलता

है कि ग्रामीण तथा नगरीय साक्षरता प्रतिशत में भी पर्याप्त अन्तर है और पुरूषों और महिलाओं के अनुपात में भी अन्तर है। यह अनुमान है कि स्कूल में प्रवेश लेने वाले छात्र–छात्राओं में से आधे से ज्यादा बच्चे कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं।

साक्षरता एवं संसाधन दोनों दृष्टि से महिलाएं पुरूषों की तुलना में काफी पीछे हैं किसी भी राष्ट्र का विकास वहाँ की महिला साक्षरता से कार्फ प्रभावित होता है। कहा जाता है कि एक पुरूष शिक्षित होने पर एक व्यक्ति शिक्षित होता है किन्तु एक महिला के शिक्षित होने पर पूरा परिवार शिक्षित होता है। अतः तालिका शिक्षा हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य है।

महिला साक्षरता दर (वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार)

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	महिला साक्षरता दर
1.	अकबरपुर	33.8
2.	मलासा	31.6
3.	अमरौधा	28.6
4.	राजपुर	33.8
5.	सन्दलपुर	37.2
6.	डेरापुर	35.07
7.	झींझाक	36.9
8.	रसूलाबाद	37.1
9.	गैथा	37.8
10.	सरवनखेड़ा	37.8

बालिकाओं की शिक्षा में समस्याऐं –

बालिकाओं के नामांकन एवं शाला त्याग के कारण बहुत जटिल है। इनमें बस्तियों में स्कूलों का अभाव या स्कूलों का गांव से दूर होना महिला शिक्षिकाओं की कमी, आर्थिक बाध्यता, बाल मजदूरी, छोटे भाई बहनों की देखभाल, समाज में प्रचलित सांस्कृति धारणाएं, अन्ध विश्वास आदि प्रमुख जटिल कारण हैं। बालिकाओं की शिक्षा की मांग का न होना या अभिभावकों में उनकी शिक्षा के प्रति जागरूक न होना इनके न्यूनतम नामांकन का प्रमुख कारण है। स्कूलों का वातावरण भी ऐसा है जो कि बालिकाओं को शिक्षा की ओर प्रेरित नहीं कर पाता है। उनकी विशेषताओं को उभारने का प्रयास नहीं किया जाता। खेती में कटाई, बुवाई, शादी, त्योहार मेलों आदि के अवसरों पर भी इनको घर में ही रोक लिया जाता है। बाल विवाह या कम उम्र में शादी भी बालिकाओं की शिक्षा में प्रमुख अवरोधों में एक है।

1. बालिकाओं की शिक्षा के महत्व को समझाते हुए समुदाय को जगरूक करना एवं जन जागरण अभियान चलाना।

2. बालिकाओं की आवश्यकतानुसार विद्यालय की पहुंच में विस्तार करना।

3. बालिकाओं की आवश्यकतानुसार विद्यालयो में वातावरण सृजन करना।

4. जेन्डर सम्बेरीकरण पर जोर ताकि समाज बालक/बालिकाओं की शिक्षा की समानता को सहजता से समझ सके।

5. विभिन्न क्रिया कलापों द्वारा महिला एवं बालिका शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालना।

6. महिला एवं बालिका शिक्षा के महत्व पर जोर देने वाली सहायक सामग्री विकसित करना।

7. शिक्षकों को कक्षा में लिंग भेद या जेन्डर आधारित क्रिया–कलापों को रोकने हुत प्रशिक्षित करना।

8. ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की स्थापना।

9. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना।

10. ब्रिज कोर्स के द्वारा शाला त्याग–बालिकाओं को मुख्य धारा से जोड़ना।

11. महिला लाभाख्या कार्यक्रम

12. महिला प्रेरक दल, माता शिक्षक संघ व अन्य महिला संगठनों की स्थापना कर शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना।

13. बालिकाओं का प्राथमिक, उच्च, प्राथमिक, माध्यमक व अन्य उच्च स्तर के विद्यालयों में समन्वय स्थापित कर जोड़े रखने का प्रयास करना।

14. कार्यानुभव पर आधारित शिक्षा को महत्व।

15. बालिकाओं के लिए विशेष रणनीति तैयार कर कार्य करना।

16. बालिकाओं की रूचि वाले विषयों जैसे कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग, संगीत आदि को भी शामिल करना।

बालिका शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रम

सामुदायिक सहभागिता :–

समुदाय के सहयोग के बिना कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। बालिकाओं की शिक्षा के लिए हमें सबसे पहले समुदाय का सहयोग लेना पड़ेगा। क्योंकि उनको बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक करना हमारा प्रथम लक्ष्य है। अभिभावको में निरक्षरता के कारण बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं है। इसीलिए वह अपनी लड़कियों को विद्यालय नहीं भेजते हैं। इसके लिए समुदाय के शिक्षित एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा उनको शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक किया जायेगा। व उनकी बच्चियों को विद्यालय तक लाने का प्रयास किया जायेगा।

शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिये सामाजिक सहभागिता अति आवश्यक है। सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिये जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कई संगठनात्मक नीतियों का क्रियान्वयन किया है। जिसका मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना है। ग्राम–शिक्षा समिति (वी.ई.सी.) एक प्रमुख संगठन है, जो कि विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करती है।

बालिकाओं की शिक्षा के लिऐ सामुदायिक सहभागिता :–

1. बालिकाओं के नामंकन एवं ठहराव के लिये प्रयास करना व समुदाय को जागरूक करना।

2. विद्यालय प्रबन्ध में स्थानीय समुदाय की भागेदारी को बढ़ावा देना, सहयोग प्रदान करना।

3. महिला संगठनों को तैयार करना व महिला लाभाख्या के साथ उनका समन्वयन

4. माता शिक्षक संघ/अभिभावक शिक्षक संघ –

5. महिला प्रेरक दल

6. ग्राम शिक्षा समितियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना।

7. समस्त कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी

8. बालिकाओं की शिक्षा की आवश्यकता के प्रति प्रशिक्षण में जागरूकता को वढ़ाना।

9. शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रमों में समुदाय का पूर्ण सहयोग व भागीदारी सुनिश्चित करना।

मीना कैम्पेन –

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिकाओं की शिक्षा के प्रति वचनवद्धता के विकास हेतु "मीना नामक" वीडियो कैसेट के प्रदर्शन की एक विशेष योजना तैयार की गई है। मीना एक एनीमेटेड फिल्म श्रंखला की चुलबुली नायिका है। दक्षिण एशिया में यूनीसेफ ने होना बाखरा, प्रोडक्कशन्स के सहयोग से यह श्रंखला

तैयार की है। यह फिल्म श्रंखला दक्षिण एशिया में बालिकाओं का दर्जा सुधारने के लिये तैयार प्रचार सामग्री का हिस्सा है। फिल्म श्रंखला की दिलचस्प कहानियों में रोमांच और हास्य भरपूर है। लेकिन वास्तव में इन कहानियों के माध्यम से बालिकाओं की असली जिन्दगियों परेशानियों को उभारने के साथ–साथ उन्हें पूरा करने के कुछ रास्ते दिखाये गये हैं।

प्रत्येक गांव में इस कैसेट के प्रदर्शन से समुदाय को बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक किया जा सकता है, जो कि एक फिल्म होने के कारण लोगों के मस्तिष्क पर ज्यादा प्रभाव छोड़ती है।

मॉ–बेटी मेला –

बालिकाओं की शिक्षा में महिलाओं का संगठित होना एक अहम् भूमिका निभा सकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये मॉ–बेटी मेलों व महिला संसदों का आयोजन किया जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य है–

1. मॉ–बेटियों के बीच–सवांद के अन्तर को कम करना।
2. बालिकाओं की शिक्षा के महत्व के बारे में माताओं को शिक्षित करना।
3. उनके अनुभव को शेयर करना।
4. शिक्षकों एवं अभिभावकों के बची एवं क्रियाशील सम्बन्ध स्थापित करना।
5. बालिकाओं द्वारा अनुभव की गई समस्याओं के प्रति ध्यान आकष्ट करना।
6. बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
7. जेण्डर आधारित वार्ताओं का आयोजन।

8. शिक्षा के प्रति समुदाय को उत्तरदायी एवं प्रभावशाली बनाने पर वार्तालाप।

9. विद्यालय में समुचित सहयोग।

10. जेण्डर सम्वेदनशीलता।

महिला समाख्या :–

महिला सामख्या कार्यक्रम विभिन्न आयु वर्गो के लिये शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। महिलाओं एवं पुरूषों की समान शिक्षा के लिये विभिन्न कार्यक्रम अन्य हस्तक्षेप समुदायों के साथ मिलकर विकसित किये गये हैं। महिला समाख्या का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण।

1. सामान शिक्षा।

2. महिलाओं को शैक्षिक प्राथमिकता

3. महिला संगठनों को शैक्षिक भागेदारी हेतु समर्थ करना।

4. जेण्डर संवदेनशीलता

5. बालिकाओं एवं महिलाओं की शिक्षा के लिये अनुकूल वातावरण सृजन।

बालकेन्द्र –

जिन गाँवों में विद्यालय दूर हैं व औपचारिक शिक्षा की सुविधा नहीं है। वहाँ पर बाल केन्द्र स्थापित किये जा सकते हैं। गांव में छोटे–छोटे बच्चें विशेष कर बालिकायें जो कि विद्यालय नहीं जा सकती हैं। वहां पर उनके घरों के आस–पास एक बाल केन्द्र चलाया जा सकता है। जिससे उनको प्रारम्भिक शिक्षा के अवसर प्रदान किये जा सकते हैं व बाद में उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है।

किशोरी केन्द्र :–

ऐसी किशोरियाँ जिन्होने किसी कारण वश प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर विद्यालय छोड़ दिया है व यहाँ पर उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है वहाँ पर किशोरी केन्द्र की स्थापना उच्च प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये स्थापित किया जा सकता है। शिक्षिा स्थानीय महिला द्वारा केन्द्र किशोरियों के समयानुसार केन्द्र चलाने से केन्द्र में सफल नामांकन हो सकता है।

किशोरी संघ :–

किशोरी संघ की संकल्पना किशोरी केन्द्रों से हुई है। यह किशोरियों का एक समूह हैं जो कि शिक्षा स्वास्थ्य, पर्यावरण, काननून व्यावसायिक शिक्षा आदि विषयों पर समुदाय को जागृत करने के लिये कार्य करेगा व समुदाय का सहयोग करेगा।

ब्रिज कोर्स :–

ऐसी बालिकायें जो अपरिहार्य कारणों से विद्यालय त्याग चुकी है। उनके लिये ब्रिज कोर्स चलाया जायेगा। जिसके माध्यम से उनको मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।

ग्रीष्म कालीन शिविर :–

अपरिहार्य कारणों से कुछ बालिकायें विद्यालय जाना प्रारम्भ ही नहीं कर पाती है। या फिर एक दो वर्ष बाद शाला त्याग कर देती हैं उनके लिये दस दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर का आयोजन सत्र प्रारम्भ से पूर्व किया जायेगा। उनको दस दिन में शिक्षा के प्रति रूचि पैदा कर मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा तथा अभिभावाकों को नियमित स्कूल भेजने के लिये प्रेरित किया जायेगा।

बाल शाला :–

जिन बालिकाओं पर अपने छोटे भाई बहिनों का उत्तर दायित्व है और छोटे भाई बहिनों की देखभाल करने के कारण व प्राथमिक/ उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं उनके लिये बाल शाखा 0–6 वय वर्ग के लिये चलाया जायेगा जिसमें उनके अपने छोटे भाई बहिनों को बाल शाला में भेज कर स्वयं विद्यालय जा सकती है बाल शाला का समय भी विद्यालय समयानुसार ही रखा जायेगा।

प्रहर पाठ–शाला –

प्रहर पा0 शाला मुख्यतः 9+ बालिकाओं के लिये है। जिन्होने या तो विद्यालय जाना प्रारम्भ ही नहीं किया है या फिर विद्यालय बीच में ही छोड़ दिया है। 9–14 वय वर्ग के 15 बच्चों पर प्रहर पाठशाला चलाया जा सकता है।

मकतब/मदरसा :–

ऐसा देखा जाता है मुस्लिम समुदाय को बालिकायें विद्यालयों में पढ़ने बहुत कम आती है। वे धार्मिक अध्ययन के लिये मकतब/मदरसों में पढ़ने जाती है तथा प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाती है। उनके लिय मकतब मदरसों को समस्तीकरण की नीति तैयार की जा रही है। मकतव/मदरसों में पढ़ा रहे हउन्हें के समुदाय के लोगों से औपचारिक शिक्षा भी धार्मिक शिक्षा के साथ–साथ प्रारम्भ करने की योजना है। जिससे वह उसी वातावरण में औपचारिक शिक्षा के लिये प्रेरित हो सके तथा औपचारिक पाठ्यक्रम का भी अध्ययन कर सके।

माता–शिक्षक संघ :–

जिन विद्यालयों में बालिकाओं का नामांकन निम्न है। या विद्यालय न आने वाली बालिकायें अधिक है। वहां पर माता–शिक्षक संघ बनाया जायेगा। जो नहीं

जानते कि बच्चों की शिक्षा के प्रति उनके क्या दायित्व हैं अपने बच्चों के सम्बन्ध में। अपने पड़ोस के घर के बच्चों के सम्बन्ध में/गांव के सब बच्चों के सम्बन्ध मे/अनेक नामांकन व ठहराव में/स्कूल की आवश्यकताओं और उन सभी मुद्दों पर जो गांव के सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पूरा करने में सहायक हो।

माता–शिक्षक संघ के उद्देश्य –

1. विद्यालय में बालिकाओं की आवश्यकतानुसार सहभागी/मित्रवत शैक्षिक वातावरण करने में सहयोग।

2. बालिकाओं के संदर्भ में समुदाय से सम्पर्क करके विद्यालय के प्रति लगाव उत्पन्न करना। ताकि बालिकाएं विद्यालय आ सके।

3. माताओं/शिक्षिकाओं एवं समुदाय के बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाना।

4. कक्षा सम्पेषण में बालिकाओं की ओर ध्यान देकर बालिका शिक्षा को प्रभावी बनाने का प्रयास करना।

5. बालिकाओं का नामांकन कराना।

6. बालिकाओं की नियमित उपस्थित पर ध्यान कर उसे बनाए रखने के लिए प्रयास करना।

7. स्थानीय संशाधानों एवे अन्य विभागों से समन्वय करके अपने विद्यालय को उपयोगी एवं प्रभावी बनाने का प्रयास।

8. बालिकाएं कितना सीख रही है, कि जानकारी करने तथा उनकी त्रृटि हेतु सहायक बनाने हेतु जानकारी देना।

9. विद्यालय के सौंदर्ययीकरण का प्रयास।

10. **विद्यालय में शैक्षिक वातावरण स्त्रजन में सहयोग।**

11. कक्षा के वातावरण में बालिकाओं की पसन्द का ध्यान रखते हुए व्यवस्था में आवश्यकतानुसार परिवर्तन का प्रयास।

महिला प्रेरक समूह :–

ऐसे गांवों में जहां पर विद्यालय नहीं है वहां पर महिला प्रेरक समूह की स्थापना करने की आवश्यकता है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जिन गांवों से प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कुछ दूरी पर होते हैं वहां के लड़के तो विद्यालय जाते हैं परन्तु लड़कियों को दूसरे ग्राम के पढ़ने जाने की छूट नही होगी है। ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ अभिभावक प्रारम्भ में तो लड़की का नामांकन करा देते है परन्तु वहा जैसे वह कक्षा 3,4 में पहुचंती है उसे बड़ी कहकर घर में बैठा देते हैं। दरसल अभिभावक अपनी लड़की को दूर के ग्राम में भेजना असुरक्षित महसूस करते है साथ है। यह भी धारणा कार्य करती है कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ने से क्या फायदा। ऐसे वच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये दो प्रकार के प्रयासों की जरूरत पड़ेगी। एक तो ऐसे समूह का निर्णय लिया जाय तो इन बालिकओं को विद्यालय तक पहुंचाने में मदद करें। दूसरा एक ऐसा अभियान चलाया जाय। जिससे अभिभावक अपनी वालिकाओं की शिक्षा की जरूयरत महसूस करें। इन दोनों प्रयासों को एक साथ शुरू करने हेतु महिलमा प्रेरक समूह स्थापित करने की आवश्यकता है। इनके उद्देश्य–

1. महिलाओं ने नेतृत्व, क्षमता व कौशल के विकास हेतु।
2. बालक/बालिकाओं में विभेद की विचारधारा समाप्त करने हेतु।
3. बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि व ठहराव को स्थायी बनाने हेतु
4. बालिका शिक्षा हेतु संवेदनशीलता
5. माता–पिता व समाज के विचारों में बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में अनुकूल परिवर्तन।
6. प्राथमिक शिक्षा के साधनों के बच्चों तक पहुंचाना।
7. वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था हेतु प्रयास करना।
8. महिलाओं की सशक्त कर उनके दायित्वों को प्रति जागरूकता करना।
9. विद्यालय व्यवस्था के सुधार में भागीदारी
10. बालिकाओं की स्कूल ले जाने व वापस लाना।
11. गांव में शिक्षा का वातावरण तैयार कर माता–पिता को प्रेरित करना ताकि कोई भी 6–14 वय वर्ग का बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाय।

बालिका शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता –

सर्वशिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का सार्वजनीकरण है। इस उद्देश्य को सफल बनाने हेतु शिक्षा के क्षेत्र में समस्याओं को चिन्हित करना, उसका समाधान करना तथा कार्यान्वित करना है। हमारी प्राथमिकता है। बालिकाओं के प्रति विषमता एक गम्भीर समस्या है जिसको दूर न किये जाने से सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समाज के विभिन्न स्तरों में व्याप्त विषमताओं को दूर करना आवश्यकता है तभी बालिकाओं के प्रति समदर्शिता सम्भव होगी।

दैनिक जीवन में हम सभी स्त्री–पुरूष में भेदभाव इस विषमता से मुक्त नहीं है तथापि इन्हीं शिक्षक–शिक्षिकाओं का ही मुख्य कर्तव्य है कि बालक–बालिकाओं के भेद को दूर करना।

इसी उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु समस्त सेवारत अध्यापकों को बालिका शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता का तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है जिसके उद्देश्य निम्न है –

1. बालक–बालिका एक समान की संकल्पना को कोरी कल्पना न समझकर वास्तविकता के रूप में बदलना।

2. अपने स्तर पर बालिका–शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

3. शिक्षा की समस्याएं तथा बाधाओं पर चर्चा कर दूर करने का प्रयास।

4. शिक्षक का विशेष रूप सें बालिकाओं की नियमित उपस्थिति, ठहराव व सम्प्राप्ति पर विशेष ध्यान।

5. बालक व बालिकाओं की खेल, शिक्षा, अतिरिक्त दायित्व, घर में कार्य व कक्षा में समान भागीदारी सुनिश्चित करना।

6. संख्यात्मक विश्लेषण द्वारा बालिकाओं की स्थिति का आंकलन करना कि कितनी लड़कियॉ स्कूली शिक्षा से वंचित हैं।

7. परिवार व समाज में होने वाले विभादे के प्रति संवेदनशील पैदा करना। जिससे कि वह समझ सकें कि लड़कियॉं व लड़के सभी समान शिक्षा व प्यार पाने के अधिकारी है।

8. समूह चर्चा एवं समस्या समाधान के द्वारा यह विचार उत्पन्न करना कि लड़कियाँ कमजोर निर्बल, दयनीय व असहाय नहीं है उनके अन्दर भी वहीं क्षमतायें हैं जो बालकों में समझी जाती है।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा –

प्राथमिक विद्यालयों में औपचारिक शिक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व 6 वर्ष से छोटे बच्चों को स्कूल पूर्व तैयार हेतु पूर्व प्राथमिक शिक्षा की परिसंकल्पना की गई है। आई0सी0डी0एल0 विभाग इस ओर ऑगनबाड़ी केन्द्रों की सहायता से कार्यक्रम चला रही है जो कि अभी पर्याप्त नहीं है इसलिये सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिशु शिक्षा केन्दों की स्थापना की जायेगी। इसमें बच्चों को खेल–खेल में औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार किया जायेगा तथा साथ ही उनका शारीरिक, मानसिक और इन्द्रियों के विकास हेतु सकारात्मक प्रयास किये जायेगें।

शिशु शिक्षा केन्द्रों के प्रमुख उद्देश्य –

1. 6–14 वय वर्ग के वो बच्चों, जो अपने छोटे–भाई बहनों की घर में देखभाल हेतु विद्यालय नहीं जा पाते हैं, उनको विद्यालय तक लाना व उनके छोटे–भाई बहनों को विद्यालय में ही संचालित शिशु शिक्षा केन्द्र में रखना चाहिए।

2. 0–6 वय वर्ग के बच्चों को स्कूल पूर्व तैयारी खेल–खेल में करवानी।

3. उनकी माताओं को उचित पोषण आहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी देना और बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं के योग्य बनाना।

4. 11–18 वय वर्ग की किशोरी बालिकाओं का चयन कर शिशु शिक्षा केन्द्रों में सहायता लेना।

इन केन्द्रों में पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, सन्दर्भ सेवायें आदि कार्यक्रम भी होगें। इसमें 0–6 के वर्ग के बच्चे, गर्भवती एवं धात्री महिलायें और किशोरियों लाभान्वित होती है।

जहाँ–जहाँ पर आई0सी0डी0एल0 द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र पूर्व में संचालित होगें, वहॉ पर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उनका सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। समय–समय पर उनकी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं उनको अतिरिक्त मानदेय की व्यवस्था भी की जायेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी आंगनबाड़ी केन्द्र सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालयों में संचालित किये जायें व उनका समय भी विद्यालय समयानुसार ही रखा जाये। ताकि जो 6–14 वय वर्ष के बच्चें अपने छोटे–भाई बहनों को साथ में तावें, वो उनके साथ ही वापस जायें तथा बड़े बच्चें निश्चित होकर अपनी पढ़ाई पूर्ण कर सकें।

जिन विकास खण्डों में आई0सी0डी0एस0 द्वारा केन्द्र संचालित नहीं हैं, वहां पद दो चरणों में केन्द्र खोलें जायेगें। जनपद कानपुर देहात कें मलासा, डेरापुर, राजपुर, सन्दलपुर, विकासखण्डों में वर्तमान समय में ऑगनबाडीत्र केन्द्र नहीं चल रहे

है। अतः जनपद में कुल 78 केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। वर्तमान समय में जनपद कानपुर देहात में में विकास खण्ड पर केन्द्रों की संख्या इस प्रकार है।

क्रम सं0	विकास खण्ड का नाम	आई.सी.डी.एस. - द्वारा संचालित ऑगनबाड़ी केन्द्र की संख्या	3–६ वय वर्ग के बच्चों की संख्या
1.	अकबरपुर	09	360
2.	सरवनखेड़ा	11	440
3.	अमरौधा	49	1960
4.	रसूलाबाद	70	2800
5.	मैथा	13	520

इस प्रकार वर्तमान में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों से 3–6 वय वर्ग के समस्त बालक–बालिकाओं को सेवित नहीं किया जा रहा है। इसलिये जनपद के ग्रामीण व नगरी क्षेत्रों मेकं आई0सी0डी0एस0 के साथ समन्वय कर शिशु शिक्षा केन्द्रों के खोलने का प्रस्ताव किया गया है।

जनपद कानपुर देहात के बीहड़ क्षेत्रों एवं जगुना पही वाले विकास खण्डों में शिशु शिक्षा केन्द्र खोलने से प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के धारण में वृद्धि होगी। केन्द्रों के चयन में न्यूनतम महिला साक्षरता दर, उच्च शाला त्यागदड, सक्रिय ग्राम शिक्षा समितियॉ आदि मानक रखा जायेगा।

इन केन्द्रों मे आवश्यक सामग्री यथा खिलौने, रोचक चित्रगुप्त पुस्तकें, स्लेट, पेन्सिल एवं टी0एल0एम0 का भी प्रस्ताव है।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता –

बालिका–शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा संचालित किया जायेगा। जिन विकास खण्डों में आई0सी0डी0एस0 द्वारा संचालित ऑगनवाड़ी केन्द्र नहीं है, उन विकास खण्डों में स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त स्वयं सेवी संगठनों द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण, अभिकर्मियों, को प्रशिक्षण तथा उन्हें संसाधनों की सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।

स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण हेतु पारदर्शी व्यवस्था की जायेगी। जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर प्रचार–प्रसाद कर ख्याति प्रापत एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से निर्धारित प्रारूप पद प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेगें। इन प्रस्तावों का डेस्क टॉप अप्रैजल एवं फील्ड अप्रैजल, विभाग द्वारा नामित अप्रैजल कमेटी द्वारा किया जायेगा तथा अपनी संस्तुति प्रदान करेगें। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किये जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिये कार्यानुभव –

11–14 वय वर्ग की बालिकाओं के लिये उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के साथ–साथ बालिकाओं के पारिवारिक, पारम्परिक एवं गैर पारम्पारिक ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

वर्तमान समय में बड़ी बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिभावकों की जागरूकता अपेक्षाकृत कम है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बालिकाओं हेतु उनके भावी जीवन हेतु उपयोगी कार्यक्रम का अभाव है। अतः वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उक्त व्यावसायिक प्रशिक्षणों के शामिल होने से निःसन्देह बालिकाओं एवं उनके अभिभावकों की रूचि विद्यालय के प्रति बढ़ेगी तथा नामांकन व ठहराव में वृद्धि होगी। सिलाइ–कढ़ाई, बुनाई, स्थानीय आवश्यकतानुसार टोकरी बनाना, मिट्टी के खिलौने बनाना, कागज का सामान बनाना, कम्प्यूटर शिक्षा आदि का प्रशिक्षण भी सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

आदर्श संकुल (माडल कलस्टर) –

किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये उसको एक साथ पूरे जनपद में न कर उसको छोटे–छोटे टुकड़ों में न्याय पंचाचत बार चालकर उसका विस्तार किया जाये, तो कार्यक्रम के पूर्ण सफल होने की संभावना होती है। इसी आधार पर सर्व शिक्षा अभियान में प्रत्येक वर्ष 15–15 न्याय पंचायतों को आदर्श संकुल के रूप मे विभाजित किया जायेगा तथा 6–14 वय वर्ग की समस्त बालिकाओं के शत प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव के लिये विशेष प्रयास किया जायेगा। समुदाय में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं उनकी भागेदारी हेतु विशेष कार्यक्रम चलाये जायेगें। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रीष्म कालीन शिविरों का आयोजन, मीना कैम्पेन, माँ–बेटी–मेला, माता–शिक्षक

संघ/शिक्षक अभिभावक संघ का प्रशिक्षण, ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण, अध्यापकों का संवेदीकरण आदि प्रमुख है। धीरे–धीरे मॉडल कलस्टरों की संख्या में वृद्धि की जायेगी। इस प्रकार 2008 तक सभी 109 पंचायतों को मॉडल कलस्टर के रूप में आच्छादिन का लिया जायेगा।

विशेष वर्ग की शिक्षा (समेंकित शिक्षा) :–

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी 6–14 वय वर्ग के बच्चों की को सुनिश्चित करने के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि विकलांग बच्चों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाये। और इन्हें शिक्षा के लिये सभी अवसर सुलभ कराये जायें तो सामान्य बच्चों को प्राप्त होते हैं जिससे ऐसे बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से अपने को वंचित न समझे और उनमें किसी भी प्रकार की कुण्ठा न रह जाये। किसी बच्चों की विकलांगता का असर बच्चें के सर्वागींण व्यक्तित्व को प्रभावित तो करता ही हैं वही उसका परिवार तथा समाज की प्रभावित होता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुऐ विकलांग बच्चों की शिक्षा को सर्वशिक्षा अभियान में बहुत महत्व दिया गया है।

विकलांगता के प्रकार :–

मुख्यत विकलांगता 5 प्रकार की होती है।

1. दृष्टि विकलांगता/नेत्र विकलांगता

2. श्रवण सम्बन्धी विकलांगता

3. मानसिक विकलांगता

4. सीखने की विकलांगता

5. **शारीरिक अक्षमता**

विकलांगता/अक्षमता के कारण :–

जहाँ तक विकलांगता का शरीर में पाये जाने का प्रश्न हैं वहाँ यह 2 प्रकार की होती है –

1. जन्म से – इस प्रकार की विकलांगता बच्चें के जन्म से ही होती है।

2. जन्म के बाद से – इस प्रकार की विकलांगता बच्चे के जन्म लेने के बाद से किसी भी समय हो सकती है।

जनपद कानपुर देहात में विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिये निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये।

1. परिषदीय विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ–साथ विकलांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना।

2. विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के समान शिक्षा के अवसर सुलभ कराना।

3. विद्यालयों में अनुकूल वातावरण सृजित करना।

4. ऐसे बच्चों के प्रति समुदाय को जागृत करना तथा उनमें संवेदनशीलता जागृत करना।

5. ऐसे बच्चों को शिक्षित करने के लिये शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता :–

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। उनको शिक्षा मुख्य धारा से जोड़ने के लिये सुनियोजित कार्यक्रम तैयार किये गये है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों का योगदान महत्वपूर्ण है। स्वयंसेवी संगठन समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज में जागृति पैदा करने, शिक्षकों के कौशला को विकसित करने, अभिभावकों, समाज, शिक्षकों की संवेदनशीलता जागृत करने, बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण में सहयोग करने तथा विकलांग बच्चों को आवश्यकता संसाधन उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान कर सकते है। स्वयं सवी संगठनों के चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षमता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा। चयन के लिये जनपद के ख्याति प्राप्त अनुभवी स्वयंसेवी संगठनों से प्रस्तावों आमंत्रित किये जायेगें, इन प्रस्तावों का एप्रेजल समिति द्वारा डेस्क टास्क ए प्रेजल/फील्ड ए प्रैजल किया जायेगा।

उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपनायी जाने वाली रणनीति :–

1. विकासखण्ड स्तर पर एक सन्दर्भ समूह तैयार किया जायेगा। जिन्हें विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिये प्रशिक्षित किया जायेगा।

2. इस सन्दर्भ में समूह द्वारा प्रत्येक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयक और शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्र पर आयोजित किये जायेगें।

3. ग्राम शिक्षा समितियों तथा समाज के जागरूक व्यक्तितयों को विकलांग बच्चों के प्रति संवेदनशीलता जागृत करने हेतु न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर उनको विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा। सभी प्रकार के प्रशिक्षण में विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिये एक शाडयूल विकसित किया जायेगा।

4. विकलांग बच्चों को उनकी विकलांगता के अनुरूप चिकित्सा की सलाह पर निःशुल्क उपकरण उपलब्ध कराए जायेगे।

5. विकलांग बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य विभाग की सहायता से कराया जायेगा।

6. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान समय में जनपद के 2 विकास खण्ड अकबरपुर सरवनखेड़क्का में समेवित शिक्षा हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।

जनपद में कुल 1638 विकलांग बच्चों का चिन्हीकरण किया गया। जनपद के सभी विकास खण्डों में स्वयं सेवी संगठनों से सहयोग लेकर समेकित शिक्षा चलाने का प्रस्ताव है। इसके लिये जिला विकलांग कल्यसाण अधिकारी से सहयोग लिया जायेगा।

मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण –

प्रत्येक विकास खण्ड से चार मास्टर ट्रेनर्स के हिसाब से प्रशिक्षिण किया जायेगा, यह प्रशिक्षण 10 दिवसीय होगा। प्रत्येक विकास खण्ड से 2 बी0आर0सी0 / ए0बी0आर0सी0 को 46 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा।

ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण –

जनपद स्तर पर प्रशिक्षिण 4 मास्टर ट्रेनर्स द्वारा विकास खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगें। इस प्रशिक्षण के प्रभावी अनुश्रवण हेतु स0बे0शि0 अधिकारियों तथा बी0आर0सी0 समन्वयकों को भी प्रशिक्षित किया जायेगा।

विकलांग बच्चों की सहायता हेतु आवश्यकता उपकरणों की उपलब्धता :–

दो चयनित विकास खण्डों में न्याय पंचायत स्तर पर मेडिकल ऐसेसमेण्ट कैम्प के बाद डाक्टरों की टीम द्वारा सुझावी गयी विकलांगता हेतु 428 विकलांग बच्चो की प्रमाणपत्र वितरित किये गये तथा उपकरणों को प्रदान करने के लिये निम्न व्यक्तियों / सस्थाओं से सहयोग लिया जायेगा।

1. जिला विकलांग कल्याण अधिकारी
2. डूडा
3. डी0आर0डी0ए0
4. कम्पोजित फिटमैण्ट सेण्टर
5. एल्मिको

6. रेड क्रास सोसाइटी

शिक्षको का प्रशिक्षण :–

जनपद के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्रा0 विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को विकलांगता के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने की प्रस्ताव है। यह प्रशिक्षण ब्लाक स्तर पर आयोजित किये जायेगें। प्रत्येक पैरे में 37 प्रतिभागी रहेगें तथा प्रत्येक फेरे का खर्चा 17200/– रूपया प्रस्तावित है।

क्रम0 सं0	प्राथमिक स्वा0 केन्द्र का नाम	विद्यालय का नाम	स्वा0 परीक्षण की तिथि	कुल छात्रों की संख्या जिनका परीक्षण किया गया।	छात्रों की संख्या जिनको विद्यालय में ही उपचार दिया गया।	छात्रों की संख्या जिन्हें संदर्भित किया गया			सामु. स्वा0 केन्द्रों में विक लांगों की परीक्षण तिथि	प्रदत्त विकलाग प्रमाण पत्रों की संख्या			अन्य विवरण
						गंभीर	कम गंभीर	साधारण		मूक	श्रव्य दोष	दृष्टि दोष	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.		सवरन खेड़ा		6863	168	–	4	159	–	–	–	5	
2.		झीझंक		770	134	5	72	46	–	2	5	4	
3.		रसूलाबाद		11753	1557	4	98	1455	–	–	–	–	
4.		अकबरपुर		10545	2725	6	68	2627	–	4	12	8	
5.		डेरापुर		1633	–	–	–	–	–	–	–	–	
6.		राजपुर		5676	1233	15	39	1179	–	–	–	–	
7.		ककवन		3521	3227	–	9	3204	–	–	12	2	
8.		सन्दलपुर		5911	2063	4	99	1952	–	7	1	–	
9.		अमरौधा		16896	5633	71	882	4576	–	25	40	39	
10.		मैथा		21669	260	3	12	242	–	–	–	3	
11.		मलासा		12233	11087	13	57	10980	–	4	27	6	
		योग		97470	28087	121	1340	26420	–	42	97	67	28.8

समाज उपयोगी उत्पादक कार्य –

उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेषकर बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव को प्रभावी बनाने बनाने के लिए 2:1 के अनुपात में विद्यालयों का निर्माण कराया जायेगा क्योंकि अधिकतर अभिभावक विद्यालय की दूरी अधिक होने के कारण अपनी लड़कियों को विद्यालय नहीं भेजते। इसी प्रकार कुछ ऐसे रूचिकर एवं जीवनोपयोगी कार्य कराने का भी प्रस्ताव किया गया है। जैसे– रद्दी कपडे एवं कागज की कतरन से खिलौना बनाना, कागज की लुगदी की कतरन से खिलौना बनाना, कागज की लुगदी से खिलौने बनाना, सिलाई, कढ़ाई का कार्य करना।

जैम, जैली, अचार, मुरब्बा, आदि बनाना आदि।

इन कार्यो के संचालन हेतु आवश्यक सामग्री सिलाई मशीन, कढ़ाई, फ्रेम, सुई, डोरा, सांचे आदि क्रय किये जाने का प्रस्ताव है। प्रथम चरण में विकास खण्ड के पांच–पांच ऐसे विद्यालयों को सामग्री दी जायेगी जहां रखरखाव एवं सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था हो। इसका अग्रिम वर्षो में चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जायेगा।

कम्प्यूटर शिक्षा –

इक्कीसवीं सदी में सूचना प्रौद्यौगिक के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति हुयी है। समाज की बढ़ी हुयी आवश्यकताओं के अनुरूप आने वाले समय में बच्चें अपने आपको समायोजित कर सकें इसलिए यह आवश्यक है कि कक्षा 6 से (उच्च प्रा0 स्तर ही कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवहारिक जानकादी दी जाय। अतः जनपद के प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय को एक एक कम्प्यूटर तथा यू.पी.एस. दिय जाने का प्रस्ताव सर्व शिक्षा के अन्तर्गत किया जा रहा है।

कम्प्यूटर दिए जाने के लिए प्रथम चरण में उन विद्यालयों को कम्प्यूटर एवं यू.पी.एस0. दिए जायेगें जिनमें सुरक्षा एवं बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है। द्वितीय चरण में शेष उच्च प्राथमिक विचद्यालयों को बिजली युक्त करके कम्प्यूटर दिया जायेगा।

अध्याय–9

गुणवत्ता संवर्द्धन

जनपद मे डायट की भूमिका –

नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का गठन कर शिक्षा को एक नई दिशा प्रदान करने का प्रयास किया था। यह कार्य तीन चरणों में किया गया। जनपद कानपुर देहात में की डायट तृतीय चरण की है जो वर्ष 1996 में आरम्भ हुई व आज भी अधूरे एवं गैरहस्तान्तरित भवन में कार्यरत है। डायट की प्रमुख भूमिकाये निम्नवत् है–

1. सम्पूर्ण देश में शिक्षा के स्तर में समानता लाना।
2. जनपद स्तर पर सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली का नेतृत्व करना।
3. पाठ्यक्रम का निर्धारण , संशोधन एवं समय–2 पर स्थानीय आवश्यकतानुसार उसमें परिवर्तन करना।
4. पाठ्य पुस्तको की गुणवत्ता एवं मूल्यांकन का स्तर बनाये रखना।
5. प्राथमिक शिक्षकों को सेवा पूर्व प्रशिक्षण देना।
6. संवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं ग्रणवत्ता संवर्द्धन।
7. टी.एल.एम. का निर्माण करना।
8. शिक्षा में नवाचार लाना।
9. शोध कार्य एवं क्रियातमक शोध करानां
10. शिक्षकों एवं विद्यालयों की सम्स्याओं का अध्ययन कर शासन तक उन्हें पहुँचाना व उनका निराकरण करना।

जनपद में प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति :

जनपद कानपुर देहात में प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार शत–प्रतिशत नामांकन बालिका शिक्षा सामुयिक सहभागिता एवं वैकल्पिक शिक्षा सहित कई अति महत्वपूर्ण बिन्दुओं में अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अप्रैल 2000 से डी0पी0–3 प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के प्रथम चरण में जनपद में 50 विद्यालयों का रेण्डम सर्वे कराकर वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन किया गया। तत्पश्चात जनपद की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये आगामी योजना तैयार की गयी। इसके बाद डायट प्राचार्य के निर्देशन में बी0आर0सी एवं एन0पी0आर0जी0 स्तर पर समन्वकों/सह समन्वयकों, टी0ओ0टी0 एवं वी0आर0जी. का गठन किया गया। इसके बाद मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण कराया गया और अन्त में जनपद स्तरीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भैंसऊ कानपुर देहात में प्रारम्भ हुये जो अभी चल रहे हैं।

जनपद कानपुर देहात में डी0पी0ई0–3 के अन्तर्गत प्रदेश स्तर पर जो प्रशिक्षण एवं कार्यशालायें आयोजित की गयी, वे इस प्रकार हैं –

1. प्रदेश स्तर पर एस0आर0जी0 का गठन एवं उनका प्रशिक्षण कराया गया जिन्हें शिक्षक प्रशिक्षण हेतु दक्षता आधारित प्रशिक्षण दिया गया। जिनमें मास्टर ट्रेनर्स का चयन बी0ई0पी0 जनपदों एवं डी0पी0ई0पी0–3 आच्छादित जनपदों से किया गया।
2. नवीन पाठ्य पुस्तकों का लेखन।
3. पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु आंगन वाड़ी कार्यकत्रियों को प्रशिक्षित करने हेतु मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण कराया गया जिससे राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद की प्रमुख भूमिका रही।

4. सीमेट इलाहाबाद के सहयोग से बिजनिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका लक्ष्य भविष्य में प्राथमिक पाठशाला हम किस रूप में देखना चाहते हैं तथा इस परिवर्तन में शिक्षकों एवं पर्यवेक्षकों की भूमिका क्या होगी। उक्त कार्यशाला में प्राचार्य डायट एवं वरिष्ठ प्रवक्ता, विशेषज्ञ, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, दो शिक्षक प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया।

5. सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु जनपद स्तर पर डी0आर0 जी का गठन किया गया एवं प्रदेश स्तर पर उनका प्रशिक्षण कराया गया।

6. शिक्षा मित्रों एवं आचार्यों को प्रशिक्षित करने हेतु डायट के तीन प्रवक्ताओं को प्रशिक्षित कराया गया।

7. ब्लाक समन्वयकों/सह समन्वयकों एवं एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को आधार भूत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु मास्टर्स ट्रेनर का चयन एवं उनका प्रशिक्षण प्रदेश स्तर पर कराया गया।

8. बी0आर0सी0 समन्वयकों एवं डायट मेन्टर्स की दक्षता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु शैक्षिक सपोर्ट कार्यशालायें आयोजित की गयीं, जिनमें प्राचार्य डायट, वि0बे0 अधिकारी एवं जिला समन्वयकों की उपस्थिति अनिवार्य रखी गयी। इन कार्यशाला में एक आदर्श बी0आर0सी एवं एन0पी0आर0पी0 का मौके पर जाकर निरीक्षण कराया गया।

9. शत प्रतिशत नामांकन हेतु स्कूल चलो अभियान का आयोजन किया गया।

10. विगत वर्ष 2000–2001 में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक सभी बालिकाओं एवं अनु0 जाति के बालकों में निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण कराया गया।

11. वर्तमान वर्ष 2001–02 में समस्त बच्चों में निशुल्क पुस्तक वितरण करायाा गया।

12. कक्षा 1–5 तक सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उन्हें हेल्थ कार्ड वितरित किये गये।

13. वैकल्पिक शिक्षा के अन्तर्गत विद्या केन्द्रों का चयन कर उनमें आचार्यों की नियुक्ति की गयी इन केन्द्रों पर कक्षा 1 तथा 2 के कम से कम 30 बच्चों का शिक्षा प्रदान की जाती है।

14. अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिये शिक्षा मित्रों का चयन किया गय जिसमें ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका महत्वपूर्ण रखी गयी।

15. वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली में गुणात्मक सुधार लाने हेतु प्रदेश स्तर पर डायट में तीन प्रवक्ताओं को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में प्रशिक्षित किया गया।

16. कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों हेतु टी0एल0एम0 के निर्माण हेतु एक कार्यशाला प्रदेश स्तर पर करायी गयी जिसमें पूरे प्रदेश से विशेषज्ञों का चयन कर उन्हें दक्षता आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

17. प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान समस्याओं के स्व–निराकरण हेतु एक्शन रिसर्च के अन्तर्गत सीमेट इलाहाबाद में प्रशिक्षण दिया गया।

18. एस0ओ0पी0टी0 (प्राथमिक शिक्षकों हेतु विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम) के अन्तर्गत कक्षा 6 से 8 तक के विज्ञान एवं गणित के अध्यापकों को प्रशिक्षित करने हेतु राजा विज्ञान संस्थान इलाहाबाद द्वारा डायट के विज्ञान व गणित प्रवक्ताओं को प्रशिक्षित किया गया।

19. दूरस्थ शिक्षा लागू करने हेतु डायट के प्रवक्ताओं को दूरदर्शन कार्यक्रम तैयार करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

20. विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण चलाये जाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

जनपद स्तर पर कराये गये प्रशिक्षण :–

जनपद कानपुर देहात में जनपद स्तर पर निम्नांकित प्रशिक्षण चलाये जा रहे हैं।

1. सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण :

इसके अन्तर्गत नवीन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित कक्षा 1 से 5 तक के सभी शिक्षकों/शिक्षिकाओं को ब्लाक स्तर पर बुलाकर टी0ओ0टी0 के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

2. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वी0आर0जी0 का गठन किया गया तथा उन्हें ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

3. वी0आर0जी0 के माध्यम से जनपद की लगभग 50 प्रतिशत ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण कराया जा चुका है।

4. पूर्व प्राथमिक शिक्षा जनपद के दो ब्लाक का चयन कर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के प्रशिक्षण की तैयारी पूर्ण कर ली गयी है।

5. शिक्षा मित्रों (जिनका चयन उसी ग्राम पंचायत से किया गया जिसमें अध्यापक की कमी है) एवं आचार्यो का चयन का डायट स्तर पर उनका प्रशिक्षण चल रहा है तथा 80 प्रतिशत की नियुक्ति भी हो चुकी है।

6. बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु प्रत्येक ब्लाक के 5 समर कैम्प तथा मीना कैसेट द्वारा इस कार्यक्रम को रोचक बनाया गया।

7. शत–प्रतिशत नामांकन हेतु जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, विशेष बे0शि0 अधिकारी एवं डायट प्राचार्य के निर्देशन तथा सभी परगना अधिकारियों की सहायता से स्कूल चलो अभियान पूरे जनपद में विगत वर्ष तथा वर्तमान वर्ष 2001–02 में चलाया गया।

8. शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु स्कूल ग्रेडिंग करायी जा रही है इसमें मुख्य भूमिका डायट प्राचार्य की होगी।

9. विद्यालयों की साज सज्जा हेतु प्रति विद्यालय रू0 2000/– प्रति वर्ष अनुदान दिया गया।

10. शिक्षकों को प्रतिवर्ष रू0 500/– शिक्षण अधिकतम सामग्री निर्माण हेतु प्रदान किया जायेगा।

11. विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु दो ब्लाक का चयन कर शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की कार्य योजना तैयार कर ली गयी है।

12. वैकल्पिक शिक्षा के अन्तर्गत समस्त बी0आर0पी0एम0 समन्वयकों सह समन्वयको एवं एन0पी0.आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण प्रस्तावित है।

13. मूल्यांकन की वर्तमान प्रणाली आधारित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कक्षा 1–5 तक के बच्चों हेतु प्रस्तावित है।

14. टी0एल0एम0 निर्माण हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रस्तावित है।

15. बी0आर0सी0 समन्वयकों/सह समन्वयकों व एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का उनके कर्तव्य एवं अधिकारों से सम्बन्धित आधारभूत प्रशिक्षण चल रहा है।

16. विजनिंग कार्यशालायें करायी जा रही हैं।

17. डायट स्तर पर नवीन पाठ्य पुस्तकों का निर्माण प्रस्तावित है।

18. शैक्षिक तकनीकी विभाग द्वारा गुणवत्ता सुधार हेतु कार्यशालायें प्रस्तावित है।

शिक्षकों को सहयोग व समर्थन की व्यवस्था :–

गुणवत्ता विकास एवं बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर में वृद्धि करने और कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है। डायट कानपुर देहात के

नेतृत्व में शिक्षक की क्षमता वर्द्धन विषय वस्तु के जान में अभिवृद्धि तथा शिक्षण कौशलों में अपेक्षित बदलाव लाने के लिये बहुआयामी रणनीति अपनाई गयी थी। डी0पी0ई0पी0 के पूर्व एस0ओ0पी0टी0 कार्यक्रम के दौरान कुछ कठिनाइयां अनुभव की गयी थी। वे अग्रलिखित हैं।

1. प्रशिक्षण की विषय वस्तु शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं से सीधी जुड़ी नहीं थी।
2. प्रशिक्षण को कक्षा की वास्तविकताओं व प्रक्रिया से जोड़ा नहीं जा सका।
3. सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण में शामिल नहीं किया जा सका। उक्त अनुभवों के आधार पर डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत सेवारत शिक्षकों के लिये प्रति वर्ष प्रशिक्षण आयोजित करने की व्यवस्था है परन्तु अभी तक सिर्फ एक चक्र का प्रशिक्षण ही हो पाया है, तथा इसमें भी कतिपय कारण्णों से प्रत्येक विकास खण्ड में लभग एक–एक बैच के शिक्षक अभी भी प्रशिक्षण से वंचित हैं। विकास खण्ड रतरीय इन प्रशिक्षणों का पर्यवेक्षण व अनुश्रवण डायट सदस्यों व डी0पी0ई0पी0 के जिला समन्वयक द्वारा किया गया है।

शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट हेतु जिला स्तर पर तैयार किये गये पैरामीटर/इन्टीकेटर्स का प्रयोग करते हुये विद्यालयों बी0आर0पी0 व एन0पी0आर0सी0 को श्रेणीवद्ध किया जाना सुनिश्चित है।

जनपद में ग्रेडिंग के अनुसार स्कूलों की स्थिति सारणी 9.1 के अनुसार निम्नवत है –

जनपद के स्कूलों की ग्रडिंग के अनुसार स्थिति –

सारणी – 9.1

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	श्रेणी				कुल विद्यालय जिनका निरीक्षण किया गया	पर्यवेक्षक, डायट मेन्टर्स शिक्षक प्रशिक्षकों के सुझाव बिन्दु
		ए0	बी0	सी0	डी		
1.	अकबरपुर	–	21	74	17	112	
2.	मैथा	09	96	30	03	138	
3.	सखन खेड़ा	–	04	12	80	96	
4.	मलासा	–	06	37	70	113	
5.	अमरौधा	11	65	34	10	120	
6.	झींझक	–	12	78	24	114	
7.	डेरापुर	03	14	60	18	85	
8.	रसूलाबाद ककवन	–	57	72	40	169	
9.	संदलपुर	16	57	04	01	78	
10.	राजपुर	02	03	54	54	113	
	योग	41	275	445	317	1138	

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण विवरण –

प्राथमिक स्तर :– डी0पी0ई0 के अन्तर्गत शिक्षकों को पांच चक्र प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है। सत्र 2000–01 में कुछ शिक्षकों के अतिरिक्त (लगभग 15 प्रतिशत को छोड़कर) एक चक्र का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ये प्रशिक्षण ब्लाक स्तर पर बी0आर0सी0 में आयोजित किये गये। बी0आर0सी0 समन्वयकों व सह–समन्वयकों द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी।

प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणें का चयन खुली चयन प्रतियोगिता द्वारा किया गया और उनको टी0आर0ओ0 प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसमें प्राथमिक/उच्च प्राथमिक तथा

सेवा निवृत्त शिक्षक की शामिल किये गये। इस व्यवस्था में उभर कर आये तथ्यों के अनुसार प्रत्येक विकास खण्ड में बी0आर0सी0 सदस्यों में से कम से कम एक प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से शामिल किये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी, जिससे बी0आर0सी0 स्तर पर प्रत्येक शिक्षक के व्यवहार रूचियों व क्षमताओं का निष्पक्ष आंकलन किया जा सके।

प्रथम चक्र के प्रशिक्षण आठ दिवसीय आयोजित किये गये। इस प्रशिक्षण की विषय वस्तु डायट द्वारा निर्देशित बिन्दुओं के अनुरूप थी। इसमें वास्तविक कक्षा शिक्षण, पाठ्य पुस्तक परिचय व उनकी आलोचना समालोचना टी0एल0एम0 निर्माण गतिविधियों के माध्यम से कक्षा शिक्षण को रोचक बनाया, समूहों में विभक्त करके शिक्षण कार्य करने की विधियों की जानकारी दी गयी।

उच्च प्राथमिक स्तर :–

उच्च प्राथमिक स्तर में शिक्षकों के लिये डी0पी0ई0पी0 योजना में प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है। इस दृष्टि से इन शिक्षकों के लिये भी प्रशिक्षण की व्यवस्था होना अनिवार्य है।

जनपद में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता व अनुभव की स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट है :–

जनपद में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता व अनुभव स्थिति :–

सारणी 9–2 (अ)

क्रम सं0	शैक्षिक योग्यता	प्राथमिकस्तर	उच्च प्रा0 स्तर
1.	शिक्षकों की कुल सं0	2651	537
2.	हाईस्कूल से कम योग्यता धारी	17	--
3.	हाईस्कूल उत्तीर्ण शिक्षक	155	--
4.	इण्टर उत्तीण प्रशिक्षित	1555	284
5.	स्नातक प्रशिक्षित	35	--
6.	स्नातक अप्रशिक्षित	18	--
7.	परास्नातक प्रशिक्षित	71	81
8.	परास्नातक (अप्रशिक्षित)	05	--

स्त्रोत – बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय – कानपुर देहात।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि प्राथमिक विद्यालयों में (17) शिक्षक हाईस्कूल से कम योग्यता वाले हैं। इन्हें विभिन्न विषयों की विषय वस्तु का ज्ञान देने की विशेष आवश्यकता है कुल शिक्षकों में 58 शिक्षक अप्रशिक्षित हैं, इन्हें प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है।

सारणी 9–2 (ब)

क्रम सं0	शैक्षिक अनुभव	प्राथमिक स्तर	उच्च प्रा0 स्तर
1.	5 वर्ष से कम	265	65
2.	5 से 10 वर्ष तक	385	92
3.	10 से 15 वर्ष तक	405	105
4.	15 से 20 वर्ष तक	681	97
5.	20 से 25 वर्ष तक	397	82
6.	25 से 30 वर्ष तक	305	93
7.	30 वर्ष से अधिक	213	53
	कुल	2651	537

स्त्रोत – बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय कानपुर देहात

सारणी 9.2 ब से स्पष्ट है कि जनपद में 265 शिक्षक 5 वर्ष से कम अनुभव वाले हैं। इन्हें छोटे बच्चों की शिक्षण विधाओं, बहु कक्षा शिक्षण, समय सारणी, कक्ष प्रबन्धन आदि की विशेष जानकारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

प्रोत्साहन योजनायें :–

प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के नामांकन एवं ठहराव के लिये सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। जनपद के 14 वर्ष तक आयु के समस्त बच्चें को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये समयवद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले वर्ष अनुसूचित जाति के बालको एवं समस्त बालिकाओं को निशुल्क पाठ्य पुस्तके उपलब्ध करायी गयी थीं। वर्तमान सत्र 2001–02 में भी प्राथमिक विद्यालयों के सभी वर्ग के छात्र छात्राओं को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयीं है। फलस्वरूप छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुयी है। बच्चों के लिये पोषाहार कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन अभिभावकों का वितरण डी0पी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत किया गया।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0) के अन्तर्गत बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति का मूल्यांकन किया गया है। इस कार्यक्रम में बेस लाइन एसेसमेंट स्टडी तथा मिडटर्म ऐससमेन्ट स्टडी 1999–2000 में की गयी। इन अध्यनों के आधार पर बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति का तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्थिति अग्रानुसार सारणियों से स्पष्ट है–

बेस लाइन स्टडी तथा मध्यावधि स्टडी के अनुसार छात्रों की उपलब्धि –

कक्षा 1 भाषा में छात्रों की उपलब्धि

परीक्षण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत	अनु0जाति मध्यमान प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग मध्यमान	अन्य वर्ग मध्यमान प्रतिशत
बेस लाइन सर्वे	10ण्80:	10ण्55:	9ण्7:	10ण्93:	11ण्93:
मध्यावधि सर्वे	.	.	.	.	.
उपलब्धि में वृद्धि	.	.	.	.	.

स्त्रोत – विभागीय आंकड़े

कक्षा 1 गणित में छात्रों की उपलब्धि

परीक्षण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत	अनु0जाति मध्यमान प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग मध्यमान	अन्य वर्ग मध्यमान प्रतिशत
बेस लाइन सर्वे	13ण्01:	11ण्09:	11ण्12:	12ण्07:	13ण्51:
मध्यावधि सर्वे	.	.	.	.	.
उपलब्धि में वृद्धि	.	.	.	.	.

स्त्रोत– विभागीय आकड़े

कक्षा 4 भाषा में छात्रों की उपलब्धि

परीक्षण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत	अनु0जाति मध्यमान प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग मध्यमान	अन्य वर्ग मध्यमान प्रतिशत
बेस लाइन सर्वे	33ण्91:	29ण्54:	30ण्89:	31ण्52:	33ण्90:
मध्यावधि सर्वे	.	.	.	.	.
उपलब्धि मे वृद्धि	.	.	.	.	.

स्त्रोत– विभागीय आकड़े

स्त्रोत –विभागीय आंकड़े

कक्षा–1 भाषा में छात्रों की उपलब्धि

स्तर	बालक		बालिका		योग	
	सख्ंया	प्रतिशत	सख्ंया	प्रतिशत	सख्ंया	प्रतिशत
न्यूनतम अधिगम स्तर से कम	148	36.7	171	39.9	319	38.3
न्यूनतम अधिगम स्तर	84	20.8	92	21.4	176	21.2
न्यूनतम अधिगम स्तर से अधिक	91	22.6	82	10.1	173	208
कुल	323		345			

स्त्रोत –विभागीय आंकड़े

कक्षा–1 गणित में छात्रों की उपलब्धि

स्तर	बालक		बालिका		योग	
	सख्ंया	प्रतिशत	सख्ंया	प्रतिशत	सख्ंया	प्रतिशत
न्यूनतम अधिगम स्तर से कम	104	25.8	154	35.9	258	31.00
न्यूनतम अधिगम स्तर	56	13.9	88	20.5	144	17.3
न्यूनतम अधिगम स्तर से अधिक	143	35.5	95	22.1	238	28.6

स्त्रोत –विभागीय आंकड़े

कक्षा–4 गणित में छात्रों की उपलब्धि

स्तर	बालक		बालिका		योग	
	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
न्यूनतम अधिगम स्तर से कम	285	80ᵛ1	296	90ᵛ2	581	84ᵛ9
न्यूनतम अधिगम स्तर	44	12ᵛ4	23	7ᵛ0	67	9ᵛ8
न्यूनतम अधिगम स्तर से अधिक	06	1ᵛ7	1	0ᵛ3	7	1ᵛ0

स्त्रोत –विभागीय आंकड़े

कक्षा–4 भाषा में छात्रों की उपलब्धि

स्तर	बालक		बालिका		योग	
	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
न्यूनतम अधिगम स्तर से कम	145	40ᵛ7	167	50ᵛ9	312	45ᵛ6
न्यूनतम अधिगम स्तर	134	37ᵛ6	141	43ᵛ0	275	40ᵛ2
न्यूनतम अधिगम स्तर से अधिक	27	7ᵛ6	8	2ᵛ4	35	5ᵛ1

स्कूल में कक्षाओं की स्थितिः–

परिषदीय विद्यालय	कुल योग	एक शिक्षक विद्यालय	दो शिक्षक विद्यालय	तीन शिक्षक विद्यालय	चार शिक्षक विद्यालय	पांच शिक्षक विद्यालय
प्राथमिक स्तर	1172	40	888	147	103	18
पूर्व मा0 स्तर	192	21	89	55	21	06

स्त्रोत बेशिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर देहात

विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या सारणी को देने से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक विद्यालय में 3०9: विद्यालय एक शिक्षक वाले 73०2 : विद्यालय दो शिक्षक वाले है। 12०5: विद्यालय तीन अध्यापक वाले तथा 8०78: विद्यालय 4 शिक्षकों वाले है। 1०5: विद्यालय 5 शिक्षक वाले है इस स्थिति में अधिकांश विद्यालयों में एक अध्यापक को एक साथ कई कक्षायें पढ़ानी पड़ती है। इसके लिए शिक्षकों को बहुकक्षा शिक्षण विधियों की जानकारी होना आवश्यक है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी बहु कक्षा शिक्षण की स्थिति बनी हुई है। इन विद्यालायों के भाषा, गणित व विज्ञान विषयों के लिये विशेष प्रशिक्षित अध्यापक होने चाहिये। तभी वह इन विषयों के शिक्षण ठीक प्रकार से कर सकते हैं।

स्कूल भ्रमण, शिक्षकों से विचार विमर्श के दौरान शिक्षक अपनी शैक्षिक समस्याओं को इस प्रकार बताते हैं –

1. प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। इस अवस्था में सीमित समय तक तो कार्य किया जा सकता है। परन्तु पूरे सत्र का कार्य नहीं किया जा सकता है।

2. अन्य विभागों के कार्यों में लगा दिये जाने के कारण एकल विद्यालय तो बन्द ही हो जाते हैं, दो शिक्षकों वाले विद्यालय भी एकल या कभी–कभी बन्द होने की स्थिति में हो जाते हैं।

3. अभिभवक प्रोत्साहन योजनाओं को निजी हित में खर्च कर देते हैं तथा छात्रों को इसका लाभ कम ही मिल पाता है।

4. बच्चों के गृह कार्य में अभिभावक सहयोग नहीं कर पाते हैं।

5. ग्रामीण क्षेत्रों के अभिभावक बच्चों को खेतों व अन्य घरेलू कार्यों में लगा देते हैं।

6. उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी विषयों के अध्यापक नहीं है।

7. उच्च प्राथमिक विद्यालय बी0आर0पी0 एन0पी0.आर0सी0 से आच्छादित नहीं है इन्हें भी शैक्षिक सपोर्ट की नितान्त आवश्यकता है।

डायट की वर्तमान स्थिति :–

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कानपुर देहात के तृतीय चरण की डायट है। इसकी स्थापना वर्ष 1996 में हुई थी तथा इसका भवन आज भी अधूरा तथा निर्माणाधीन है एवं अभी तक शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित नहीं किया गया। वर्तमान में यह भवन तहसील बिल्हौर में स्थित है जो कानपुर नगर में आ गयी है।

भवन जी0टी0रोड एवं रेलवे स्टेशन से 4 किमी0 दूर होने तथा आवागमन के साधन उपलब्ध होने के कारण प्रशिक्षण के लिये पूरी तरह प्रतिकूल है। जनपद का एक कोना होने के कारण कुछ गांव यहां से लगभग 100 किमी0 की दूरी पर स्थित हैं।

भवन गांव से बाहर स्थित होने के कारण पूर्णतः असुरक्षित भी हैं तथा रात्रि में ठहरने के लिये तथा बालिकाओं के छात्रावास हेतु पूरी तरह बेकार हैं। निर्माण की

जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को दी गयी है जो विगत 6 वर्ष में भी भवन पूरा न कर सका।

अतः उक्त परिस्थितियों में डायट में कार्यरत स्टाफ के लिये घोर परेशानी का कारण वन गया है। उक्त सम्बन्ध में विगत एवं वर्तमान प्राचार्य ने काफी पत्राचार विभाग से किया किन्तु अभी तक कोई आशा जनक कार्यवाही नहीं हो सकी है।

भवन के अभाव में सभी विभागों का वेहद कीमती सामान एक बड़े हाल में सील्ड करके रख दिया गया है, जिसमें दो बार चोरी भी हो चुकी है।

गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका :–

डायट द्वारा जनपद में चलाने वाले समस्त शैक्षिक कार्यक्रमों का नेतृत्व करता है तथा जनपद स्तर से एन0पी0आर0सी0 स्तर तक नियुक्त सभी अभिकर्मियों के लिये प्रशिक्षण एवं नियोजन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा स्कूल में नवीनीकरण, अभिकर्मियों की क्षमता विकास, शोध, मूल्यांकन एवं नवाचार कार्यक्रमों का संचालन एवं अनुश्रवण, सामग्री विकास, आंकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि।

गुणवत्ता विकास में बी0आर0सी0 की भूमिका :–

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का नियोजन एवं आयोजन
2. विद्यालय भ्रमण, मासिक वैठकों तथा समय–समय पर कक्षाओं का अवलोकन एवं शिक्षकों को आवश्यक दिशा–निर्देशन प्रदान करना।
3. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण।
4. एन0पी0आर0सी0 स्तर के सभी क्रिया कलापों का पर्यवेक्षण।

गुणवत्ता विकास में एन0पी0आर0सी0 की भूमिका :–

1. शिक्षकों की मासिक बैठक करना।
2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तक अनुश्रवण

3. स्कूल चलो अभियान एवं बाल गणना।

4. बी0आर0सी0 को सहयोग प्रदान करना।

5. बैठक के निष्कर्षों से डायट प्राचार्य को अवगत कराना।

6. बाल मेलों का आयोजन

7. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन।

क्षमता विकास करना –

डी0पी0ई0–3 के अन्तर्गत कक्षा 1–5 तक के बच्चों हेतु विभिन्न कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। यथा बी0आर0सी0 समन्वयकों/सह समन्वयकों तथा एन0वी0आर0सी0 समन्वयकों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करना। डायट की क्षमता विकास हेतु संस्थागत क्षमता विकास कार्यक्रम को लागू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से जन जागृति लायी जायेगी।

राज्य स्तर में प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्यों को प्रशिक्षित कराके क्षमता में वृद्धि की जायेगी।

अकादमिक सन्दर्भ समूह की गुणवत्ता सुधार में भूमिका :–

इस समूह में डायट के अतिरिक्त बाह्य शिक्षा विद् एवं योग्य शिक्षकों को भी सम्मिलित कया गया है। अतः इनकी प्रतिमाह बैठक में विभिन्न आवश्यक सुझाव प्राप्त होते हैं। शिक्षकों की समस्याओं में निदान हेतु 4 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

गुणवत्ता सुधार में स्वयं सेवी संगठनों की भूमिका :–

जनपद में सर्वे से ऐसा ज्ञात हुआ है कि जनपद में स्वयं सेवी संगठनों की काफी कमी हैं किन्तु जो संगठन कार्यरत हैं उनकी सेवायें ली जा रही हैं। विशेष रूप से ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण में।

शिक्षण सामग्री का विकास करना :–

डायट को शिक्षकों हेतु टी0एल0एम0 निर्माण में भी अहम भूमिका निभाना है. इसके लिये जनपदवार विकास खण्ड स्तर एवं एन0पी0आर0सी0 स्तर पर क्रमश कार्यशालायें आयोति करके डी0पी0ई0पी0 के कार्यक्रमों एवं अनुभवों से लाभ उठाया जायेगा।

कम्प्यूटर शिक्षा :–

आज कल हर क्षेत्र में कम्प्यूटर में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो चुका है। अतः बी0आर0सी0 समन्वयकों/सह समन्वयकों एवं एन0पी0आर0 समन्वयकों को कम्प्यूटर शिक्षा आधारित प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

कार्यशाला एवं गोष्ठियों का आयोजन :–

प्राथमिक स्तर के विभिन्न विद्यालयों की विभिन्न समस्याओं हेतु डायट स्तर पर कार्यशालायें आयोजित की जायेंगी। सर्व शिक्षा के अन्तर्गत बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 स्तर पर वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर शिक्षकों की कठिनाइयों के निराकरण, आदर्श पाठ प्रस्तुतीरकण आदि विन्दुओं पर गोष्ठियां आयोजित की जायेंगी। गोष्ठियों के नियोजन एवं सफल संचालन में डायट मेन्टर्स अहम भूमिका अदा करेंगे तथा उनसे प्राप्त अनुभवों का प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सम्वर्द्धन में भरपूर लाभ उठाया जायेगा।

शोध एवं मूल्यांनक :–

जनपद के शिक्षकों द्वारा एक्सन रिसर्च कार्य किये जाने की दृष्टि से 5 दिवसीय कार्यशालायें आयोजित की जायेगी। बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 को भी इस दिशा में सक्षम बनाया जायेगा। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र निम्न प्रकार हैं –

1. कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिये कारगर शिक्षण तकनीकी का विकास।
2. शिक्षकों द्वारा टी0एल0एम0 का प्रयोग कना।
3. मूल्यांकन क्रिया में आवश्यक सुधार।
4. गतिविधियों का कक्षा शिक्षण में प्रभाव देखना।
5. बाह्य कक्षा शिक्षण में शिक्षकों की समस्याओं का पता लगाना।

आंकड़ों का विश्लेषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग :–

ई0एम0आई0एस0 के द्वारा प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक ब्लाक/गांव/विद्यालय की मूलभूत समस्याओं/आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है। किस स्थान पर ड्रॉप आउट की अधिकता है इस का अध्ययन कर सकते हैं।

मूल्यांकन प्रणाली :–

कक्षा 5 तक की परीक्षा एन0पी0आर0सी0 स्तर पर करायी जाय तथा कक्षा 8 की परीक्षा बी0आर0सी0 स्तर पर करायी जायेगी साथ की प्रश्न पत्र की जिम्मेदारी डायटर को निभानी होगी।

उक्त आधारित प्रशिक्षण आगामी जुलाई 2002 से प्रारम्भ कर दिये जायेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु अलग एवं माड्यूल विकसित नहीं किया जायेगा। बल्कि इसे सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण माड्यूल में एक अंश के रूप में जोड़ दिया जायेगा।

विशेष बच्चों के बारे में :–

समाज में प्रत्येक वर्ग में शिक्षा से जोड़ना हमारी मुख्य प्राथमिकता होगी। इस दिशा में शिक्षा भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिये बच्चों के अभिभावकों से सम्पर्क कर उनकी मानसिक सोच में सकारात्मक परिवर्तन होगा।

श्रमिक एवं मलिन बस्तियों के बच्चों को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना कठिन हैं। अतः इन वच्चों के लिये वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की जायेगी।

एस0एस0ए0 के अन्तर्गत आवश्यक प्रशिक्षण :–

कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार हैं –

1. सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा 1010 तक पूरी करें।
2. बालक–बालिका के समूहों के मध्य अन्तर 2007 तक समाप्त करना।
3. कक्षा 5 तक की शिक्षा सभी बच्चे 2007 तक पूरी करनी होगी।
4. 6–14 वर्ष लक्ष्य समूह के सभी वच्चों का स्कूल ठहराव 2010 तक सुनिश्चित करना।

1. प्राथमिक शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण –

अ. प्रथम वर्ष में –

1. विजिनिंग कार्यशालायें 3 दिवसीय एन0पी0आर0सी0 स्तर
2. वहु कक्षा शिक्षण आधारित प्रशिक्षण 02 दिवसीय एन0पी0आर0सी0 स्तर पर होगा।
3. शिक्षण अधिकतम सामग्री मेला एक दिवसीय एन0पी0आर0सी0 पर आयोजित होगा।
4. शिक्षक प्रशिक्षण के फेलो अप के अन्तर्गत एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक प्रशिक्षण जो पाठ प्रस्तुतीकरण कर आधारित होगा।

उक्त कार्यशालाओं का नियोजन डायट स्तर पर किया जायेगा तथा प्रति प्रतिभागी रू0 80/– की दर से व्यय अनुमानित है। कुल लागतम 45 लाख होगी।

ब. द्वितीय वर्ष

1. बहु कक्षा शिक्षण तथा बहु स्तरीय शिक्षण हेतु बी0आर0सी0 स्तर पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण होगा।
2. एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक प्रशिक्षण जो वर्ष में 7 महीने चलेंगे। रूपरेखा डायटर स्तर पर तैयार की जायेगी।
3. वास्तविक शिक्षण समय बढ़ाने हेतु शिक्षण रणनीतियों सम्बन्धी 3 दिवसीय प्रशिक्षण। रू0 80/– प्रति दिन की दर से कुल लागत लगभग 50 लाख होगी।

स. तृतीय वर्ष के प्रशिक्षण –

1. बी0आर0सी0 स्तर पर सामाजिक शिक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।
2. बी0आर0सी0 स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु आयोजित होगी।
3. बी0आर0सी0 स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु कार्यशाला तथा प्रश्न पत्रों के निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. प्रशिक्षण के फोलो आप हेतु एन0पी0आर0 स्तर पर कार्यशालायें 5 माह में आयोजित की जायेगी।

द. चतुर्थ वर्ष –

1. प्रशिक्षण के फोलो अप हेतु एन0पी0आर0सी0 स्तरीय मासिक प्रशिक्षण 7 महीने तक जिनका एजेण्डा डायटर तैयार करेगी।

2. अनुपूरक सामग्री विकसित करने हेतु 2 दिवसीय कार्यशालायें / एन0पी0आर0सी0 स्तर पर की जायेगी।

3. गणित शिक्षण हेतु आदर्श पाठ योजनायें आधारित 3 दिवसीय प्रशिक्षण एन0पी0आर0सी0 स्तर पर होगा।

4. कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग सम्बन्धी 2 दिवसीय कार्यशाला एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी।

इन प्रशिक्षणों का प्रतिभागी 80/– की दर से 115 लाख प्रस्तावित है।

5. पांचवें वर्ष का प्रशिक्षण :–

1. प्रत्येक विद्यालय के एक–एक शिक्षक को अंग्रेजी तथा संस्कृत शिक्षण हेतु 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा।

2. जिन विद्यालयों में उर्दू भाषा में बच्चे मौजूद हैं तथा शिक्षक हैं ऐसे शिक्षकों के लिये 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिये जायेंगे।

3. जिन शिक्षकों का अनुभव 20 वर्षों से अधिक है उनके लिये नवीन शिक्षण विधियों पर आधारित 5 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर होगा

4. नव नियुक्त सहायक अध्यापकों के लिये 10 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

5. जो शिक्षक पदोन्नति प्राप्त कर प्राधानाध्यपक बनेंगे डायट स्तर पर उनके लिये 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

उक्त प्रशिक्षणों पर 80/– प्रति की दर से अनुमानित 120 लाख खर्च होगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण :–

प्रथम वर्ष –

विज्ञान शिक्षकों के 8 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर होगा।

उक्त प्रशिक्षण के फोलो अप हेतु 1 दिवसीय कार्यशालायें एन0पी0आर0सी0स्तर पर आयोहिजत की जायेंगी।

उक्त की लागत रू0 80/– की दर से 25 लाख होगी।

द्वितीय वर्ष –

डायट स्तर पर गणित विषय के शिक्षण हेतु सहायक सामग्री एवं शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण 7 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। फोलो अप प्रशिक्षण ब्लाक एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 1 दिवसीय 6 माह में इनका आयोजन होगा। साथ ही 1 दिवसीय गणित मेला आयोजित किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष की अनुमानित लागत 80/– की दर से 75 लाख होगी।

तृतीय वर्ष –

अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के शिक्षण हेतु शिक्षकों को विषय वस्तु एवं शिक्षण विधि आधारित 6 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर तथा ब्लाक स्तर पर 3 दिवसीय कार्यशाला आयोति की जायेगीं

प्रशिक्षण के फोलो अप हेतु 1 दिवसीय कार्यशालायें एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोति 6 माह तक की जायेगी।

उक्त प्रशिक्षणें की अनुमानित लागत 80/– की दर से 25 लाख होगी।

चौथा वर्ष – हिन्दी भाषा शिक्षण आधारित 8 दिवसीय प्रशिक्षण डायटर स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण ब्लाक स्तर पर तथा 2 दिवसीय कार्यशाला एन0पी0आर0सी0 स्तर पर करायी जायेगी। इस आधार पर मासिक बैठकें वर्ष में 6 माह मे सुनिश्चित की जायेंगी।

उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आधारित कार्यशाला 2 दिवसीय बी0आर0सी0 स्तर तथा 1 दिवसीय एन0पी0आर0 स्तर पर आयोजित की जायेगी।

उक्त प्रशिक्षण की लागत 80/– की दर से 25 लाख होगी।

पांचवा वर्ष –

पुर्नर्वोधात्मक प्रशिक्षण 6 दिवसीय अनुमानित लागत 80/– की दर से 25 लाख होगी।

उपयुक्त प्रशिक्षणों के अतिरिक्त डायट के नेतृत्व में विकास खण्ड स्तर पर निम्न प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

1. कम्पयूटर उपयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण।
2. शिक्षा मित्र/आचार्य प्रशिक्षण।
3. वैकल्पिक शिक्षक के अनुदेशकों का प्रशिक्षण।
4. ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण।
5. बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों के प्रशिक्षण।
6. एन0बी0एस0ए0/एस0डी0आई0 प्रशिक्षण।
7. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण।
8. एस0एस0ए0 परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण।

उक्त प्रशिक्षणें का विवरण इस प्रकार है –

1. कम्प्यूटर के उपयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण :–

डायट के प्रवक्ताओं/लिपिकों, बी0आर0सी0 समन्वयकों/सह समन्वयकों एन0एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों की कम्पयूटर के उपयोग का प्रशिक्षण डायट स्तर पर दिया जायेगा।

2. शिक्षा मित्रों/आचार्यों का प्रशिक्षण :–

यह प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

3. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

4. ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण :–

यह प्रशिक्षण बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किया जायेगा किन्तु इसका नियोजन एवं प्रबन्धन डायट एवं जिला समन्वयक द्वारा किया जायेगा।

5. बी0आर0सी0 समन्वयकों/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण :–

समन्वयकों हेतु आधार भूत प्रशिक्षण एवं सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विजिनिंग कार्यशाला का आयोजन डायट स्तर पर किया जायेगा।

6. एन0बी0एस0ए0/एस0डी0आई0 के प्रशिक्षण :–

सर्व शिक्षा अभियान में सम्मिलित कक्षा 1 से 8 तक के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी विजिनिंग कार्यशालाओं के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

7. ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण :–

स्कूल गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने, पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने, बालिकाओं का नामांकन बढ़ाने तथा ग्राम शिक्षा योजनायें बनाने एवं उन्हें क्रियान्वित करने में ग्रम शिक्षा समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस दृष्टिकोण से उनका प्रशिक्षण एन0बी0आर0सी0 समन्वयकों के निर्देशन में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कराया जायेगा।

8. एस0एस0ए0 स्टाफ का प्रशिक्षण :–

यह प्रशिक्षण सीमेट स्तर पर आयोजित किये जायेंगे।

पाठ्य सामग्री –

डी0पी0ई0 के अन्तर्गत कक्षा 1 से 5 तक की सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति के बच्चों हेतु शिक्षा सत्र 2000–2001 तथा 2001–2002 में निश्ुल्क पुस्तकों का वितरण किया गया तथा शिक्षकों हेतु विभिन्न कक्षाओं तथा विषयों की शिक्षक सह शिक्षिकाओं का निर्माणएवं वितरण वर्तमान शिक्षण सत्र 2001–2002 में किया गया जो सर्व शिक्षा अभियान में भी किया जायेगा। इस पर अनुमानतः 2.35 लाख धनराशि व्यय होने की सम्भावना हैं।

कक्षा 6–8 तक संसोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्य पुस्तकों का निर्माण एस0सी0ई0आर0सी0 के माध्यम से किया जा रहा है। इनको फील्ड ट्रायल 2001–2002 में की जा रही है इसके उपरान्त सत्र 2002 जुलाई से पुस्तकें लागू की जायेंगी। इन्हीं पाठ्य पुस्तकों के आधार पर शिक्षा सह शिक्षिकाओं का भी विकास किया जायेगा, जो प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में निशुल्क उपलब्ध करायी जायेंगी। साथ ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति/ जन जाति के बालकों को निशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें लगभग 70 लाख रूपये व्यय होने की सम्भावना है।

किशोरी बालिकाओं हेतु सामग्री :–

किशोरी बालिकाओं के भावी जीवन के मागदर्शन पर आधारित शिक्षण अधिकतम सामग्री विकसित की जायेगी।

डायट स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों/कार्यशालाओं तथा उनके प्रतिभागियों का विवरण निम्न प्रकार है –

क्र0सं0	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
1.	विजिनिंग कार्यशाला	डायट प्रवक्ता, जी0 पी0ओ0सदस्यए0बी0एस0ए0 / एस0 डी0आई0 / बी0 आर0सी0एन0पी0आर0 सी0रासमन्वयक	4 दिव
2.	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	चुने हुये प्रशिक्षक	10 दिन
3.	शिक्षा मित्र / आचार्य प्रशिक्षण	शिक्षा मित्र / आचार्य	30 दिन
4.	वैकल्पिक शिक्षा अनुदेशकों का प्रशिक्षण	समस्त अनुदेशक	1
	अ. आधार भूत प्रशिक्षण		15 दिन
	ब. पुनर्वोधात्मक प्रशिक्षण		10 दिन
5.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी0आर0सी0, एन0पी0 आर0सी0 समन्वयक	3 दिन
6.	ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	ई0सी0केन्द्रों की कार्यकत्रियां एवं सहायकायें	7 दिन
7.	बी0आर0सी0एन0 पी0आर0सी0 समन्व्यकों एवं सह समन्वयकों का आधारभूत प्रशिक्षण	बी0आर0सी0 समन्वयक सह समन्वयक एवं एन0पी0आर0सी0 समन्वपयक	7 दिन
8.	ए0बी0एस0ए0, एस0डी0 आई0 प्रशिक्षण	समस्त एन0बी0एस0ए0. तथा एस0डी0आई0	5 दिन
9.	ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु बी0आर0 जी0 का प्रशिक्षण	बी0आर0जी0 सदस्य	5 दिन

10.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट प्रवक्ता एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चयनित शिक्षक	30 दिन
11.	अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों में शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	चुने हुये शिक्षक प्रशिक्षक	5 दिन
12.	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	सभी उर्दू शिक्षक	5 दिन
13.	नवीन चयनित शिक्षकों का प्रशिक्षण	नव नियुक्त प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक	10 दिन
14.	नेतृत्व प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त शिक्षक	5 दिन
15.	एक्सन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	डायट प्रवक्ता, बी0आर0 सी0 एन0पी0आर0सी0 के चुने हुये समन्वयक तथा चयनित शिक्षक चुने हुये शिक्षक	3 दिन
16.	मेटीरियल मेला	चुने हुये शिक्षक	3 दिन
17.	सतत व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	डायट प्रवक्ता, बी0आर0 सी0सम0 तथा सह सम0 एवं एन0पी0 आर0 सी0 समन्वयक	3 दिन
18.	अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणी करण हेतु प्रशिक्षण	–तदैव–	3 दिन
19.	कार्यानुभव प्रशिक्षण	जी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 में चुने हुये समन्वयक तथा चयनित उच्च प्राथमिक शिक्षक	5 दिन
20.	अनुपूरक अध्यापक सामग्री विकास हेतु कार्यशाला	चिन्हित शिक्षक/शिक्षिकायें	3 दिन
21.	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं इण्टर कालेजों के चुने हुये शिक्षक	3 दिन

	विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री विकास		
22.	गणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास	–तदैव–	3 दिन
23.	अकादमिक सन्दर्भ समूह की क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण	अकादमिक सन्दर्भ समूह के सदस्य	5 दिन
24.	कक्षा शिक्षण के श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग सम्बन्धी कार्यशाला	बी0आर0सी0 समन्वयक तथा चुने हुये शिक्षक	2 दिन
25.	बहु श्रेणी शिक्षण हेतु सेल्फ लर्निंग मैटीरियल विकास सम्बन्धी कार्यशाला	चुने हुये शिक्षक	5 दिन
26.	वास्तविक शिक्षण समय के बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशालय	बी0आर0सी0 एन0पी0 आर0 सी0 समन्वयक	2 दिन
27.	संस्थागत क्षमता विकास कार्यशाला	डायट प्रवक्ता	3 दिन
28.	बाल श्रमिकों हेतु संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों हेतु शिक्षण सामग्री का विकास	डायट प्रवक्ता चुने हुये शिक्षक	5 दिन

अकादमिक सुपरविजन में डायट, बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 की संभावित भूमिका :–

एन0पी0आर0सी0 अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी0आर0सी0 को देगा तथा बी0आर0सी0 डायट को भेजेगा। डायट में एन0आर0जी0 सदस्य इन पर विचार करके एजेण्डा तैयार करेंगे। इन कार्यों का नेतृत्व डायट द्वारा किया जायेगा।

अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों के 6–8 कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों ई0सी0सी0ई0जी0एस0 केन्द्रों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों को भी शामिल किया जायेगा।

बी0आर0सी0 की भूमिका :–

- ❖ सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन
- ❖ विद्यालयों में प्रशिक्षण के प्रभाव का अनुश्रवण
- ❖ वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ई0सी0पी0ई0 केन्द्रों का पर्यवेक्षण
- ❖ ग्राम शिक्षा समिति से समन्वय स्थापित करना
- ❖ ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों का विश्लेषण
- ❖ अकादमिक समस्याओं का निराकरण
- ❖ गुणवत्ता विकास हेतु सन्दर्भ समूह का गठन
- ❖ शोध एवं मूल्यांकन में शिक्षकों का सहयोग
- ❖ सामग्री विकास कार्यशालाओं का आयोजन

एन0पी0आर0सी0 की भूमिका :–

- ❖ अपनी वार्षिक कार्ययोजना तैयार करेंगे।
- ❖ शिक्षकों के मासिक प्रशिक्षणों/कार्यशालाओं का आयोजन

❖ समस्त विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण

❖ ग्राम शिक्षा समितियों/डब्लू0एम0सी0/पी0टी0ए0/एम0टी0ए0 सदस्यों के प्रशिक्षण का आयोजन करेंगे।

❖ ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों का संकलन व विश्लेषण

❖ स्कूल भ्रमण एवं आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण

❖ शोध एवं मूल्यांकन में शिक्षकों का सहयोग।

नवाचार कार्यक्रम :–

जो बच्चे अपने व्यवसाय के कारण विद्यालय छोड़ हेतु हैं या जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करके पढ़ाई छोड़ दी है उन्हें पुनः विद्यालय लाने तथा स्वावलम्बी बनाने हेतु कार्यानुभव प्रशिक्षण बहुत प्रभावी होगा। बालिकाओं हेतु इच्छानुसार फैशन डिजाइनिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, भोजन संरक्षण आदि का प्रशिक्षण बहुत प्रभावी साबित होगा।

उक्त प्रशिक्षणें से जो माल तैयार होगा उसकी बिक्री करके पुनः कच्चा माल खरीदा जायेगा तथा कुछ धनराशि पारिश्रमिक के रूप में बालकों/बालिकाओं में वितरित कर दी जायेगी।

2. बच्चों के लिये सामग्री विकास :–

स्थानीय महत्व का जानकारा प्रदान करन हेतु कुछ विशेषज्ञों को विद्यालयों में आमंत्रित किया जायेगा। शिक्षा विदों की देखरेख में कार्यशालायें आयोजित करके स्थानीय साहित का विकास किया जायेगा।

3. कक्षा की प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी बढ़ाना :–3

ग्राम शिक्षा समितियों की बैठकों में विद्यालय की समस्याओं के साथ–साथ अभिभावकों को कक्षा शिक्षण देखने हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साथ ही विद्यालय के

वार्षिक समारोह में अभिभावकों की आमंत्रित करके उनसे पुरस्कार वितरित कराये जायेंगे।

डायट का सुदृढ़ीकरण :–

जैसा कि पूर्व में संकेत दिया जा चुका है कि जनपद की डायट जिले से बाहर कानपुर नगर में बन रही है तथा भवन अभी तक शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित नहीं किया गया है। अतः सर्व प्रथम भवन को पूर्ण कराकर हस्तान्तरित करने की कार्यवाही करायी जाये।

भवन की सुरक्षा हेतु भूमिका अतिक्रमण रोकने हेतु चहरदीवारी का निर्माण कराकर सशस्त्र चौकीदार रखा जाय।

सारिणी

मद	आवश्यकता
नवीन भवन	अति शीघ्र पूरा कराकर विभाग को हस्तान्तरित कराया जाय साथ ही यदि सम्भव हो तो जिला मुख्यालय में ही नवीन भवन बनाकर दिया जाय।
मरम्मत एवं रखरखाव	मूल भवन अभी निर्माणाधीन है अतः मरम्मत का औचित्य ही नहीं है।
उपकरण/साज सज्जा	बिजली, टेलीफोन, फैक्स मशीन, फोटो कापी मर्शीन, जनरेटर तथा कानपुर नगर से आवागमन हेतु डीलक्स बस उपलब्ध करायी जाय।
फर्नीचर	200 कुर्सी, 200 मेज, 50 तखत, 150 गद्दे, 150 चादर, 150 कम्बल, 150 तकिया

विज्ञान प्रयोगशाला / पुस्तकालय	विज्ञान कक्ष हेतु अलमारी एवं प्रयोगशालाओं हेतु आवश्यक उपकरण पुस्तकालय हेतु पुस्तकें उपलब्ध करायी जाये एवं वाचनालय की स्थापना हो।

सारणी

	पद	सृजित	कार्यरत	रिक्त
1.	प्राचार्य	01	—	—
2.	उप प्राचार्य	10	01	—
3.	वरिष्ठ प्रवक्ता	06	01	05
4.	प्रवक्ता	17	12	05
5.	कार्यानुभव शिक्षक	01	01	—
6.	तकनीकी सहायक	01	01	—
7.	सांख्यिकीकार	01	01	—
8.	प्रतिनियुक्ति तैनात प्राथमिक शिक्षक	04	00	04

डायट संकाय कौशल विकास सम्बन्धी विवरण :–

डायट संकाय के सदस्यों में निम्न प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है –

1. लाइब्रेरी संचालन हेतु प्रशिक्षण
2. कम्प्यूटर प्रशिक्षण
3. तकनीकी उपकरणों के संचालन हेतु
4. मनो विज्ञान प्रयोगशाला में कार्य करने हेतु

5. क्रियात्मक शोध कार्य

उत्कृष्ट कार्यों हेतु प्रोत्साहन –

सर्व शिक्षा अभियान को पूर्ण सफलता बनाने हेतु डायट स्तर से लेकर एन0पी0आर0सी0 स्तर तक कार्य करने वाले उन सभी अभिकर्मियों/शिक्षकों को पुरस्कृत किया जायेगा जो कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु उत्कृष्ट कार्य करेंगे। जो इस प्रकार होगा –

1. जनपद के दो बी0आर0सी0 समन्वयकों तथा दो सह समन्वयकों को 10,000 की दर से।
2. एन0पी0आर0सी0 समन्वय 7,000 की दर से
3. ग्राम शिक्षा समिति 15,000 तथा 10,000 की दर से
4. प्रतिभाशाली एवं योग्य शिक्षकों को 5,000 की दर से
5. विद्यालय में सर्वोच्च स्थान पाने वाले छात्रों को 500/– की दर से।
6. लगातार 3 बार ए श्रेणी प्राप्त करने वाले प्रधानाध्यापकों को 1000/– की दर से।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढीकरण –

नोट – चूंकि भवन निर्माणाधीन हैं अतः मरम्मत एवं अतिरिक्त भवन की मांग का कोई औचित्य अभी नहीं समझ में आता है।

उपकरण एवं साज सज्जा –

1. कम्प्यूटर प्रिन्टर्स	–	6.00 लाख
2. फोटो कापियर्स	–	1.50 लाख
3. फर्नीचर	–	1.00 लाख
4. अन्य उपकरण	–	3.00 लाख
कुल		11.50 लाख

आवर्तक (प्रति वर्ष)

1. क्रियात्मक शोध अध्ययन	–	2.00 लाख
2. कार्यशालायें/सेमीनार	–	2.50 लाख
3. प्रकाशन एवं मुद्रण	–	5.00 लाख
4. कन्टनजेन्सी	–	1.50 लाख
5. वाहन रखरखाव	–	1.00 लाख
योग –	–	**12.00 लाख**

नोट – जनपद कानपुर देहात में डायट की स्थिति प्रदेश की अन्य डायटों से भिन्न है। साधनों के अभाव में डायट संकाय अपने उत्तरदायित्व निभानों में निरन्तर प्रयासरत है। जनपद की लगभग 1/5 आबादी जमुना नदी के किनारे घोर जंगलों में निवास कर रही है अतः वहां की जनता डाकुओं के आतंक में जीवन यापन कर रही है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं डी0पी0ओ0 कार्यालय डायट से लगभग 70 किमी0 दूरी पर स्थित है। अतः सम्पर्क में घोर कठिनाई का अनुभव करते हैं। विगत दो वर्ष से स्थायी प्राचार्य न होने के कारण स्थिति और भी दयनीय हो गयी है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम एक दृष्टि में

क्र. सं	कार्यक्रम का विवरण	2003–04	2004--05	2005–06	2006–07
1.	ई.सी.सी.ई. आधारभूत प्रशि0		78		
2.	एमटीए / पीटीए प्रशि0		620		
3.	वीईसी प्रशि0		620		
4.	शिक्षा मित्रों का आधारभूत प्रशि0	86	1096	52	60
5.	सहा0 अध्यापकों का आधारभूत प्रशि0		520	51	60
6.	सेवारत प्रशि0(प्रा0वि0)20 दिन	148	3274	3274	3274
7.	सेवारत प्रशि0(उ0प्रा0वि0)20 दिन	964	964	964	964
8.	सेवारत शिक्षा मित्रों का प्रशि0		310	1094	1146
9.	ईजीएस आधारभूत प्रशि0		15		
10.	बीआरसी समन्वयक / सहसमन्वयक प्रशि0			33	
11.	एनपीआरसी समन्वयक प्रशि0		109		
12.	सन्दर्भदाताओं का प्रशि0		109		
13.	एवीएसए / एसडीआई		17		
14	ईसीसीई कार्यकत्रियों का प्रशि0		40		
15	मास्टर ट्रेनर्स प्रशि0		20		
16	समेकित शिक्षा का प्रशि0		10	10	10

अध्याय – 10

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2002–03 से 2006–07 तक की होगी। इस अवधि में 6–14 आयु के सभी बालक/बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एवं उनका प्रबन्धन उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अविध में पर्याप्त क्षमता एवं प्रबन्धन कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य है।

परियोजना का प्रबन्धन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। प्रबन्धन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय–समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिये इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होंगे। इससे सबसे निचले स्तर पवर जवाबदेही, दिन प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबन्ध तंत्र : संवेदनशील और लचीली प्रणाली :–

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुये विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबन्धन प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिये प्रशानिक कार्यों के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशों को अबाध प्रवाह प्रदान करने और रचनात्मक

विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ उ0प्र0 सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रबन्ध तंत्र तैयार किया है, जो निम्नवत दर्शाया जा सकता है –

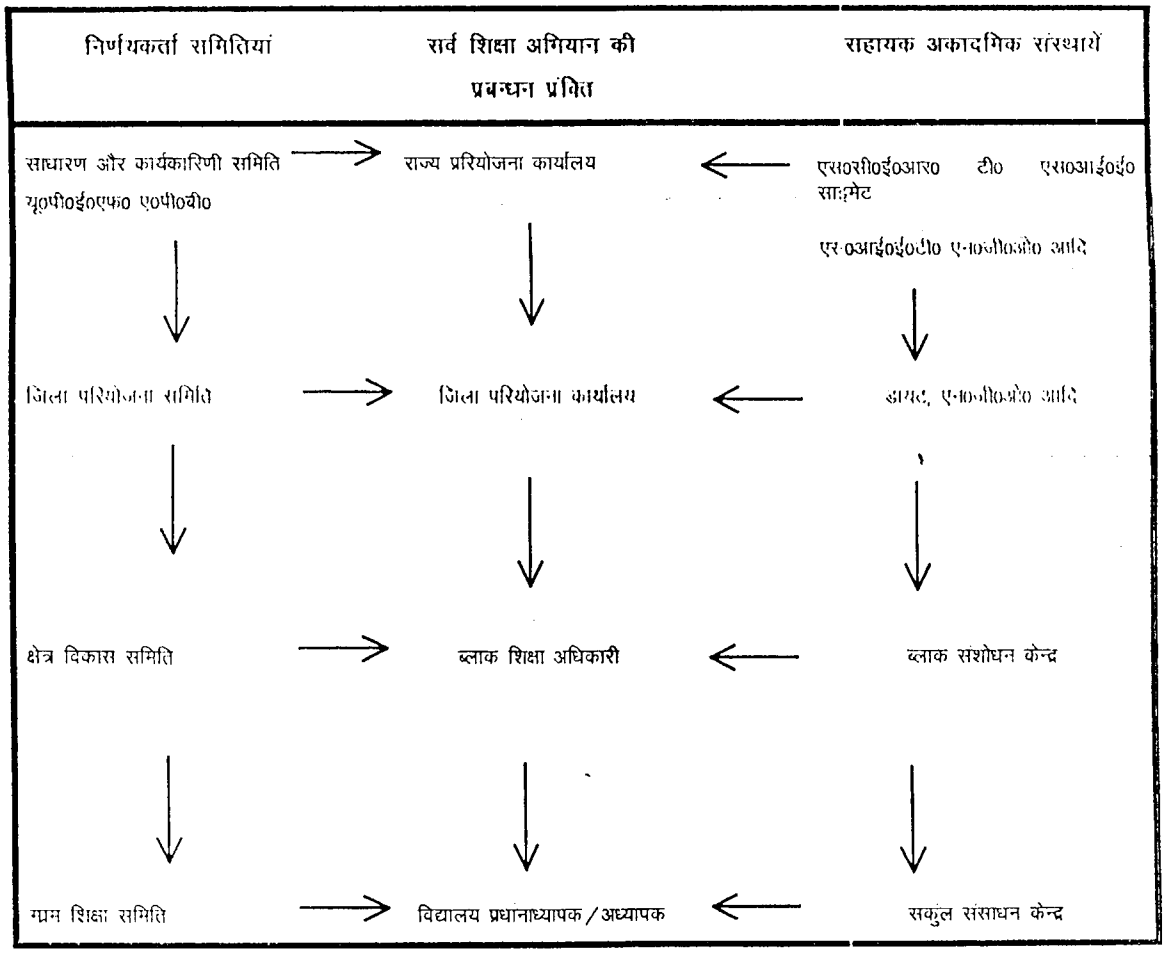

संगठनात्मक ढांचा – नीति निर्धारण 3

ग्राम शिक्षा समिति :

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया। जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं :–

समिति का स्वरूप निम्नवत है :–

1. ग्राम पंचायत का प्रधान — अध्यक्ष

2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक और यदि वहां एक से अधिक स्कूल हों तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा

3. बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिा होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगी — सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी –

क. पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबन्ध करना।

ख. ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनायें तैयार करना।

ग. पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।

घ. बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।

ड़ ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझें जायें।

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति **आवश्यक है। पंचायतीराज** व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों **पर समितियों का गठन** किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा **समितियों को सुदृढ़ीकृत** एव क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियों, **नामांकन, ठहराव परिक्रमा** सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से **संबंधित समस्त विकास** कार्यो एवं एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु **पंचायतीराज समितियों** का सहयोग लिया जायेगा।

च. पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक का अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

छ. बेसिक शिक्षा के सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपें जायें।

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिचोजना के अन्तर्गत यह समिति नीति निर्धारण के साथ–साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परिषद में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबन्धन एवं शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एव सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ–साथ बस्ती/ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगाताकि बुनियादी स्तर से प्रारम्भिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सकें

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारन्टी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एवं अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण इसी समिति का अधिकार एवं दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों, आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्ष समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण, पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0) :–

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ–साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना
2. अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार–विमर्श एवं उसका निराकरण करना।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के प्रशिक्षित कराना।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
5. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :

जिले की भांति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक 'शेक्षा सलाहकार समिति गठित है जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित हैं –

1.	ब्लाक प्रमुख	–	अध्यक्ष
2.	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उपविद्यालय निरीक्षक	–	सदस्य–सचिव
3.	विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान	–	सदस्य
4.	विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक	–	सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :–

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना जिला परियोजना समिति के निर्णयों का

अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/जे0जी0एस0वाई0 के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन – ब्लाक स्तर :

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत हैं जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एव सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरदायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदने विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगो। साररूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगे :–

1. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
2. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।

3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।

4. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

5. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आंकड़े एकत्रित कर संकलित करना।

6. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र कराना।

7. पाठ्यपुस्तक वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।

8. विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनु0जा0/ जन0जा0 के सभी बालक/बालिकाओं को निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।

9. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।

10. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतनुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।

11. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।

12. अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई0जी0एस0 तथाए0आई0ई0 के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेंगे तथा ई0जी0एस0 एवं ए0आई0ई0 केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं का विवरण एवं कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भूमिका में

समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल के साथ यात्रा भत्ता तथा रख–रखाव हेतु नियत धनराशि (18000/– प्रति वर्ष विकास खण्ड) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हें ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0)–

इन जनपद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना से संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनपों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अन्तर्गत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकरण एवं सुसज्जित हैं। वहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके हैं और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुये, प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक कापद सृजित किया जायेगा, जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यों के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण में सहायता करेंगे।

शैक्षिक, गुणवत्ता समवर्द्धन व समर्थन हेतु देखा गया है कि बी0आर0सी0 समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकरण करने की योजना है। जिसके लिये प्रत्येक बी0आर0सी0 एक लाख रूपये का प्रावधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :

1. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. विद्यालयों को एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।
3. विकास खण्डों की एकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं सकलन करना, शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
4. ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।
5. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
6. ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।
7. विकास खण्ड के अन्तर्गत स्कूल से बाहर बच्चों के सम्बन्ध में बरतीवार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूराइज्ड विवरण तैयार करना।
8. ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय–समय पर एक एकत्रीकरण व सेम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समिति :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारण एवं रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एवं सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं।

समिति का गठन निम्नवत है –

- ❖ जिलाधिकार – अध्यक्ष

- ❖ मुख्य विकास अधिकारी – उपाध्यक्ष
- ❖ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य–सचिव
- ❖ प्राचार्य डायट – सदस्य
- ❖ जिला श्रम अधिकारी – सदस्य
- ❖ जिला समाज कलयाण अधिकारी – सदस्य
- ❖ वित्त एवं लेखाधिकारी(बेसिक शिक्षा) – सदस्य
- ❖ अधिशासी अभियन्ता(आर.ई.एस.) – सदस्य
- ❖ अधिशासी अभियन्ता(पी.डब्लू.डी.) – सदस्य
- ❖ जिला विद्यालय निरीक्षक – सदस्य
- ❖ दो शिक्षा विद् (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों से) सदस्य
- ❖ दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम से (एक वर्ष के लिये)
- ❖ दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त)
- ❖ स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामिति)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्व :–

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुये इसे जनपद स्तर पर आवख्यक निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माणकार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने, रणनीति निर्धारण के सम्बन्ध में इसके निर्णय प्रभावी होंगे। प्रवेश, धारण, गुणवत्ता सम्बर्द्धन, निर्माण के लिये तकनीक पर्यवेक्षण के लिये संस्थाओं का निर्धारण एवं

प्रचार–प्रचार के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। यह समिति जिले के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एवं निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति की गयी है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है।

1.	जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य–सचिव
3.	अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
4.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
5.	जिला विद्यालय निरीक्षक	पदने सदस्य
6.	अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) यदि कोई हो और उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षक	पदेन सदस्य
7.	तीन व्यक्ति, जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगी	सदस्य
8.	विद्यालय उप निरीक्षक (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा	सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद अधीक्षण और निर्देशों के अधीन रहते हुये निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

क. जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना

ख. नये बेसिक स्कूल स्थापित करना

ग. ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार सुधार के लिये योजनायें तैयार करना।

अतः उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के लिये स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगी।

प्रशासनिक तंत्र – जिला परियोजना कार्यालय :

जिला स्तरर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन, उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेंगे। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमें तैनातनी की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचाहरी होगे –

1.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन जिला परियोजना अधिकारी
2.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई0जी0एस0 / ए0आई0ई0)	1. प्रति नियुक्ति पर
3.	समन्वयक	4 प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
4.	सलाहकार	2 रू0 10,000/– नियत वेतन प्रति पद
5.	ई0एम0आई0एस0अधिकारी	1 रू0 10,000/– नियत वेतन प्रति पद
6.	कम्प्यूटर आपरेट/ सांख्यिकी सहायक	3 रू0 7,000/– नियत वेतन प्रति पद
7.	सहायक लेखाधिकारी	1 प्रतिनियुक्ति पर
8.	लिपिक	1 नियम मानदेय के आधार पर
9.	परिचारक	1 नियम मानदेय के आधार पर

निर्माण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नहीं दिया जायेगा। यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा अभियन्ताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

एजूकेशन मैनेजमेंट इंफारमेशन सिस्ट्म (ई0एम0आई0एस0):–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ़ एवं क्रियाशील एम0आई0एस0 स्थापित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम0आई0एस0 डाटा केल्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डायस साफ्टवेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। वर्ष 1997–98 से वर्ष 2000–2001 तक के शैक्षिक आंकड़े उपलब्ध हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये साफ्टवेयर डाटावेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगीं इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अन्तग्रत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। उससे शिक्षा गारन्टी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण, आंकड़ों का सकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अध्यावधिक एवं उपयुक्त ई0एम0आई0एस0 तथा प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एवं वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवर्ष शैक्षिक सांख्यिकी की व्यापक कार्य को सम्पादित करने के लिये स्थापित कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 के संचालनार्थ एक ई0एम0आई0एस0 अधिकारी एवं तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स/सांख्यिकी सहायक रखे जायेंगे जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा की रिपोर्ट व विश्लेषण तत्परता से उपलब्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय अपने स्तर से ही ई0एस0आई0एस0 के विभिन्न महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स पर रिपोर्ट तैयार कर सकें। वस्तुतः जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकड़ों के एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा, जिसका उपयोग नियोजन एवं अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के कार्य एवं दायत्वि :

जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटराइज्ड सूचना प्रबन्ध प्रणाली में तैनात ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे –

- ❖ विद्यालयों हेतु सांख्यिकी प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण कराना।
- ❖ समय से फील्ड स्टाफ (बी0आर0सी0 समन्वयक, एन0पी0आर0सी0 समन्वपयक, प्रधानाध्यापकों) का प्रशिक्षण आयोजित कराना।
- ❖ माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुये प्रपत्रों का एकत्रीकरण कराना।
- ❖ भरे हुये प्रपत्रों की सैम्पुल सम्पादित कराना तथा परिवर्तन यदि कोई हो, अभिलिखित करना।
- ❖ समयबद्ध रूप से दिसम्बर, 2001 के अन्त तक डाटा इन्ट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।
- ❖ संकुलवार व विकास खण्डवार जनपद की ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कराना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उलपब्ध कराना।
- ❖ सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिये नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों/कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।
- ❖ माइक्रोप्लानिंग डाटा का कम्पटरीकरण, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सभी संबंधित को प्रस्तुत/प्रेषित करना।

ई0एम0आई0एम0 अधिकारी की शैक्षिक कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुलय होने के साथ ही सांखयकी विशलेषण, पर्यवेक्षण तकनीक आदि में अभीष्ट जानकारी व अनुभव रखना व आवश्यक होगा।

प्रशिक्षण :–

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, सकुल प्रभारी, बी0आर0सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयेाजित कियाजायेगा और उन्हें ई0एम0आई0एस0 सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हे भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अंतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकड़ों के दो प्रतिशत सैम्पुल चेकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आंकड़ों की शुद्धता की जांच हो सके।

1. ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा इसमें जिला परियोजना अधिकारी, सभी समन्वयक, स्टाफ, कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

2. ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक वेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एवं बी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेंगे।3

3. ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (न्याय पंचायत रतर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एल0पी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेंगे।

4. ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रतर पर)

एस0पी0ओ0/सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी0पी0ओ0 एवं बी0आर0सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेंगे। प्रथम तीन दिन

ई0एम0आई0एस0 प्रबन्धन एवं दूसरे दिन में प्रोजेक्ट इन्फारमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आंकड़ों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांच :–

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार आंकड़ों को एकत्रित किया जायेगा एवं कम्प्यूटर पर डाटा इन्ट्री के पश्चात ई0एम0आई0एरा0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरे हुये प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट–आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आंकड़ों का उपयोग :–

ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स जैसे–जी0ई0आर0, एन0ई0आर0, ड्राप आउट दर, रिपीटीशन दर छात्र–अध्यापक अनुपात, कक्षा–कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होंगे। इन इन्डीकेटर्स का उपयोग डिसिजन सपोर्ट सिस्ट्म्स में किया जायेगा ताकि बार–बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदनुसार कार्यक्रमों का समावेश/संधोधन किया जा सके। 'डायरा' के अन्तर्गत ई0एम0आई0एस0 के प्राप्त आंकड़ों से प्राप्त आंकड़ों से स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या ज्ञात नहीं हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर नहीं हो पाता है अतः

यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माईक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकड़ों तथा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदनुसार कार्ययोजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश/संशोधन अभीष्ट होगा। ई0एम0आई0एस0 एवं माईक्रोप्लानिंग के आंकड़ों का उपयोग निम्न कार्यों हेतु भी किया जायेगा।

1. नवीन विद्यालयों हेतु असेवित बस्तियों की पहचान।
2. शिक्षा गारन्टी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण।
3. छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिकत कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान।
4. एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।
5. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यता वाले विद्यालयों की पहचान।
6. वालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण।
7. निशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन।
8. अवस्थपना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण।
9. शिक्षकों का विवरण।
10. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।
11. विकलांगवार आंकड़ों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एवं सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकता के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके लिये उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

कोहॉर्ट स्टडी :–

छात्र–छात्राओं के ठहराव में वृद्धि के प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप आउट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहार्ट स्टडी करायी जायेगी। स्टडी बाह्य एजेन्सी द्वारा कराई जायेगी जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक वउच्च प्राथमिक स्तर के लिये पृथक–पृथक से की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रू0 2 लाख रखी गयी है।

प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम :–

एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति को बढ़ाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एल0ए0सी0आई0 के अन्तर्गत कम्प्यूराइज्ड वित्तीय प्रवन्धन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोग किया जायेगा, जिसके लिये भी एम0आई0एस0 प्रयोग में लाया जायेगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :

गुणवत्ता में सुधार के लिये जिला स्तर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सृदृढ़ किया जायेगा। परियोजना के अन्तर्गत इसके निम्नलिखित कार्य होगे –

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणें के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षत कराना।
2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यों के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।
3. ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत करना।

4. जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एवं उपचार के लिये शोध कार्य करना और उसके परिणामों/निष्कर्षों की जानकारी सर्व सम्बन्धित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।

5. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्कतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।

6. ब्लाक संसाधान केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रिया–कलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।

7. जिले स्तर पर अन्य विभागों एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यों में नियोजन करना।

8. जिले स्तर पर एकाडमिक संसाधन समूह गठन करना।

9. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिये बेस लाइन सर्वे कराना।

10. शिक्षा के लिये नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11. शैक्षिक आंकड़ों (ई0एम0आई0एस0 के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अभिकर्मियों को प्रशिक्षण देना।

12. शिक्षकों, समन्वयकों, ई0सी0सी0ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना।

निधि का हस्तान्तरण (फ्लो आफ फण्ड) :

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमेट के अप्रेजल के पश्चात एवं उ0प्र0 सभी

के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरानत जिले की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिये अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण, अकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0आर0सी0. एवं एन0पी0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे ग्राम शिक्षा समिति, स्वयं सेवी संस्थाओं, अध्यापकों आदि के सीधे खातों के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिर्धारित है। अतः रू0 5000 मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एवंउसी के लेखा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर भी संयुक्त खाता खुला है। जिसका परिचालन उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने के वित्तीय नियम स्पष्ट निर्धारित है। परचेज एवं प्रोक्योरमेंट के नियम भी इसी सन्दर्शिका में निर्धारित किये गये हैं, जो परियोजना में भी अपनायें जायेंगे। तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा सम्बन्धित स्टाफ को सर्व

शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय–समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेंगे। परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है, जिनके बैंक में खाते पूर्व से ही संचालित है। जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एवं व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामन्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

फण्ड फ्लो डॉग्राम

राज्य परियोजना कार्यालय	
जिला परियोजना कार्यालय	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
1. बी0आर0सी0एवंएन0पी0आर0सी0 2. ग्राम शिक्षा समिति 3. अध्यापक 4. स्वयं सेवी संस्था आदि	बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0

सम्प्रेक्षण व्यवस्था :

उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे जोखे का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण (इन्डिपैन्डेन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से किया जायेगा। यह कार्य वित्तीय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का चयन व टर्म्स आफ रिफरेन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार/भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के

लेखे–जोखे का सम्प्रेषण (आडिट) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा।

राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा भी समय–समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापना :–

परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों, बी0आर0सी0 समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेंगी जिसमें योजना कार्यों को सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की जायेगी एवं उसके स्थानीय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा। इसी प्रकार प्रचार्य डायट द्वारा संकाय सदस्यों व बी0आर0सी0 समन्वयकों की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुभूति कटिनाइयों पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा। राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्ग दर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेंगे। साथ ही समय–समय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा और कमियों का निराकरण करते हुये सुधार लाया जायेगा।

प्रत्येक माह जनपद से कम्प्यूटराईज्ड पी0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी, जिसका विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षों के आधार पर कार्य योजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा वार्षिक ई0एम0आई0एस0डाटा के

विश्लेषण से प्राप्त इण्डीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व नियोजन किया जायेगा तथा यथा आवश्यक उपचारात्मक प्रयास अपनाये जायेंगे।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव, अनुभूत कठिनाइयों, प्राप्त विभिन्न इण्डीकेटर्स को ध्यान में रखते हुये आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेंगे।

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित हैं जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समावार पत्रों क माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के 11 रिले केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद विवाद/ वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

PROJECT COST
SARVA SHIKSHA ABHIYAN
Kanpur Dehat

(In thousands)

	Head s/Sub Heads Activity	Unit	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
		Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A	ACCESS													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	86	22274	0	0	5	1280	0	0	91	23554
A2	New Upper Primary Schools	451	21	9471	67	18760	0	0	5	1400	0	0	93	29631
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	63	6480	63	7560	63	7560	63	7560	63	7560	315	36720
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	86	1161	86	2128.5	91	2252.25	91	2252.25	354	7794
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	86	4644	86	9288	91	9828	91	9828	354	33588
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	201	12060	201	24120	216	25920	216	25920	834	88020
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	86	860	0	0	5	50	0	0	91	910
A8.2	UPS	50	36	1800	67	3350	0	0	5	250	0	0	108	5400
A9	TLE UPS not covered OBB	50	46	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	46	2300
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
	Total		0	20051	0	70669	0	43296.5	0	48740.25	0	45760.25		228517
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	0	0	15	316.875	140	2957.5	140	2957.5	295	6231.875
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm. & Management Cost	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	Ghar	0.85	0	0	0	0	0	0	125	2640.625	125	2640.625	250	5281.25
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	30	1080	0	0	30	1080	30	1080	90	3240
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	10	600	15	900	15	900	40	2400
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	1	180	1	180	1	180	1	180	4	720
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	109	3684.2	10	338	109	3684.2	0	0	228	7706.4
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0	13	199.55	13	199.55	13	199.55	39	598.65
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	1	250	1	250	1	250	3	750
	ACCESS Subtotal		0	20051.00	0	75613.20	0	45180.93	0	60632.13	0	53967.93	0	255445.18
R	RETENTION		0	0	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	3	1149	9	3447	0	0	0	0	12	4596
R3	Additional Classrooms		0	0	0		0		0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	0	0	481	33670	400	28000	0	0	881	61670
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	14	980	7	490	25	1750	0	0	0	0	46	3220
R4.1	Toilets Upper Primary	10	0	0	33	330	28	280	0	0	0	0	61	610
R4.2	Toilets Primary	10	12	120	0	0	460	4600	300	3000	0	0	772	7720
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	0	0	62	1116	0	0	0	0	62	1116
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	1200	6000	1304	6520	1304	6520	1309	6545	5117	25585
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	192	960	192	960	259	1295	259	1295	264	1320	1166	5830
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0	0	0	520	49920	581	55776	641	61536	1742	167232
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0	576	7776	520	12870	52	1287	60	1485	1208	23418
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	0	0	24	48	1304	2608	1309	2618	1309	2618	3946	7892
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	192	384	313	626	259	518	264	528	264	528	1292	2584
R12	Promoting Girls Education		0	937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0	0	0	20	90	20	90	20	90	60	270
R12.2	MCDA	75	0	0	0	0	10	750	10	750	10	750	30	2250
R12.3	Meena Manch	4	0	0	0	0	10	40	10	40	10	40	30	120
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	10	250	10	250	10	250	30	750
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	0	0	20	28	0	0	0	0	20	28
	Opening of ECCE centers		0	0	0		0		0		0		0	0
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0		0		0		0		0	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	100	500	100	500	100	500	300	1500
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.38	0	0	0	0	100	375	100	375	100	375	300	1125
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0	100	150	100	150	100	150	300	450
R13.5	Training		0	0	0		0		0		0			
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0	78	5.46	0	0	0	0	78	5.46
R16	Community Mobilization		0	0	0		0		0		0			
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0	0	0	620	1736	0	0	0	0	620	1736
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0	0	0	50	250	59	295	0	0	109	545
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEO/WEC	0.48	0	0	0	0	620	297.6	0	0	0	0	620	297.6
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0	10	250	10	250	10	250	30	750
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0	10	50	10	50	10	50	30	150
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	2213	0	0	10	667	10	667	10	667	30	4214
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog.	60	0	0	10	5000	88	5280	0	0	0	0	98	10280
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	0	0	1563	3907.5	1563	3907.5	1563	3907.5	4689	11722.5
	RETENTION Sub Total		0	5594	0	22379	0	147476.6	0	133474.5	0	109474.50	0	418398.56
Q	QUALITY IMPROVEMENT		0	0	0		0		0		0			
Q1	Training Programmes		0	0	0		0		0		0			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	0	0	86	180.6	1096	2301.6	57	119.7	60	126	1299	2727.9
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	108	226.8	0	0	520	1092	51	107.1	60	126	739	1551.9
Q1.3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	793	1665.3	148	207.2	3274	4583.6	3279	4590.6	3279	4590.6	10773	15637.3
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	0	0	964	1012.2	964	1012.2	979	1027.95	979	1027.95	3886	4080.3
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0	0	0	310	434	1099	1538.6	1151	1611.4	2560	3584
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0	15	31.5	0	0	0	0	15	31.5
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	33	23.1	33	23.1	0	0	66	46.2
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	109	76.3	0	0	0	0	109	76.3
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0	0	0	109	152.6	0	0	0	0	109	152.6
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0	17	5.95	0	0	0	0	17	5.95
Q2	IED Provision for disable children	1.2	546	218.4	1859	2230.8	1998	2397.6	2187	2624.4	2253	2703.6	8843	10174.8
Q2.1	IED-Medical Assessement	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0	40	200	38	190	0	0	78	390
Q2.5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th. /batch of 32 teachers	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.8	Aids and Appliances	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q2.9	Parents Councelling and IEP formation	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	4	10	4	10	4	10	12	30
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	4	8	4	8	4	8	12	24
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0		1		0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	190	95	7011	3505.5	7122	3561	7248	3624	21571	10785.5
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	901	450.5	1864	932	3017	1508.5	3032	1516	3032	1516	11846	5923
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	281	14.05	0	0	145074	7253.7	154013	7700.65	299368	14968.4
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	17192	2578.8	28098	4214.7	29874	4481.1	32857	4928.55	35040	5256	143061	21459.15
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	1304	195.6	1304	195.6	0	0	2608	391.2
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0	140	7	0	0	0	0	140	7
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	109	1635	109	1635	109	1635	327	4905
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	109	817.5	109	817.5	109	817.5	327	2452.5
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	10	250	10	250	10	250	30	750
	QUALITY Sub Total		0	5139.8	0	8886.55	0	24728.65	0	30396.8	0	31002.7		100154.5
C	CAPACITY BUILDING		0	0	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0	0	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	1	60	0	0	0	0	1	60
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C1.3	Maintenance of Compute Room	50	0	0	0	0	1	50	1	50	0	0	2	100
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	10	260	10	260	0	0	20	520
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	1	50	1	50	0	0	2	100
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0	1	80	1	80	1	80	3	240
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	1	84	1	84	1	84	3	252
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	1	48	1	48	1	48	3	144
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0			
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	10	1440	10	1440	10	1440	30	4320
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	20	1320	20	1320	20	1320	60	3960
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	10	360	10	360	10	360	30	1080
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	10	60	10	60	10	60	10	60	40	240
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	10	20	10	20	10	20	30	60
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	10	100	10	100	10	100	30	300
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	10	50	10	50	10	50	10	50	40	200
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0	10	50	10	50	10	50	30	150
C2.11	Contigency	12.5	0	0	10	125	10	125	10	125	10	125	40	500
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	120	432	120	432	120	432	360	1296
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	10	50	10	50	10	50	30	150
C3	School Complex (NPRC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.1	Construction	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	102	102	109	109	109	109	109	109	429	429
C3.4	Contingency	2.5	0	0	102	255	109	272.5	109	272.5	109	272.5	429	1072.5
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	102	244.8	109	261.6	109	261.6	109	261.6	429	1029.6
C4	District Project Office/Management		17	798	0	1940	0	0	0	0	0	0	17	2738
C4.1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	0	0	0	0	7	1260	7	1260	14	2520
C4.3	Salary of AE	15	0	0	0	0	0	0	1	180	1	180	2	360
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	20	360	20	360	20	360	60	1080
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	0	0	7	70	7	70	7	70	21	210
C4.9	Consumaables	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.12	Pay to JE	10	0	0	0	0	10	1200	10	1200	0	0	20	2400
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0	0	0	1304	1825.6	1304	1825.6	1304	1825.6	3912	5476.8
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	228	319.2	213	298.2	259	362.6	259	362.6	259	362.6	1218	1705.2
C4.16	Contingency	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.17	AWP & B	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
	Total		0	1117.2	0	3075	0	25741.3	0	27121.3	0	25561.3		82616.1
C5	MIS		0	0	0		0		0		0			
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	1	244	0	0	0	0	0	0	1	244
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	0	0	1	90	1	90	2	180
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	0	0	1	20	1	20	2	40
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	0	0	1	20	1	20	2	40
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	0	0	1	30	1	30	2	60
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	0	0	1	40	1	40	2	80
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0	0	0	0	0	0	1	20	1	20	2	40
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	0	0	1	25	1	25	2	50
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0	0	0	1	10	1	10	2	20
C5.12	Monitoring, Management &,Collection of Formats	25	0	0	0	0	0	0	1	25	1	25	2	50
	CAPACITY Sub Total		0	1117.2	0	3319	0	25741.3	0	27401.3	0	25841.3	0	83420.1
	GRAND TOTAL		0	31902.0	0	110197.75	0	243127.44	0	251904.73	0	220286.43	0	857418.34

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention — Kanpur Dehat

	2002-03	2003-04	20004-05	2005-06	2006-07	Total
Civil	10571.0	43003.0	44863.0	33680 0	0.0	132117.0
Management	319.2	298.2	4178.2	5898.2	4698.2	15636.0
Programme	21011.8	66896.6	194086.2	212326.5	215588.2	709665.3
Total	31902.0	110197.8	243127.4	251904.7	220286.4	857418.3
Percentage - Civil	33.1	39.0	18.5	13.4	0.0	15.4
Percentage - Management	1.0	0.3	1.7	2.3	2.1	1.8
Percentage - Programma	65.9	60.7	79.8	84.3	97.9	82.8
Percentage - Total	100	100	100	100	100	100

ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004

District - KANPUR DEHAT

(Rs. In Thousand)

S. No.	Head	Spillover		Approved Fresh Proposals 2003-			Total Proposals		Remark
		Physical	Financial	Unit Cost	Physical	Financial	Physical	Financial	
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14
(I)	BRC						0	0.00	
1	Asst.Coordinator(1 No.) @ 9 for 12 Months			9.00		0.00	0	0.00	12 Month
2	Furniture/fixture & Equipments			10.00		0.00	0	0.00	
3	Travelling Allowance & Meeting			6.00	10	60.00	10	60.00	
4	Maintenance of equipments			0.00	0	0.00	0	0	
5	Maintenance of building			0.00	0	0.00	0	0	
6	TLM			5.00	10	50.00	10	50.00	
7	Contegency			12.50	10	125.00	10	125.00	
	TOTAL BRC	0	0.00		30	235.00	30	235.00	
(II)	CRC						0	0.00	
8	Furniture/fixture & Equipments			5.00		0.00	0	0.00	
9	Salary Condinator @12 for 12 Months					0.00	0	0.00	12 Month
10	TLM			1.00	102	102.00	102	102.00	
11	Contegency			2.50	102	255.00	102	255.00	
12	Meeting & TA			2.40	102	244.80	102	244.80	12 Month
	TOTAL CRC	0	0.00		306	601.80	306	601.80	
(III)	CIVIL WORKS						0	0.00	
13	New Primary School			259.00	86	22274.00	86	22274.00	Spill.Handpump
14	New Upper Primary School	21	1428.00	280.00	67	18760.00	88	20188.00	Spill.Handpump
15	Additinal Classrooms PS			70.00		0.00	0	0.00	
16	Additinal Classrooms UPS			70.00	7	490.00	7	490.00	
17	Toilets PS			10.00		0.00	0	0.00	
18	Toilets UPS			10.00	33	330.00	33	330.00	
19	Reconstruction PS			191.00		0.00	0	0.00	
20	Reconstruction UPS			383.00	3	1149.00	3	1149.00	
21	Drinking Waters PS			15.00		0.00	0	0.00	
22	Drinking Waters UPS			15.00		0.00	0	0.00	
23	Repair PS			20.00		0.00	0	0.00	
24	Repair UPS			70.00		0.00	0	0.00	
25	Upgration of Microplaining			250.00		0.00	0	0.00	
	TOTAL Civil Works	21	1428.00		196	43003.00	217	44431.00	
(IV)	EGS (.845*25*No.of EGS Centres)								
	TOTAL EGS	0	0		0	0.00	0	0.00	
(V)	AIE						0	0.00	
31	AIE (P.S.) (0.845x25xNo.)			0.845		0.00	0	0.00	
32	AIE (U.P.S.) (1.2x30xNo.)			1.20	30	1080.00	30	1080.00	
32.1	Bridge Course at NFRC level (0.845x40xNo.)			0.845	109	3684.20	109	3684.20	
33	Bridge Course (P.S.) (3.0x60xNo.)			3.000	1	180.00	1	180.00	
	TOTAL AIE	0.00	0.00		140	4944.20	140	4944.20	
	TOTAL EGS/AIE	0	0.00		140	4944.20	140	4944.20	
(VI)	FREE TEXT BOOKS						0	0.00	
34	Free Text Books PS			0.05	281	14.05	281	14.05	
35	Free Text Books UPS			0.15	28098	4214.70	28098	4214.70	
	TOTAL Text Book	0	0.00		28379	4228.75	28379	4228.75	
(VII)	IED								
	TOTAL IED	0	0.00	1.20	1859	2230.80	1859	2230.80	
	INNOVATIVE ACTIVITIES				0	5000.00	0	5000.00	
	TOTAL Computer Education				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL ECCE				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Girls Education				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL SC.ST Intervention				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Innovative Activities	0	0.00	0.00	0	5000.00	0	5000.00	
(XII)	MAINTENANCE						0	0.00	
57	P.S.			5.00	1200	6000.00	1200	6000.00	
58	U.P.S.			5.00	192	960.00	192	960.00	
	TOTAL Maintenance	0	0.00		1392	6960.00	1392	6960.00	
(XIII)	DPO								
	Management Cost	0.00	0.00			1940.00	0	1940.00	
(XIV)	RESEARCH, MONITORING & EVALUATION						0	0.00	
71	P.S.			1.40		0.00	0	0.00	
72	U.P.S.			1.40	213	298.20	213	298.20	
	TOTAL Research, Monitoring & Evaluation	0	0.00		213	298.20	213	298.20	
(XV)	SCHOOL GRANT						0	0.00	
73	School Improvement Grants PS @ 2			2.00	24	48.00	24	48.00	
74	School ImprovementGrants UPS @ 2			2.00	313	626.00	313	626.00	
	Total School Grant	0	0		337	674.00	337	674.00	

ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004

District - KANPUR DEHAT

(Rs. In Thousand)

Head	Spillover		Approved Fresh Proposals 2003-			Total Proposals		Remark
	Physical	Financial	Unit Cost	Physical	Financial	Physical	Financial	
2	7	8	9	10	11	12	13	14
SALARY OF TEACHERS SANCTIONED IN (2002-03)					-	0	0.00	
Salary of Asstt Teacher PS			9.00		0.00	0	0.00	12 Months
Salary of Asstt Teacher UPS			10.00	63	7560.00	63	7560.00	12 Months
Salary of Additional Teachers PS			8.00		0.00	0	0.00	6 Months
Salary of Additional Teachers(PS) Shiksha Mitra @2.25			2.25		0.00	0	0.00	11 Months
TOTAL Salary of Teachers sanctioned in (2002-0	0	0.00		51	7560.00	63	7560.00	
SALARY OF TEACHERS SANCTIONED IN (2003-04)						0	0.00	
Salary of Asstt. Teachers' 2003-04 (P.S.)			9.00	86	4644.00	86	4644.00	6 Months
Salary of Asstt.Teachers' 2003-04 (U.P.S.)			10.00	201	12060.00	201	12060.00	6 Months
Salary of Additional Teachers (PS)			8.00		0.00	0	0.00	6 Months
Salary of Fresh SM (PS)			2.25	86	1161.00	86	1161.00	6 Months
Salary of Fresh SM (PS) to improve PTR			2.25	576	7776.00	576	7776.00	6 Months
TOTAL Salary of Teachers sanctioned in (2003-0	0	0.00		949	25641.00	949	25641.00	
TOTAL TEACHERS' SALARY	0	0.00		1000	33201.00	1012	33201.00	
TEACHER GRANT (TLM)						0	0.00	
Teacher Grants PS @ 0.5			0.50	190	95.00	190	95.00	
Teacher Grants UPS @ 0.5			0.50	1864	932.00	1864	932.00	
TOTAL Teacher Grant	0	0.00		2054	1027.00	2054	1027.00	
TEACHING LEARNING EQUIPMENTS						0	0.00	
TLE PS @ 10			10.00	86	860.00	86	860.00	
TLE UPS @50	21	1050.00	50.00	67	3350.00	88	4400.00	
TLE UPS @50 Not covered under OBB		2300.00	50.00		0.00	0	2300.00	
TOTAL Teaching Learining Equipments	21	3350.00		153	4210.00	174	7560.00	
TEACHER TRAINING						0	0.00	
Induction Traininmg of SM for 30 days @ Rs.70/- per day			0.07	86	180.60	86	180.60	
In-service Training (HT,AT,SM & BRC NPRC) for 20 days @ Rs.70/- per day			0.07	148	207.20	148	207.20	
Teachers (UPS) for 15 days @ Rs.70/- per day			0.07	964	1012.20	964	1012.20	
TOTAL Teacher Training	0	0.00		1198	1400.00	1198	1400.00	
STRENGTHENING OF VEC						0	0.00	
VEC Training @ Rs. 30/- for 2 days for 8 persons			0.48		0.00	0	0.00	
TOTAL Strengthening of VEC	0	0.00		0	0.00	0	0.00	
EMIS CELL						0	0.00	
TOTAL EMIS Cell	0	0.00			244.00	0	244.00	
STRENGTHENING OF DIET								
TOTAL DIET	0	0.00				0	0.00	
GRAND TOTAL		4778.00			110197.75		114975.75	